

Volume 9, Issue 2, April-June 2023 ISSN : 2395-7468

THE **Equanimator**

A peer reviewed refereed journal

Volume Editor

Dr. Jitendra

The Equanimist

... A peer reviewed refereed journal

Editorial Advisory Board

- Prof. U.S. Rai** (University of Allahabad)
Prof. Devraj (M.G.A.H.V., Wardha)
Prof. R. N. Lohkar (University of Allahabad)
Prof. V.C.Pande (University of Allahabad)
Prof. D.P.Singh (TISS, Mumbai)
Prof. Anand Kumar (J.N.U.)
Prof. D.V. Singh (S.R.M. University)
Prof. D.A.P. Sharma (University of Delhi)
Prof. P.C. Tandon (University of Delhi)
Prof. Siddarth Singh (Banaras Hindu University)
Prof. Anurag Dave (Banaras Hindu University)

Editor in Chief

Dr. Nisheeth Rai (M.G.A.H.V., Wardha)

Associate Editors

- Dr. Manoj Kr. Rai** (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Virendra P. Yadav (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Pradeep Kr. Singh (University of Allahabad)
Dr. Shaileendra.K.Mishra (University of Allahabad)
Dr. Ehsan Hasan (Banaras Hindu University)

Editorial / Refereed Board Members

- Dr. Ravi S. Singh** (University of Delhi)
Dr. Roopesh K. Singh (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Tarun (University of Delhi)
Dr. Dhirendra Rai (Banaras Hindu University)
Dr. Ajay Kumar Singh (Jammu University)
Dr. Shree Kant Jaiswal (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Kuldeep Kumar Pandey (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Abhisekh Tripathi (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Shiv Gopal (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Vijay Kumar Kanaujiya (V.B.S.P.U., Jaunpur)
Dr. Jitendra (M.G.A.H.V., Wardha)
Dr. Shiv Kumar (K.U., Bhawanipatna)
Mr. Ambuj Kumar Shukla (M.G.A.H.V., Wardha)

Managerial Board

- Mr. K.K.Tripathi** (M.G.A.H.V., Wardha)
Mr. Rajat Rai (State Correspondent, U.P. India Today Group)

S.NO.	Content	Pg. No.
1.	‘Farmer-Labour Continuum’ And Socio-Cultural Transformation In The Agrarian Society Of India Dr. Nisheeth Rai	1-11
2.	इब्राहिम अलकाज़ी के निर्देशन में अंधायुग की संगमंचीय प्रस्तुति डॉ. संजीब कुमार	12-18
3.	स्वाधीन भारत के निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल की ऐतिहासिक भूमिका डॉ. कुलदीप कुमार पाण्डेय	19-25
4.	सामाजिक सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर राष्ट्र डॉ. सारिका राय शर्मा	26-45
5.	जाति : वर्चस्व का यंत्र एकता	46-52
6.	चीनी साहित्य में चीन का अल्पसंख्यक समुदाय : एक परिचय डॉ. निशांत कुमार	53-63
7.	राजभाषा हिंदी : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि डॉ. रूपेश कुमार	64-68
8.	हिंदी सामासिक शब्द पहचानक : एक स्वचालित प्रणाली गुजन जैन एवं डॉ. हर्षलता पेटकर	69-76
9.	कोरकू जनजाति में लोक कथाएँ : एक मौखिक इतिहास विवेक कुमार एवं महेंद्र कुमार जायसवाल	77-83
10.	पंचतंत्र की कथाओं में लोक व्यवहार डॉ. राम कृपाल	84-88
11.	आजमगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांगता का अध्ययन दिलीप कुमार	89-93
12.	शैलीविज्ञान की अवधारणा और उसकी प्रविधि अभिजीत कुमार मिश्रा	94-98
13.	समकालीन हिंदी उपन्यासों में नारीवादी दृष्टि डॉ. सुनील कुमार सुधांशु	99-102

Manuscript Timeline

Submitted : April 03, 2023

Accepted : May 02, 2023

Published : June 25, 2023

'Farmer-Labour Continuum' And Socio-Cultural Transformation In The Agrarian Society Of India

Dr. Nisheeth Rai¹

Abstract

Introduction- *The economic and social development in India cannot be dealt without discussing the agrarian social structure. The socio-cultural transformation is of immense importance whether one is doing research on political change or changes in the values and tradition. However there is always a lack of clear perception about the social structure of agrarian society. Different studies have shown that there is a gap between the 'text view' and 'field view' of the agrarian social structure. This gap is one of the major causes, why various development programmes failed to fulfill their objectives. The idea of the social structure of agrarian society quiver between the two models one a 'caste society' and other a self sufficient 'village community'. These models fail to capture some of the unique and typical features of Indian agrarian society. The planners of the development programme are totally unaware of these gaps and therefore hope that socio-cultural transformations of agrarian societies are possible by injecting new technology. The growing conflicts and problems in the rural areas serve as a 'red signal' to this inadequate technocratic approach to development in present India.*

Objectives- *The main objectives of this paper are 1. To raise some conceptual problem of studying a agrarian social structure 2. To describe the social structure of rural agrarian society existed at the time of independence 3. To present an account of the socio-cultural transformation that has occurred in the agrarian society and 4. To develop the concept of 'Farmer- labour continuum'.*

Methodology- *The paper does not present any empirical study of agrarian social structure of India. It is based on the some observation and content analysis of the various studies and report related to socio-cultural transformation and rural social structure.*

¹ Assistant Professor, Department of Anthropology, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Post Hindi Vishwavidyalaya ,Gandhi hill. Wardha-442005 Maharashtra mob. No. 09545200077. Email- nisheeth.ra1@gmail.com

Findings and Conclusion-*The paper concludes by discussing the important changes occurred in the agrarian society like the changes in jajmani system, land ownership, loss of various folk arts etc. Lastly the paper presents a new concept of 'Farmer-Labour continuum' that is emerging due to impact of globalization in the rural agrarian society.*

Keyword- Farmer-Labour continuum, Wagemani System.

Introduction :

Anthropologist and Sociologist use the term agrarian society interchangeably with rural society. Both implies the same i.e. a small society (with some exception of affluent villages of Punjab), extending over a shorter physical area, low population density, more than 75% of population engaged in agriculture specially during the monsoon and sowing season and the people show conventionalized modes of behavior and thought. The behavior and thought that were established long ago are considered valuable and applicable at all times present and future. Majumdar (1958) defined it as *not merely a way of life but a constellation of values and as long as these values did not change the agrarian society will retain its identity.* Dube (1955) observes that no village in India is completely autonomous and independent, for it always exist as one unit in a wider social system. The agrarian society includes agriculturists, artisans, craftsman and other occupational groups dependent on agriculture directly or indirectly. All these views or accounts are 'Text view' because as soon as the researcher goes to the field he/she finds that the 'Field view' of the agrarian society is different and changed. However, one thing is common in field view and text view that agrarian societies are principally a food producing units which is agriculture based.

Agrarian societies produce not only for their own consumption and subsistence but also for service and manufacturing society which are non-food producing unit. One can imagine which society should be better paid 'a food producing agrarian society' or 'a software and machine producing service and manufacturing society'. The answer ironically is the later society because we believe that we can live without food but starve to death if we do not have machine and software. This is the dilemma of development, which creates confusion in fixing priorities.

The research on development (both social and economical) in India cannot be dealt without discussing the agrarian society. This is simply because 72.18% (20011 census) population still lives in rural India. The study of agrarian society is mainly the study of social groups connected with land and agriculture directly or indirectly. The societies around the agrarian society are changing and undergoing socio-culture transformation. The members of the agrarian society are not a mere, defenseless puppet stung along by fate, they are also changing. Thorner (1956) was among the

first to realize it. He argued that earlier structure of land relation and debt dependencies still prevail. The nature of property relations, the local values that relate social prestige negatively to physical labour, and the absence of any surplus with the actual cultivator for investment on land ultimately perpetuated stagnation. This complex of legal, economic and social relations uniquely typical to Indian agrarian society served to produce an effect that served as a '**built in depressor**'. The stagnation, built in depressor along with the commercialization of agriculture (production for market and land as commodity) reduced the share of workers in agriculture and increased the share of casual labourers. The growing social tensions and conflicts in various parts of the country are due to this abrupt change and inadequate technocratic approach to development.

Methodology :

With this background the aim of this paper is not to present an empirical study of agrarian society. Rather it is a conceptual study based on the observation and content analysis of various studies related to socio-cultural transformation of agrarian society. This also shows the limitation of this paper based on the secondary sources only.

Objectives :

The main objectives of this paper are 1.to raise some conceptual problem of studying an agrarian social structure 2. To describe the social structure of rural agrarian society existed at the time of independence 3. To present an account of the socio-cultural transformation that has occurred in the agrarian society and 4.To develop the concept of 'Farmer- labour continuum'.

Findings and Discussion :

1. Conceptual problem of studying an agrarian social structure-

Various studies have revealed that village community, family and caste are the basic concepts and components of the agrarian social structure which binds the economic and social life of people in the agrarian society. In order to understand the social structure of the agrarian society, various anthropologist and sociologist had given number of concepts. The diversity and contradiction in the concepts creates a problem among the researcher who wish to study agrarian society.

The study of the agrarian social structure is primarily the study of groups connected with land. How to identify these groups and what concept and categories to adopt in order to capture as many features of reality as possible? The first conceptual problem is the **frame of reference**. There is a tendency to apply the models used for studying agrarian conditions in totally dissimilar socio-economic conditions of the country under study. Like, Bhaduri (1984) saw agrarian relations as

a case of '**semi-feudal**' mode of production where the landlord virtually controlled everything through his monopoly over land and credit. Similarly, Bhardwaj (1974) observes the agrarian relations are structured around a network of unequal exchange relations between those who possessed land, labour and credit.

Thorner (1956) tried to conceptualize the agrarian structure on the basis of (i) the form of income derived from the soil,(ii) the type of right of the soil and (iii) the form of actual field work that is done. Thus the agrarian structure of India consist of three class **Maliks** (the landlords), **Kisan** (the working peasant) and **Mazdoors** (the labourers). Similarly, Srinivas (1955) conceptualized the structure on a framework of **patron-client relationships** and vertical ties between landlords and tenant, between master and servant and between creditor and debtor.

Gould (1959) suggested that agrarian society is both **centripetal** and **centrifugal**. Peasantry are 'self contained' and 'autonomous' and therefore centripetal. He also finds that they are dependent on the urban centers and hence centrifugal. He also identifies three sets of experiences- local reinforcing experiences represented by marriages, tradition reinforcing experiences represented by pilgrimage and modern reinforcing experiences represented by interaction with urban centers.

Joshi (1969) argue that the agrarian social structure must be viewed on the basis of property structure and productive activity. He further says that the productive activity is characterized by '**social existence form of labour power**'. Thus one must view agrarian society in terms of relationship existing between the masters of land and the actual producers.

The second conceptual problem is the use of **single frame of reference** for the study of the agrarian society for the country as a whole. The adoption of such concepts has blurred the perception that there are a certain fundamental differences characterizing the agrarian social structure in different regions of India. These differences are derived from differences of geographical, economical, socio-cultural and political factor.

Thus the researcher in the field faces the problem in the construction of conceptual and methodological frame of reference. Whether to study agrarian society as caste society or class society; Society having Feudal, semi-feudal relation or *Jajmani* relation; As an autonomous, self-sufficient society or a dependent, subservient society; a uniform, homogenous society or diversified, heterogeneous society.

2. The social structure of rural agrarian society existed at the time of independence-

At the time of independence the agrarian social structure was conceptualized as an aggregate of caste, each traditionally linked with an occupation. Mathur (1964) believes that the network of village in relation to the rituals tends to perpetuate the system of religious ideas and beliefs which maintains the efficient working of society in its traditional structure of caste system. Ghurye (1960) rightly stated that '*though it is the caste that is recognized by the society at large, but it is the sub-caste that is recognized by the individual*'.

Srinivas (1955) discussed about the 'horizontal solidarity' which is depicted in the dependence on co-caste fellows in other village for social, political and matrimonial purpose. He also discussed about the 'vertical solidarity' reflected in the dependency of castes on one another for various services living in one and same village.

At the time of independence various castes living in the village were interdependent because each one of them has a monopoly over an occupation. This interdependence is obtained in two ways (i) A caste provides its goods and services to other caste in exchange for instant payment in kind or cash and (ii) castes relation were supportive, group oriented, long term and continuing, they involve multiple bonds and were durable.

The durable relation between food-producing families and the families that supply them services is known as *jajmani* (term used by Wiser (1936)). The family which receives service is known as '*jajman*' and those who provides service is known as '*kamin*'. Those who do not work like landowners, occupy the highest position, those who works for themselves comes next and at the bottom were those families that 'work for others'.

The '*jajmani*' ties were in between particular families belonging to particular caste. It was hereditary i.e. various families belonging to various castes keep on providing services to particular agriculturist families generation after generation. The relation was exclusive as one family will carry out its relations with only one particular family of particular occupational caste.

Some anthropologist believes that the *jajmani* system was exploitative. As the '*jajman*' were invariably from the upper caste who seeks the service of the occupational caste '*kamin*' which belong to lower caste, without reciprocating adequately. The contrasting argument is *jajmani* system was functional. It gives security to the lower castes that they will never go hungry. For upper caste, it ensures uninterrupted services.

The familial ties of *jajmani* system were protected from generation to generation as they were based on the values of joint family. A joint family is an

aggregate of kinspersons who share a common residence, a common kitchen, a common purse including property, and a common set of religious objects. It has a depth of more than two generations living together. Joint families in India are *patrilineal*, *patrilocal* and *patriarchal* in majority of cases. It has been observed that upper castes, which are also land owners in many cases, have a higher proportion of joint families than the lower castes, the less propertied as well as the non-propertied ones, which tend to have a higher number of nuclear families. Undoubtedly, there is a direct relationship between the ownership of land and the joint family, because property remains one of the important unifying forces.

Thus the social structure of rural agrarian society at the time of independence was an aggregate of caste and sub-caste; having vertical and horizontal solidarity, linked with *jajmani* relations and based on the values of joint families.

3. Account of the socio-cultural transformation that has occurred in the agrarian society-

The detailed discussion of the two objectives has given some idea of the conceptual contrast and the social structure of the agrarian society. This will help in discussing how the socio-cultural transformation is taking place. I believe that *opportunity and ability tends to induce change*, they acts as a pulling factor of change whereas population growth, economic condition and changes in values and norms acts as pushing factor of change.

The social stratification based on the caste ranking and status of each caste is transforming. The status is now based on two criteria sacred and secular. The sacred status of caste is based on traditions and regulates the inter-caste relations. The secular status is acquired under modern conditions of living dependent on occupation, source and amount of income. The emphasis on secular status is destabilizing the long existed caste hierarchy. However the members of upper caste had tried to maintain their higher caste ranking by acquiring high secular status, yet if members of lower or middle caste acquire a high secular status, faction alliance formation occur leading to increase in tension and unrest. There was more incidence of cumulative inequality (overlapping of two statuses) earlier but now it is transformed into dispersed inequality (two statuses exist independently).

The sacred values and ideas are changing under the impact of new attitudes spreading in the youths of agrarian society. This transformation had adversely affected the integration of society. The breakdown of economic system and emergence of lower caste groups in secular status, brought rivalry instead of co-operation. Besides this widening of social relations outside the village have endangered the power of upper caste. This have affected the basis of social stratification and changed it from sacred to secular. The values and unity of the agrarian society are weakening along with the values of the joint families.

The ideal joint family is also transforming. The forces of development lead to occupational differences and geographical mobility. Members from the same family take up different occupations. Once this occurs, it becomes extremely difficult for brothers to live together; and being in different occupations, there is bound to be inequality in their respective earnings. Such a situation does not arise when they were all working as agriculturists on the same land, as whatever is produced is for the consumption of the entire family. This system works well in situations that do not have individualism and 'individual consciousness' is subordinated to 'collective consciousness'. With occupational differentiation crystallizes individualism and inequality, making it difficult for the joint family to continue undivided for years and years. Thus nuclear family comes as a functional alternative of joint family. Nuclear families emerging in India because of the breakup of joint families, are very different from the nuclear families in the Western world, where the expression 'nuclear family' implies a family that is 'structurally isolated', i.e. a family that has no dependency relations with any other family whatsoever. Indian nuclear families are still embedded in strong kin bonds; they are not isolated as are their counterparts in the West. In India people may live in nuclear families, but they are dependent on their relatives, living in different types of families, for varieties of help. Thus it is a sort of 'nuclear households' comprises of a man, his wife and their unmarried children. And each of these units has long-term, stable, and multiple relations of interdependence with their kinspersons.

When the joint families are changing, which are the core of the jajmani system, it also underwent transformation. It was a fact that not every caste of the village participated in this system. In addition to jajmani system there has always been contracted wage-labour type of ties between the providers of goods and services and their buyers. The introduction of market based cash economy has brought changes in the jajmani system. Beteille (1971) had also observed it in the form of process of formalization in the relation of land owning castes with village artisans and labourers. I believe that in the present market oriented scenario the jajmani system is now transformed itself into 'wageman system'. In this new wageman system deferred and periodical payment of kind is replaced by instant cash payment. The periodical payment of kind is only taking place at the time of marriages, Janeu, death rituals and festivals. Like the jajmani relations, wageman relations are also durable and continuing over generations. In the jajmani system the jajmans safeguards the interests and saves their kamins from exploitation at the hands of others likewise in the wageman system the patron help their client (kamin) in education, career counseling and even in getting jobs. Whenever the family union takes place in village during festivals and ceremonies the wageman partner are paid in kind. For any other works during the year there is cash transaction.

The families of both 'jajmans' and 'kamins' are migrating from the villages in search of new opportunities. With the increase in the cash economy, wage relations are increasing. However, these wage relations are different from those in urban societies. In urban societies, the relations are terminated after the transaction is over, but in rural societies, these relations are still durable. The durability of the relations is reflected at the time of marriages and rituals, where the dhobi, nau, kumharin, panihar, and other kamins are paid in cash in the form of 'neg' and in kind in the form of clothes and ornaments. The wageman system is providing some sort of functional unity in the village when 'collective consciousness' is subordinated to 'individual consciousness', and traditional values are decaying.

Thus the socio-cultural transformation in the agrarian societies had brought secular status in social stratification, dispersed inequality, rise in nuclear household and wageman system.

4. The Farmer –Labour Continuum-

In order to develop the concept of Farmer –Labour Continuum some operational definition of the terms used in developing the concept. The farmer and labour constitute two ends of the continuum. The connecting link between the two is the peasant. As per Dutt and Sundaram.(2002) 'A farmer is the one who owns a farm, necessarily more than one hectare; produce on a commercial basis, on a mass scale, with the basic objective of multiplying their gains. They are basically the land owning groups'. ' A Peasant is the one who may own a land necessarily less than one hectare or may not own a land; attached to soil, intend to produce primarily for their subsistence, sell whatever little surplus they have in the markets, they are in constant interaction with other communities and caste groups'. ' A labour is the one who does not possess any land, may or may not attach to agriculture activity. They do activities which involve physical activities (unskilled and unorganized) or mental activities (skilled and organized).'

The Farmer-Peasant –Labour Continuum is explained in detail in the table given below.

Table 1 Showing The Farmer-Peasant –Labour Continuum

S. No.	Characteristics	Farmer	Peasant		Labour
			Land owning less than 1 hectare	Landless	
1	Land owning	Owns land necessarily more than one hectare	Owns land necessarily less than one hectare i.e. marginal holding	Landless	Landless

2	Work for earning	Do not works for earnings but hire others for their works	Works for earning but not under others supervision. They work on their land or for themselves	Works for earning but under others supervision. They work on others land.	Works for earning but under others supervision. They work on others land and property.
3	Attitudes towards land	Reverent attitudes towards land but some time sell them for commercial purpose	Mostly commercial but sometimes shows Reverent attitude towards land	Landless hence no attitude towards land. But they desire to own land	Landless hence no attitude towards land.
4	Family	Joint Family	Nuclear household	Nuclear household	Nuclear household
5	Female work for earning	Female does not go outside for work	Female goes outside for work but on their own land	Female goes outside for work but on others land	Female goes outside for work but on others land and property.
6	Group structure	Heterogeneous group as upper caste and some other backward caste also forms this group	Comparatively less heterogeneous to farmer as comprise mainly of other backward caste and sometimes lower caste	Comparatively less heterogeneous to land owning peasants as comprise mainly of lower caste and sometimes other backward caste.	Homogenous group as mostly comprise of lower caste group.
7	Position in Jajmani system	Mostly Jajmans	Jajmans for landless group and Kamin for farmers	Mostly Kamin	Only kamin

8	Level of Production	Surplus production	Subsistence production	Work for wages	Work for wages
---	----------------------------	--------------------	------------------------	----------------	----------------

Source- Made by the author

The table clearly explains the concept of the Farmer-Peasant –Labour Continuum. There are eight characteristics on which this concept is based. It can be easily observed that the farmers are at the one end of the pole and the labours are on the opposite end of the pole. For example farmers are landowners and hire others for their earnings whereas labours are landless and work for wages under others supervision. The connecting link in between the two is the peasant group who possess the characteristics of both groups. With the impact of modernization and development the length of continuum pole is shrinking as the differences are diluting. The families of the landowning farmers are changing into nuclear households, this is leading into division of property and land and sometimes the portion of landholding comes below one hectare hence pesantization (i.e. transformation of farmer into a peasant society, or peasant economy; the process or result of becoming peasant in nature) is taking place. This is also forcing the farmers' men and women to work for earning, now they are also working under others supervision but mostly in skilled, organized service or manufacturing sector.

Conclusion :

It is generally believed that the process of development and agriculture modernization is accompanied by a change in the social relations of production, leading to freeing of agricultural labour from the relation of patronage and institutionalized dependencies. De-patronization has been experienced in farmer-labour relationship in village. The economic development involves a process of specialization and diversification in which trends towards decline in share of agriculture workforce and incline in non agricultural sectors. The two major changes that took place are: i) a reduction in the share of workers in agriculture particularly in the number of self-employed cultivators and ii) An increase in the share of casual labourers.

The factors which were responsible for the socio-cultural transformation of agrarian society are education, money economy, increasing population, crop failures, increased opportunities for occupational and spatial mobility outside market, urban employment and government programmes. The changing economic life of the agrarian society due to participation in the process of modernization has affected the entire way of life.

The Indian farmers are increasingly becoming outward looking orienting their needs to demands of the market rather than local conventions and earlier

traditions. Yet the impact of the change on different caste groups has been a differential one. This is the main reason why the changes in agriculture have not secured a better quality of life for all social categories.

References :

1. Beteille,A.(1972).*Inequality and Social change*. Delhi. University Press.
2. Bhaduri,A.(1984).*Economic structure of backward agriculture*. New Delhi: Macmillan India ltd.
3. Bhardwaj,K.(1974).*Production conditions in Indian Agriculture*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Dube,S.C.(1955). *Indian Village*.London: Routledge and K.Paul Publication.
5. Dutt, R., and K. P. M. Sundaram. "Indian Economy, S Chand & Co." Ltd., New Delhi (2002): 218-252.
6. Gould,H.A.(1959). *The Peasant Village: Centrifugal or Centripetal*.Eastern Anthropologist,Vol13,No.1.
7. Ghurye,G.S. (1960). *After a century and quarter*. Bombay: Popular Book Depot.
8. Joshi,P.(1969).*Agrarian social structure and social change*.Sankhya-The Indian Journal of Statistics. Vol.34, No.3/4.
9. Majumdar,D.N.(1958). *Caste and Communication in an Indian Village*. Calcutta: Asia Publishing House.
10. Mathur,K.S. (1964). *Caste and Rituals in Malwa village*.Bombay: Asia Publishing House.
11. Srinivas,M.N.(1955). *India's Village*(ed.).Calcutta: Asia Publishing House.
12. Thorner,D.(1956). *The Agrarian prospect in India*. Delhi: University Press.
13. Wiser,W.H.(1936). *Hindu Jajmani System*.Lucknow: Asia Publishing House.
14. http://www.dataforall.org/dashboard/censusinfoindia_pca/. Retrieved on 3/11/2016

Manuscript Timeline

Submitted : April 04, 2023

Accepted : May 02, 2023

Published : June 25, 2023

इब्राहिम अलकाज़ी के निर्देशन में अंधायुग की रंगमंचीय प्रस्तुतिडॉ. संजीव कुमार¹**सारांश**

इब्राहिम अलकाज़ी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सबसे लंबे समय तक निदेशक के पद पर रहे। उन्होंने गिरीश कर्नाड के 'तुगलक', मोहन राकेश के 'आषाढ़ के एक दिन' तथा धर्मवीर भारती के 'अंधायुग' जैसे लोकप्रिय नाटकों का मंचन किया। उन्होंने कलाकारों की कई पीढ़ियों को अभिनय की बारीकियां सिखाई। इन कलाकारों में नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी भी शामिल हैं। इब्राहिम अलकाज़ी ने अंधा युग की जो आलेखीय प्रस्तुति तैयार की है उससे निकलने वाले संकेत आधुनिक वैश्विक संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक सुविधाओं की यथार्थ अभिव्यक्ति जिस दृश्य बिंब के साथ उपस्थित होती है, वह कालजयी है। निर्देशक ने वर्तमान संकट बोध को अभिव्यक्ति देने के लिए ऐतिहास के पीठ पर वर्तमान को बोझ बनाकर नहीं रखा है, बल्कि कथा का हर बिंदु, हर संदर्भ, वर्तमान युग की समस्याओं और स्थितियों को संकेतित करता है।

शोध संक्षेपिका :- निर्देशक, आलेख, संवाद, प्रेक्षक, प्रस्तुति, नाट्यानुभूति, अभिनय, रंगशैली, नाटकीयता।

'अंधायुग' में महाकाव्यात्मक नाटकों जैसी विराटता को रंग प्रस्तुति में साकार करने के लिए वैसी ही शैली की जरूरी है। अलकाज़ी अपनी रंग प्रस्तुतियों में विराट परिकल्पना को रूपायित करने के लिए विख्यात रहे हैं। 'अंधायुग' के रंग प्रयोग में नाट्य कृति की विशालता के साथ निर्देशक की विशाल परिकल्पना एकाकार हो गई। उनके इस रंग प्रयोग ने हिंदी रंगमंच के एक नए तेवर को सूचित किया। निर्देशक ने 'अंधायुग' के मंचन के लिए फिरोजशाह कोटला के ऐतिहासिक प्राचीर को चुना। रंगमंच के लिए ऐतिहासिक खंडहर का चुनाव अपने आप में मौलिक और विशिष्ट है। इस संदर्भ में उन्होंने एक साक्षात्कार में लिखा है, "मैं स्वभाव से घुमक्कड़ हूँ, मैं दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों में बहुत घुमा फिरा हूँ, मैं उनके वस्तुशिल्प की बारीकियों में गया हूँ, मैं उनके ऐतिहासिक ब्यौरों में गया हूँ और सोचता रहा हूँ कि नाटक के लिए इनकी पृष्ठभूमि कितनी भव्य रहेगी। नाट्य प्रदर्शन के लिए इनका उपयोग कितना शानदार होगा। फिरोजशाह कोटला मैदान की भव्य पृष्ठभूमि मुझे 'अंधायुग' की प्रस्तुति के लिए शानदार लगी और शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय की श्रीमती शारदा राव ने मुझ वहाँ मंचन की अनुमति दी। और यह नाटक भी अपनी महाकाव्यात्मक परिकल्पना, उत्कृष्ट काव्य, कोरस तथा कथागायकों के कारण और अन्य नाटकीय गुणों से भरपूर होने के कारण यहाँ सेटिंग में अच्छी व्यवस्थित हो गया। इस नाटक के यहाँ वातावरण में अपने को

¹ एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी), दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉर्मस (दिल्ली विश्वविद्यालय)
ईमेल-

ढाल बुन लिया। नाटक महाकाव्यात्मक होने के कारण महाकाव्यात्मक स्तर का भव्य मंच भी माँगता था। नाटक को महाकाव्यात्मक स्तर पर खेलना जरूरी था।”¹

इस पूरे उद्धरण को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि महाकाव्यात्मक कलेवर में नाटक के टैक्स्ट की प्रस्तुति के लिए जो संरचना निर्देशक के मानस में निर्मित हुई उसे प्रोसीनियम रंगमंच के बंद वातावरण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। उसके लिए रंगमंच की मुक्तता पहली शर्त थी। निर्देशक की परिकल्पना में नाट्य पाठ की अंतर्वस्तु की टूटी मानवीय संवेदना को फिरोजशाह के खंडहर के दूह, टूटी मीनारों और दीवारों की भग्नता के साथ एकाकार हो गए। पुरानी प्राचीरों से घिरे आँगन को अभिनय स्थल बनाया गया। उस तक जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं। दीवर के मुँडे पर प्रहरी का पहरा था। खंडहर की रक्षा के लिए उनका तैनात होना ही उनकी व्यर्थताबोध को दृश्यात्मक आयाम देता था। साथ ही जीवन की विराटता के खंडित और चूर होने का भाव अधिक रहा। प्रस्तुति आलेख की यह दृश्य संवेदना मौलिक थी।

निर्देशक द्वारा ऐतिहासिक खंडहर को चुनने का रहस्य उसके भव्य अर्थ के समझने पर ही स्पष्ट होता है। वस्तुतः खंडहर के पत्थर को छूने का मतलब है शाश्वत के एक टुकड़े को स्पर्श करना। निर्मल वर्मा के लेख ‘पत्थर और बहता पानी’ के गद्यांश को उद्धृत करके बात को और अधिक स्पष्टता से समझा जा सकता है। उन्हीं के शब्दों में, “किंतु समय की एक सीमा के बाद जिसे हम इतिहास मानते आये थे, वह प्रकृति का ही हिस्सा जान पड़ता है, इसका अहसास जितना पुराने खंडहरों में धूमते हुए होता है।

शायद कहीं और नहीं। दिल्ली के पुराने किले में पत्थर के दूह, आधी टूटी मीनारों, दीवारों के भग्न झरोखे इतने चिरंतन समय की आपाधापी से इतना दूर जान पड़ते हैं कि वह प्रश्न बिलकुल अर्थहीन जान पड़ता है कि उसे पांडवों ने बनाया था या हुमायूँ ने। ये दूह उतने ही शाश्वत, उतने ही प्राकृतिक जान पड़ते हैं, जितना शिमला के पहाड़, पहाड़ों के बीच लेटी हई घाटियाँ। ...समय बीतने के साथ ताज की ऐतिहासिक स्मृति एक ऐसे मिथक क्षण में धुल-मिल गयी है, जहाँ सिर्फ देखना, अनुभव करना प्रेम करना और खो देना ही बाकी रह जाता है।”²

निर्देशक अलकाज़ी ने इसी मिथकीय नाट्यानुभूति को प्राप्त करने के लिए खंडहर की पृष्ठभूमि को आधार बनाया। खंडहर के पत्थरों के नीचे दबी हुई गहरी उदासी से नाट्यवातावरण की मायूसी और मातम को मूर्त आकार मिल गया। इस नाट्य प्रस्तुति की मूल संवेदना महाभारत के भीषण नरसंहार के बाद की छायी हुई उदासी को प्रस्तुत करना था। इस नाट्य प्रभाव के बारे में अलकाज़ी का कथन है, “फिरोजशाह कोटला जैसे स्थल के चुनाव में मैंने बहुत सावधानी से काम लिया था। उसकी गणनचुंबी ऊबड़खाबड़ चेचकरु, डरी-डरी और जीर्ण-शीर्ण दीवरों आतंकित करने वाला उदास वातावरण पैदा करती है, यह सब इस नाटक के लिए एकदम उपयुक्त था। दरअसल सूर्य, वायु, वर्षा, अन्य प्राकृतिक तत्व पेड़ों और पत्थरों में समयान्तराल के साथ ऐसा गुण भर देते हैं, जो प्रेक्षागृह में बनावटी मंचसज्जा से कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की पृष्ठभूमि की प्रामाणिकता ही अभिनेता को स्वयं अपना सामना करने तथा ईमानदारी और प्रतिबद्धता से भरा

अभिनय करने के लिए विवश कर देती है। इसमें अभिनय, वेशभूषा और मेकअप आदि को लेकर किसी बनावट की गुंजाइश नहीं रहती।³

मानवीय पीड़ा और यातना की निर्दोष अभिव्यंजना के लिए इस रंगस्थल का विशिष्ट महत्व रहा। मूल नाटक के शब्द रंगस्थल के दृश्यत्व और अभिनय से जीवंत हो गए। रात्रि के अंधकार में खंडहर में उड़ते चमगादड़ और पक्षियों के चीख से आतंक की सृष्टि हुई। निर्देशक ने टूटे रथ के पहिए का केंद्रीय बिंब तथा अश्वथामा के हाँथ में जलती मशाल के प्रयोग से नाटक के दृश्य बिंब को गहरा प्रतीक बनाया। इन प्रतीकों में नाटक की अंतर्वस्तु को संप्रेषित करने की पूरी क्षमता थी। प्रस्तुति में जीर्ण-शीर्ण खंडहर की दीवार पर लगा हुआ टूटे रथ का पहिया नैतिकता और मानवीयता के लहूलुहान क्षत विक्षित होने की कहानी कहता था। इस नाटक के साक्षी एक प्रेक्षक अरविंद कुमार के शब्दों में, “भग्नता भव्यता की प्रतीति को प्रबलित करने के लिए अग्रभूमि में किसी पौराणिक रथ के जैसा एक बड़ा लेकिन टूटा पहिया खड़ा किया गया था। बिना कुछ कहे यह दर्शकों के मन में महारथी कर्ण के रथ का टूटा पहिया बन जाता था उस अंधेयुग के मानव मूल्यों के विघटन की प्रतिमा, मानव के नैतिक भ्रंश का मुखर प्रतीक।”⁴ इसी प्रकार हाथ की मशाल का संदर्भ निराला की कविता ‘राम की शक्ति पूजा’ की पंक्ति केवल जलती मशाले की अपराजेयता से जोड़ा जा सकता है। नाट्य प्रस्तुति में धूसर रंगों के प्रयोग द्वारा मानसिक विषाद और संताप की तीव्र और सघन नाट्यानुभूति रची गई।

अभिनय के लिए निर्देशक ने मनोभावों और मनोवेगों के आदिम रूप को पकड़ने का प्रयत्न किया। इनके आदिम रूप को रचने के लिए विशिष्ट मुद्रा और भंगिमा की जरूरत हुई। इस प्रकार की भंगिमा के लिए अलकाज़ी ने बाइबिल और भारत की शास्त्रीय कलाओं से प्रेरणा ग्रहण की। अलकाज़ी के शब्दों में, “मुझे इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई कि अभिनेताओं को मैं आदि रूप में ढलने के लिए प्रेरित करूँ। वे उन चरित्रों से साक्षात्कार के लिए स्वयं को उस ऊँचाई पर महसूस करें, जहाँ से वे चरित्र, नियति की ओर अनिवार्यतः दिखाई देते हैं। मैंने उनका ध्यान भारत के शास्त्रीय स्थापत्य तथा बाइबिल के चरित्रों और प्रसंगों की ओर खींचा। प्रेरणा के इन दोनों स्रोतों ने अलग-अलग ढंग से काम किया। भारत के शास्त्रीय तथा बौद्ध स्थापत्य की ललित और धीर शैली से उन्होंने मानवीय कर्म की चंचलता से विश्रांति की अनुभूति प्राप्त की। अपेक्षाकृत अधिक यथार्थवादी पश्चिमी कला जैसे गांधारी और धृतराष्ट्र के रेम्ब्रां और गोया की ‘एचिंग ऑफ वार’ को हिंसा तथा अश्वथामा के लिए देलाकुआ के युद्ध दृश्य से उन्होंने मध्यगति की पहुँच तथा शक्ति की पहचान पाई।”⁵

निर्देशक ने केवल महाकाव्यात्मक रंगमंच को ही नहीं खोजा अपितु उसके अनुकूल एक विशिष्ट प्रकार की गति मुद्रा और भावाभिव्यंजना की भी रचना की। इसके लिए उन्होंने विविध प्रकार की चित्रकला, मूर्तिकला और महाकाव्य के बिंबों के माध्यम से भंगिमाओं और मुद्राओं की विराटता को रचा। वस्तुतः हर युग में भाव के अनुभव करने के तरीके के साथ में अभिव्यंजना के तरीके भी परिवर्तित होते जाते हैं। आधुनिक युग की मुद्राओं में पौराणिक पात्रों के आवेग के भार को वहन करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए आधुनिक

युग की चंचल और गतिशील मुद्रा के स्थान पर भाव की तटस्थ और उदात्त व्यंजना को मूर्त रूप दिया गया था। पौराणिक पात्रों में भावावेग की आदिम अनगढ़ता के साथ गंभीर तटस्थता होती है। इसलिए निर्देशक को विश्रांति के द्वारा भाव की स्वच्छ और निर्दोष अभिव्यंजना संभव लगी। पात्रों के विविध मनोवेगों को रचने के लिए योरोपीय चित्रकला से भी पात्रों की गतियों की प्रेरणा ली गई और इन गतियों ने प्रेक्षक की अनुभूति को मौलिक रूप से स्पंदित किया।

अलकाज़ी ने पार्श्व प्रभाव से आदिम बोध को सक्रिय रखने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शास्त्रीय संगीत के अभिजात को ग्रहण नहीं किया क्योंकि शास्त्रीय संगीत जीवन से निरपेक्ष होकर आध्यात्मिक अनुभूति को संप्रेषित करता है। उन्होंने जनजातीय संगीत की नाद ध्वनि और चीख से भावों को दर्शाया जिससे आलेख को आदिम जीवन के निकट ले जाने का प्रयत्न किया। स्वयं निर्देशक के शब्दों में “संगीत के लिए मैंने शास्त्रीय शैली को नहीं अपनाया क्योंकि आलाप मुझे बहुत मंजा हुआ और अभिजात लगा। इसके स्थान पर हमने आदिम ध्वनियों वाले लोक और जनजातीय संगीत को चुना क्योंकि उसमें भीड़ शोर और मनुष्य की दबी घुटी चीखों की प्रतिध्वनि का आभास मिलता था”⁶

प्रेक्षक भी नाट्य प्रस्तुति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नाट्य प्रस्तुति का प्रभाव उसी से आंका जाता है। इस प्रस्तुति के दर्शक अरविंद कुमार का वक्तव्य है, “अगर भौतिक विराट अलकाज़ी के नेतृत्व में तैयार किया गया था तो इतिहास की भग्नता का भाव पक्ष भारती जी की कृति में पहले से मौजूद था। जो विशाल धरातल तैयार किया गया था, वह अभिनय कर्मियों को पात्रों के अनुभवों को सजीव करने की खुली प्रेरणा दे रहा था। वे स्वयं कुछ ऐतिहासिक कर दिखाने के बोध से अनुप्राणित थे। विशाल के बीच जब वे चलते फिरते या संवाद बोलते थे, तो सशक्त कथ्य विराट बनने लगता। इस बिगनैस को इस बृहदता को रेखांकित करती थी पात्रों के संवाद की उच्चारण शैली। गतिशील पौरुषेय गद्य जैसा काव्य का यति और आधात सहित चमत्कारी वाचन। काव्य होते हुए भी वास्तव में यह लयबद्ध काव्य वाचन नहीं था। इसमें ओत-प्रोत लय थी-संवाद 2 इस उद्धरण में प्रेक्षक ने प्रस्तुति आलेख की विराटता के साथ संवाद शैली और रंग भाषण की बारीकियों से परिचित कराया। भारती ने गद्य-पद्य के बीच की अवस्था में संवाद को रखने का प्रयास किया। गद्य के ठोसपन और पद्य की तरलता से रंगभाषण को तराशा गया। इसलिए प्रस्तुति आलेख की संवाद शैली मूल नाटक की प्रकृति के अनुकूल थी।

समग्र रूप में अलकाज़ी द्वारा ‘अंधायुग’ का निर्देशन प्रस्तुति के इतिहास में महाकाव्यीय परिकल्पना के लिए जाना जाता है। लेकिन इस नाट्य प्रस्तुति को मात्र विराटता के आधार पर ही मूल्यांकन नहीं कर सकते प्रस्तुति में भव्यता और विलक्षणता के साथ साथ अभिनय और रंगभाषण की सूक्ष्मता भी समाविष्ट थी। यदि इस नाट्य प्रस्तुति ने रहस्यात्मक और मिथकीय नाट्यानुभूति को पैदा किया तो उसमें विभिन्न रंग तत्वों के आनुपातित सम्मिश्रण की भूमिका का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अलकाज़ी के शब्दों में, “प्रस्तुति में सभी कुछ अनुपात के प्रश्न में ढल जाता है मानव आकृतियों का अनुपात, पीछे की ओर आकाश चूमती दीवारों की जड़ से उठती ऊँची सीढ़ियों के सामने दस फुट के पहिये का अनुपात, इन सबके

संदर्भ में अभिनेता की मुद्राओं का अभिनीत चरित्रों और खुले वातावरण की सापेक्षता में बिना प्रभाव नष्ट किए उच्चारित शब्दों से संयुक्त मानवी आवाज (जिसे माइक्रोफोन के प्रयोग से विकृत नहीं किया गया था) आदि का अनुपाता”⁷

इस नाटक को अलकाजी ने पुनर्मिचित किया। इस बार भी उन्होंने रंगस्थल के तौर पर ऐतिहासिक खंडहर ही चुना परंतु इस बार ऐतिहासिक खंडहर तालकटोरा का था। फिरोजशाह कोटला में इसके मंचन से यह प्रस्तुति एकदम भिन्न थी। फिरोजशाह कोटला की प्रस्तुति में यदि विराटता थी तो इस प्रस्तुति में उन्मुक्तता अधिक थी। फिरोजशाह कोटला में खंडहरों का बहुधरातलीय उपयोग हुआ जिन्हें सीढ़ियों द्वारा जोड़ा गया था। इसलिए रंगस्थल में प्रस्तुति का स्वरूप उर्ध्वमुखी बना इसमें एक प्रकार की कसावट भी थी। तालकटोरा में टैक्स्ट को अभिनय द्वारा विस्तार दिया गया। इसलिए प्रस्तुति में उन्मुक्तता थी जिससे प्रस्तुति आलेख में भी लोकरंगशैली का प्रभाव प्रेक्षकों को अनुभव हुआ।

तालकटोरा के खंडहरों के बीच एक बुर्ज, टूटे दरवाजे, सीढ़ियाँ, रथचक्र वाले खुले मंच पर नाटक की प्रस्तुति की गई थी। रंगमंच के मूल स्थापत्य को टूटा-फूटा और जीर्णशीर्ण रखकर उन्होंने नाटक के मूल मंतव्य को स्पष्ट किया। रंग स्थापत्य का खंडहर होना मानवीय मूल्य और नैतिक ध्वंस की कहानी कहता था। नाटक के बिंब में जीवन और संस्कृति के ह्वास को संकेतित किया गया। लेकिन नाट्य प्रस्तुति को निर्देशक ने अनुष्ठानिक रूप दिया। इस प्रस्तुति के साक्षी एक प्रबुद्ध प्रेक्षक सुरेश अवस्थी के मत में, “वे जुलूस शैली के रंगमंचीय प्रदर्शन के तत्वों और रूढ़ियों का प्रयोग करते हैं, जिनका प्रचलन आज भी जुलूस शैली के नाटक रामलीला में हम देख सकते हैं। उनका बहुधरातलीय और बहुस्थलीय रंगमंच तथा रंगमंच बाध्य क्षेत्र का गौण अभिनय क्षेत्रों के रूप में प्रयोग लोकनाट्य रूपों की प्रदर्शन शैलियों के बहुत निकट है।”⁸ वस्तुतः जुलूस शैली का प्रयोग रामलीला में होता है, जिसमें किसी एक अभिनेता की विशिष्टता प्रमाणित नहीं होती है। अभिनेताओं के समूह से प्रस्तुति की रचना की जाती है।

पारंपरिक रूप गठन का प्रभाव ‘अंधायुग’ नाटक के मूलपाठ में विद्यमान है। भारती ने स्वयं स्वीकार किया है कि रामलीला के स्थापत्य का प्रभाव नाटक पर पड़ा है। निर्देशक ने नाटककार की इस रंगदृष्टि को प्रस्तुति में सुरक्षित रखते हुए जुलूस शैली के प्रयोग के साथ गीत संगीत और अनुष्ठानिक तत्वों का प्रयोग भी किया। लेकिन प्रस्तुति आलेख में एक अंतर्विरोध भी दिखाई दिया। प्रस्तुति का स्वरूप अनुष्ठानिक और पारंपरिक था। इस रंग शैली अभिनेता के व्यक्तिगत महत्व की अपेक्षा उसके सामूहिक रूप का महत्व अधिक होता है। इस प्रस्तुति में प्रेक्षक के मन में जिन नाट्यबिंबों की स्मृति है, उसमें गांधारी के शाप, अश्वत्थामा की प्रतिहिसा, अंधेरे कोहरे में से फूटते स्निग्ध किरणों के प्रकाश के साथ बाँसुरी की कोमल तान और नेपथ्य से आती कृष्ण के शाप स्वीकार की शांत और गंभीर ध्वनि की है। इस प्रकार के दृश्य बिंब यहं सूचित करते हैं कि नाटक में व्यक्तिगत अभिनय की विशेषताओं का प्रभाव ही समान प्रधान अधिक रहा होगा। प्रस्तुति आलेख और अभिनय की शैली के बीच एक प्रकार का तनाव भी उभरा होगा। फलस्वरूप समग्रता की

अपेक्षा नदी के द्वीप अभिनेताओं का अभिनय ही प्रभावी हुआ होगा। इसलिए प्रस्तुति की संरचना में से व्यक्तिगत अभिनय के प्रभावी अंश ही प्रेक्षक की स्मृति में जीवित रहे।

चूँकि इस प्रस्तुति में अश्वत्थामा के रूप में ओम शिवपुरी और गांधारी के रूप में सुधा शिवपुरी ने विशेष रूप से अपनी भूमिकाओं को रचा। अश्वत्थामा आक्रोश, क्रोध, विवशता और असहायता को अश्वत्थामा ने मूर्त रूप दिया। हाथों में जलती मशाल उसके अंदर में भरे प्रतिशोध को साकार कर रही थी। उन्होंने अपने आक्रोश को अभिव्यञ्जित करने के लिए हाँफते हुए संवाद बोलने की रोमन मुद्राओं को ग्रहण किया था। इस शैली के बारंबार प्रयोग से भाव परिवर्तन की तीव्र और सघन व्याख्या नहीं हो सकी। कई प्रस्तुति समीक्षाओं में इस पर टिप्पणी की गई। सुधा शिवपुरी के भावपूर्ण अभिनय में खोने की जितनी अधिक पीड़ा थी, उतनी प्रतिरोध और आक्रोश की प्रबलता की नहीं। जबकि इस प्रबलता के लिए कठोर दृढ़ निश्चयी इच्छा शक्ति का होना अनिवार्य था। इस प्रकार प्रस्तुति आलेख के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें गांधारी और अश्वत्थामा ही केंद्र बिंदु रहे होंगे। इन्हीं दो पात्रों के इर्द-गिर्द प्रस्तुति का संपूर्ण तनाव व्याप्त रहा होगा। वास्तव में ये अभिनेता और अभिनेत्री अपने सधे हुए अभिनय से नाटक की गति में अपना प्रभावपूर्ण योगदान देने के कारण प्रस्तुति में हावी होते रहे।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इस नाट्य प्रस्तुति के विषय में विस्तार से विवरण नहीं मिलता है। छिटपुट कुछ प्रस्तुति समीक्षा में नाटक की इस प्रस्तुति के विषय में कुछ सूत्र ज्ञात होता है। इसलिए इस पर कोई निर्णयात्मक टिप्पणी नहीं की जा सकती कि प्रस्तुति की क्या परिकल्पना रही? इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रस्तुति में पारंपरिक नाट्य संवेदना की भूमिका अग्रणी रही। ‘अंधायुग’ नाटक के मार्मिक प्रसंग की स्मृति प्रेक्षक में है। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि अभिनेताओं ने डूबकर अभिनय किया और प्रस्तुति में नाटक को नए संदर्भ में जीवित करने का प्रयत्न किया।

संदर्भ-ग्रंथ सूची :-

1. भारती, धर्मवीर. (1999). अंधायुग, किताब महल, इलाहाबाद
2. भारती, धर्मवीर. (सं. 2006). मानव मूल्य और साहित्य, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली
3. अग्रवाल, कुंवरजी. (1986). काशी का रंग परिवेश, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
4. माथुर, जगदीशचंद्र. (1969). पारंपरिक नाट्य, बिहार हिंदी राष्ट्रीय भाषा परिषद, पटना
5. तनेजा, जयदेव. (1992). अंधायुग पाठ और प्रदर्शन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
6. वर्मा, निर्मल. (1976). शब्द और स्मृति, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
7. रंग प्रसंग, (1998). अंक-1, जनवरी-जून

¹ ‘रंग प्रसंग’, अंक-1, जनवरी - जून 1998, पृ. 36

² निर्मल वर्मा : ‘शब्द और स्मृति’, पृ. 94

³ ‘रंग प्रसंग’, अंक 7 जनवरी-जून 2001, पृ. 58

कुमार, संजीब. (2023, अप्रैल-जून). इब्राहिम अलकाजी के निर्देशन में अंधायुग की रंगमंचीय प्रस्तुति. *The Equanimist*, वाल्यूम 9, अंक 2. पृ. सं. 12-18.

⁴ 'रंग प्रसंग', अंक 7 जनवरी-जून 2001, पृ. 58

⁵ वही, पृ. 55

⁶ 'रंग प्रसंग', अंक 7 जनवरी-जून 2001, पृ. 62

⁷ 'रंग प्रसंग', अंक 7 जनवरी-जून 2001, पृ. 64

⁸ जयदेव तनेजा : अंधायुग पाठ और प्रदर्शन', पृ. 130

Manuscript Timeline*Submitted : April 14, 2023**Accepted : May 02, 2023**Published : June 25, 2023***स्वाधीन भारत के निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल की ऐतिहासिक भूमिका****डॉ. कुलदीप कुमार पाण्डेय¹**

सरदार वल्लभभाई पटेल आधुनिक भारत के निर्माता थे जिस भारत को आज हम देख पा रहे हैं वह सन् 1947 या स्वाधीनता के समय वैसा नहीं था। यह वह समय था जब भारत अंग्रेजों से तो स्वाधीनता अर्जित कर रहा था पर कई देसी गाजे रखवाड़े अब भी अपनी प्रजा को स्वाधीनता देने के पक्ष में नहीं थे और न हीं भारतीय संघ में अपने विलय को तैयार थे। स्वाधीनता के समय हमारी स्थिति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मगाध जैसी थी जिस पर कोई बाहरी आक्रमण करने की फ़िराक़ में था ऐसे समय में हमें एक चाणक्य की आवश्यकता थी जो भारत को पुनः एक सूत्र में बाँधे।

देश की जनता बारदोली (1927-28) में सरदार पटेल की कर्मठता और देश के प्रति उनकी निष्ठा एवं किसी भी परिस्थिति से लोहा लेते हुए उसके आगे नतमस्तक न होने वाली उनकी दृष्टि से परिचित थी। इसलिए देश की प्रजा का भरोसा सरदार पटेल पर था। भारतीय जनता वल्लभभाई पटेल को राष्ट्र की सरदारी देने की इच्छुक भी थी लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से परे थे उनकी दृष्टि पद की तरफ न होकर राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की ओर थी। उन्हें किसी भी पद की लालसा कभी नहीं थी, वे हर पद और कद से ऊपर राष्ट्र को समझते थे और पद को जिम्मेदारी एवं दायित्व के रूप में लेते थे। यही कारण है कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी वे देश को एकीकृत करने की अपनी महत्ती योजना पर काम कर रहे थे। स्वयं गांधी जी भी खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह में वल्लभभाई की कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता, निरता और राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम को देख चुके थे, वे उनकी क्षमताओं से परिचित थे। वे जानते थे कि सरदार वल्लभभाई पटेल अपने काम को सिर्फ़ कर्मठता से ही नहीं बल्कि चतुराई और कूटनीति से अंजाम देना जानते हैं। इसलिए भारतभूमि का प्रधानमंत्री भले ही जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया हो पर असल में भारतभूमि को राष्ट्र के रूप में एकीकृत कर भारत के रूप में पहचान दिलाने में तत्कालीन गृहमंत्री एवं उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की ऐतिहासिक भूमिका है।

सिर्फ़ विचार कर देखिए सन् 1947 का भारत कैसा था? एक धड़ जिसके कई टुकड़े थे जो उससे अलग होने को बेचैन थे। कल्पना मात्र से आत्मा काँप जाती है। जिस भारत को आज हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने में गौरवांवित महसूस करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि अगर सरदार वल्लभभाई पटेल न होते तो इस देश का इतिहास क्या होता। आइए जाने हमारे भारत देश की इस महान विभूति को जिसे राष्ट्र के

¹ संपादकीय सहयोगी, हिंदी समय डॉट कॉम, प्रकाशन विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा- 442001, महाराष्ट्र (भारत).

ईमेल- kuldeep.ramjas.du@gmail.com, संपर्क सूत्र - +919910123663, +919130787502

मुख्य पटल से हटाने की कोशिश तो बहुत की गई ताकि कुछ खोखले नाम मुख्य पटल पर आ सकें पर जो लोगों के दिलों पर राज करता है जिसका वास राष्ट्र की जनता के हृदय में होता है, उसे किसी पद, पुस्तक, ग्रंथ या इतिहास से हटाने या उसका कद छोटा करने की हर कोशिश उल्टी ही पड़ती है।

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर, 1875 ई. में अपने ननिहाल नडियाड में हुआ था। इनके पिता झवेरभाई पटेल राष्ट्रभक्त और समाजसेवी थे तथा माँ आस्थावान और कुशल गृहिणी थी। बचपन से ही पढ़ाई में बेहद कुशाग्र और अपनी तर्क शक्ति से अपने अध्यापकों को भी चकित करने वाले वल्लभभाई गांधी जी के संपर्क में सन् 1916-17 में आए ध्यान देने वाली बात है कि भारत में गांधी जी का राजनीतिक जीवन भी इसी वर्ष के आसपास आरंभ होता है। एक अर्थ में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल दोनों का ही राजनीतिक जीवन साथ-साथ आरंभ होता है। दोनों ही बैरिस्टर की शिक्षा विदेश में अर्जित करते हैं और दोनों ही एक ही क्षेत्र गुजरात से संबंध रखते हैं। अगर इसे अतिशयोक्ति न माना जाए तो कहना होगा कि देश की आज्ञादी और विकास में गुजराती आधार स्तंभ की तरह काम करते हैं। स्वाधीनता की इमारत इन्हीं आधार स्तंभों पर टिकी हुई हैं जिसमें समय के साथ-साथ और स्तंभ भी खड़े होते चले गए।

बहरहाल इन दो महान विभूतियों की तुलना करने का एक मात्र लक्ष्य यह था कि इस देश के लोकतंत्र और मानस को समझा जा सके। यह समझा जा सके कि भारत का मानस त्वरित क्रिया प्रभाव से नहीं जन्मा है बल्कि हमने अपनी बुद्धि और कुशाग्रता से दुश्मन के दाँत खड़े करने की अदम्य शक्ति अर्जित की है। इस शक्ति के दर्शन हमें स्वाधीनता के बाद मिली चुनौतियों से लड़ने और उन पर विजय पाने में होते हैं। यकीन मानिए जितना ही कठिन काम स्वाधीनता को पाना था, स्वाधीनता मिलने के बाद हुए विभाजित भारत को एक सूत्र में बांधना वो भी बिना कोई रक्तपात किए और अपना कोई संसाधन नष्ट किए, नाकों चने चबाने वाला दुष्कर कार्य था। एक ओर भारत सैंकड़ों वर्षों की गुलामी और अथाह रक्तपात और संसाधनों को नष्ट करने के उपरांत स्वाधीन हो सका वहीं, दूसरी ओर भारतभूमि को एकसूत्र में बांधने जैसे नामुमकिन कार्य को भारत के शेर सरदार वल्लभभाई पटेल ने बिना किसी तरह के रक्तपात के भारत को एक राष्ट्र के रूप में विश्वपटल पर पहचान दिलाई।

सही मायने में सरदार वल्लभभाई पटेल भारत में चाणक्य की भाँति निस्वार्थ राष्ट्रप्रेम से प्रेरित, बिना अपने स्वास्थ्य की चिंता किए लड़ने वाले एक निष्ठावान, कर्मठ, देशरत्न, लौहपुरुष और निस्वार्थ नायक थे। इसलिए भारतीय उन्हें अपना सरदार स्वीकारते हैं जिन्होंने भारतभूमि को सही मायने में भारत बनाया। एक राष्ट्र को एक झंडे के नीचे लाने में उनकी ऐतिहासिक भूमिका है।

स्वाधीनता से पहले के काम सिर्फ एक खाका है उनकी ऐतिहासिक भूमिका उनके उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री बनने के बाद शुरू होती है। सही मायने में यह किसी तरह की भूमिका या प्रतिष्ठा नहीं बल्कि उस समय का सर्वाधिक काँटों भरा दायित्व था। स्वयं नेहरू ने भी इस बात को संविधान सभा में स्वीकारा था और

कहा था कि “छः महीन पहले मैं भी नहीं कह सकता था कि आज जो सैकड़ों साल पुरानी सामंतशाही उखड़ रही है वह इतनी आसानी से उखड़ जाएगी। इस टेढ़ी और कठिन स्थिति से निपटने के विषय में हमारे ऊपर मेरे मिन्त्र व सहयोगी उपप्रधानमंत्री (सरदार पटेल) का आभार है। पाकिस्तान बनने के बाद भारत को विशाल भारत बनाने में सरदार पटेल का योगदान इतिहास में सदा स्मरण किया जाएगा।” इस चुनौतीपूर्ण कार्य को उन्होंने चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में लिया और भारत की आजादी के साथ ही वे इस बिखरे भारत को एकीकृत भारत बनाने की अपनी योजना पर काम करने लगे।

भारतीय लोकतंत्र और देसी रियासतों का भारत में विलय

जिस समय भारत स्वाधीन हुआ उस वक्त भारत में पाँच सौ से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं। ये सभी रियासतें अंग्रेजी राज के अंदर भी अपनी प्रजा की राजा बनी हुईं थीं। इनके राजसी ठाट-बाट से अंग्रेजों को भी कोई दिक्कत नहीं थी बस उन्हें समय से कर मिलता रहता था और ये राजा अंग्रेजों के कहने पर अपनी प्रजा पर कर का भार बढ़ाते रहते थे। इन छोटी रियासतों के राजाओं की मंशा थी कि भारत आजादी के बाद भी उनकी रियासतों को उनके मातहत ही रखें। पर इसके कई संकट थे अंग्रेज जिस रूप में भारत को अधर में छोड़े जा रहे थे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार रियासतों के शासकों पर निर्भर था कि वे भारत या पाकिस्तान किसमें अपना विलय करें।

स्वाधीनता के तुरंत बाद जो दो सबसे दुष्कर कार्य थे उनमें पहला था भारत को इन छोटे राजे-रजवाड़ों से मुक्त कर भारत का एकीकरण करना और दूसरा, आम चुनाव कराना। पर पहले काम के बिना दूसरा संभव ही नहीं था। इसलिए बिना एकीकरण के लोकतंत्र की संभावना भी खत्म होने का खतरा था। इसलिए भी हम सरदार वल्लभभाई पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्माता भी मानते हैं। बहरहाल ज्यादातर रियासतें भारत के साथ विलय के पक्ष में आ गईं। कुछ रियासतें प्यार से और कुछ रियासतें बाहरी आक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखकर भारत में अपने विलय के लिए तैयार हो गईं। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर रियासतों के विलय में सर्वाधिक अड़चन आई थी।

पटेल की राष्ट्रवादी भूमिका और चुनौतीपूर्ण रियासतों का विलय

स्वतंत्रता के समय भारत के अंदर तीन तरह के क्षेत्र थे। पहला, ब्रिटिश भारत का क्षेत्र जो भारत के गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण में थे। दूसरा, देशी राज्य जिन्हें प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। तीसरे, फ्रांस और पुर्तगाल के अधीन (पांडिचेरी, गोवा, चंदन नगर आदि) क्षेत्र थे। रियासतों के एकीकरण का काम स्वाधीनता से पहले ही आरंभ हो चुका था। 27 जून 1947 को माउंटबेटन ने सरदार पटेल के नेतृत्व में राज्य विभाग का पुनर्गठन किया जिसके लिए सरदार पटेल ने वी.पी. मेनन को अपने सलाहकार और सहयोगी के रूप में चुना जो पटेल की ही तरह बेहद चतुर, कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी व्यक्ति थे। जल्द ही 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों को तीन शर्तों के साथ भारत में विलय का निमंत्रण दिया जिसके अनुसार तमाम रियासतें की प्रतिरक्षा, संचार और विदेश नीति का दायित्व भारत सरकार संभालेगी और राजस्व आदि उनके

पास ही रहेंगे। इस निमंत्रण और माउंटबेटन के संबोधन का असर यह रहा कि 15 अगस्त 1947 आते-आते लगभग सभी राजा और नवाबों ने विलय की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। कुछ राज्य जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर अलग राज्य के रूप में रहने का सपना पाल रहे थे, इन पर पाकिस्तान की भी नज़र थी।

सरदार पटेल की कूटनीतिज्ञता : जूनागढ़ का विलय

अगर सरदार पटेल ने अपनी चुतुराई और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता न दिखाई होती तो जूनागढ़ भारत के हाथ से निकल सकता था। सरदार पटेल की ऐतिहासिक भूमिका इसमें भी निहित है कि वे अपनी दूरदर्शिता और कूटनीतिज्ञ चुतुराई से भारतीय संघ को मजबूती देने में विजयी रहे, कैसे उन्होंने जूनागढ़ जैसे राज्य का विलय कराया यह जितना चुनौतीपूर्ण था उतना ही दिलचस्प।

जूनागढ़ पश्चिम भारत के सौराष्ट्र इलाके का एक बड़ा राज्य था। वहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी। पर वहाँ का नवाब महावत खान था। जिन्ना और मुस्लिम लीग के इशारों पर जूनागढ़ के दीवान अल्लाह बख्श को अपदस्थ करके बेनजीर भुट्टो के दादा शाहनवाज़ भुट्टो को वहाँ का दीवान बनाया गया था। वहाँ के नवाब की जिन्ना के साथ नजदीकी भी जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जाने में सुझा रही थी। परंतु पटेल जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो जूनागढ़ की अधिकांश जनता के साथ धोखा होगा। सांप्रदायिक दंगे होंगे जिसमें लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। हालांकि शुरू में जिन्ना का जूनागढ़ को लेने का कोई खास झरादा नहीं था। जिन्ना संभवतः नेहरू के साथ जूनागढ़ के बहाने कश्मीर की सौदेबाज़ी करना चाहते थे। भुट्टो के दबाव के बाद महावत खान ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। वहाँ की जनता में खलबली मच गई, भारत सरकार से मदद माँगी गई। नेहरू यहाँ भी उदार दृष्टिकोण से काम ले रहे थे। पर पटेल का रुख सख्त था। नेहरू से मतभेद भी हुआ पर भारत ने सैनिक कार्यवाही की और जूनागढ़ के दो बड़े प्रांत, मांगरोल और बाबरियावाड़, पर ब्रिगेडियर गुरुदयाल सिंह के नेतृत्व में सेना भेजकर कब्जा कर लिया। तब कहीं जाकर जूनागढ़ का भारत में विलय हो सका। जूनागढ़ के विलय में सरदार पटेल ने सख्ती और कूटनीति से काम लिया। एक ओर उन्होंने मदद माँगने पर सैनिक भेजे और दूसरी ओर वी.पी. मैनन को महावत खान को समझाने के लिए भेजा। वे जानते थे कि दबाव में बातें जल्दी समझ में आती हैं। वी.पी. मैनन ने समझाया कि भारत में विलय उनके लिए कैसे ज्यादा उचित रहेगा। जनमत संग्रह के सहरे जूनागढ़ 20 फरवरी 1948 को भारतीय संघ का हिस्सा बना। पटेल जनमत संग्रह के लिए राजी ही इसलिए हुए थे क्योंकि वे जानते थे कि वहाँ की अस्सी प्रतिशत से ज्यादा आबादी हिंदू है। और उनके राजा से इतर उनकी निष्ठा भारत के साथ है। उन्हें पता था कि जनमत संग्रह कहाँ कराया जाना चाहिए और कहाँ नहीं। कश्मीर वाले मामले में जवाहरलाल नेहरू में इसकी बुनियादी रूप से कमी दिखती है। कश्मीर के संबंध में इसी भूल को आज तक ढोया गया। सरदार पटेल विलय से पहले राजा, जनता और सामरिक दृष्टिकोण का बारीकी से अध्ययन करने के पश्चात ही अपने वैचारिक अथवा सैनिक औजारों का प्रयोग करते थे। अर्थात् वे हर पुर्जे को खोलने के लिए अलग औजार का प्रयोग करते थे जो उनकी चुतुराई, कौटिल्य सूझबूझ और दूरदर्शिता का परिचायक है। उनकी यह खूबी उन्हें अपने समकालीन राजनेताओं से विशिष्ट बनाती है।

हैदराबाद का विलय

हैदराबाद काफी समृद्ध राज्य था, इसके निजाम के पास अकूत धन संपदा थी। यह उत्तर में मध्य प्रांत, पश्चिम में बॉम्बे और दक्षिण और पूर्व में मद्रास प्रांत से संबद्ध था। इसकी 85 फीसदी आबादी हिंदू थी पर सेना और शासन में मुसलमानों का दबबा था। हैदराबाद का निजाम दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल था और वह स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना चाहता था। जिसके लिए वह यूरोप से हथियार मंगा रहा था और भारत से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था। नेहरू हैदराबाद मामले का हल भी शांतिपूर्ण तरीके से चाहते थे। पर वो भूल रहे थे कि-

रुण होना चाहता कोई नहीं।
रोग लेकिन आ गया जब पास हो॥
तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या॥
शमित होगा वह नहीं मिष्ठान॥

- दिनकर

हैदराबाद में सब उल्टा चल रहा था, वहाँ रजाकारों का एक संगठन बन चुका था जो निजाम को सहायता पहुँचाने के लिए गैर मुस्लिमों पर हमले कर रहा था। इसका नेता कासिम रिजवी था जो रजाकारों का नेता था साथ ही नवाब बहादुर यार जंग जिसने मुसलमानों का एक संगठन मजलिस-ए-इत्तेहादी-ए-मुस्लमीन बनाया था। उसके मरने के बाद कासिम रिजवी इसका भी नेता बन बैठा जो वहाँ उन्माद फैला रहा था। यह एक अर्धसैनिक बल की तरह काम करता था जिसे रजाकार भी कहा जाता था और जिसे निजाम का समर्थन हासिल था। इसकी अति तब हो गई जब इस संगठन ने 22 मई को ट्रैन पर हिंदू लोगों पर हमला बोल दिया। इस घटना से पूरे देश में भारत सरकार की आलोचना होने लगी कि वह हैदराबाद के संबंध में कुछ ज्यादा ही नर्म रुख दिखा रही है। इस पर सरदार पटेल ने जनरल करियर्पा से सिर्फ एक सवाल पूछा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्यवाही होती है तो क्या वे किसी भी अतिरिक्त मदद के उन हालातों से निपट पाएंगे, जनरल करियर्पा ने हाँ कहा। इसके बाद सरदार पटेल ने त्वरित कार्यवाही करते हुए वहाँ सैनिक भेजे। इस कार्यवाही को लेकर नेहरू से पटेल के मतभेद भी रहे। पर यह सरदार पटेल की ही दूरदृष्टि थी जिससे आज हैदराबाद में कश्मीर जैसे हालात नहीं हैं पाँच दिनों तक भारतीय सेना और रजाकारों के बीच चले संघर्ष में 1373 रजाकार मारे गए, साथ हैदराबाद स्टेट के भी 807 जवान मारे गए, भारतीय सेना के भी 66 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 97 घायल हुए। पर विजय भारत की हुई और हैदराबाद का इस सख्त कार्यवाही के बाद भारत में विलय हो गया। इसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। हैदराबाद के पूरे मामले को देखें तो वहाँ सैनिक कार्यवाही अवश्यंभावी हो गई थी वरना हिंदू औरतों का बलात्कार और कत्लोआम किया जा रहा था। पटेल की कूटनीति यह थी कि वे बार बार कहते रहे कि यह पुलिस कार्यवाही है। वे जानते थे कि सैनिक कार्यवाही कहते ही बाकि देशों के शामिल होने का खतरा बन सकता था। ऐसे मामलों में सरदार पटेल अधिक सजग थे। जहाँ प्यार से काम बना उन्होंने बनाया, जहाँ फटकार से बना वहाँ फटकारने में भी गुरेज नहीं किया। हैदराबाद की कहानी का अंत भी सरदार पटेल ने अपनी शैली में किया। ध्यातव्य हो कि कासिम को पहले

जेल में डाल दिया गया और बाद में पाकिस्तान भेज दिया गया और जिन मुसलमानों के संगठन एमआईएम ने भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी वही आज एआईएमआईएम के नाम से चुनाव लड़ रहा है जिसे औवेसी भाई चलाते हैं।

कश्मीर : विवादों का दंश

भारत की स्वाधीनता के बाद जम्मू कश्मीर रियासत के डोगरा राजा महाराजा हरिसिंह ने भारत और पाकिस्तान किसी में भी विलय के लिए राज्ञीनामा नहीं दिया था लेकिन जब पाकिस्तानी कबाईली लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के सहयोग से कश्मीर की जनता पर हमला कर दिया और वहाँ कल्लेआम करना शुरू कर दिया तो वहाँ के शासक हरिसिंह ने भारत से मदद मांगी। पर सरदार पटेल ने अपने सचिव के माध्यम से साफ कहा कि पहले भारत में विलय करो। हरिसिंह असमंजस में पड़ गए पर परिस्थितियों को देखते हुए उसने 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसे 27 अक्टूबर को माउंटबेटन ने स्वीकृति दी। यहाँ तक तो सब ठीक था दिक्कत कहाँ पैदा हुई? हरिसिंह इस शंका से त्रस्त था कि कहीं भारत की फौज न आई तो उसका क्या होगा। उसने 26 अक्टूबर की रात अपने अंगरक्षक दीवान सिंह से कहा कि ‘मैं सोने जा रहा हूँ अगर कल सुबह तुम्हें श्रीनगर में भारतीय सैनिक विमानों की आवाज़ सुनाई न दे तो मुझे गोली मार देना।’ इस चिंता को स्वयं उसी ने पैदा किया था अपने आज्ञाद रहने के ख्याल की वजह से। कई कारणों की वजह से आज भी कश्मीर विवाद का हिस्सा बन गया, इसके मुख्य कारणों में जवाहरलाल नेहरू द्वारा बिना सरदार पटेल की सलाह के ऑल इंडिया रेडियो पर वहाँ जनमत संग्रह वाली बात कह देना और संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मुद्दे को ले जाना रहा। यह नेहरू की एक बड़ी कूटनीतिक भूल थी वरना इसका हल भी जूनागढ़ या हैदराबाद की तरह पटेल निकाल ही लेते।

कश्मीर के संबंध में सरदार पटेल की राय ज्यादा ठीक साबित लगती है। नेहरू जहाँ माउंटबेटन के प्रभाव में काम कर रहे थे वहीं सरदार पटेल अपनी दूरदर्शिता और कूटनीति से कश्मीर का विलय कराने के पक्ष में थे और वे इसमें काफी हद तक सफल भी रहे लेकिन जैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर जनमत संग्रह की घोषणा की और माउंटबेटन के कहने पर संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को ले गए। यह विलय विवाद बन गया जो आज तक चल रहा है। इस बीच पटेल का देहावसान हो गया और परिस्थितियाँ बिगड़ती चली गईं।

सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के सच्चे सपूत, देशभक्त, वाकचातुर्य, कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी थे जिनमें भारतीयता का मूल्य एकता उनकी धमनियों में रक्त बन बहता था। वे लौह पुरुष होने के साथ साथ भारत की एकता के प्रतीक पुरुष भी हैं। भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने एवं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक विशालकाय मूर्ति का निर्माण कराया जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया।

पाण्डेय, कुलदीप कुमार. (2023, अप्रैल-जून). स्वाधीन भारत के निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल की ऐतिहासिक भूमिका. *The Equanimist*, वाल्यूम 9, अंक 2. पृ. सं. 19-25.

संदर्भ सूची :-

1. जोशी, दिनकर. (2018). 'महामानव सरदार', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
2. चोपड़ा, पी.एन.(2016). 'मुसलमान और शरणार्थी', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
3. पोल, प्रशांत. (2019). 'वे पंद्रह दिन', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
4. सैनी, रेनू. (2019). 'लौह पुरुष सरदार पटेल के प्रेरक प्रसंग', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
5. शरण, गिरिराज. (2014). 'मैं पटेल बोल रहा हूँ', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
6. सेनगुप्ता, हिंडोल. (2019). 'अखंड भारत के शिल्पकार: सरदार पटेल' प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली

Manuscript Timeline*Submitted : April 18, 2023**Accepted : May 12, 2023**Published : June 25, 2023***सामाजिक सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर राष्ट्र**डॉ. सारिका राय शर्मा¹**पृष्ठभूमि-**

एक राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों की उन्नति और समृद्धि में निहित होती है। कोई भी राष्ट्र सामाजिक रूप से असुरक्षित नागरिकों के साथ विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। एजेंडा 2030 के तहत संधारणीय विकास लक्ष्य-1 गरीबी उन्मूलन है जिसके अंतर्गत व्यापक सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का क्रियान्वयन करना एक उद्देश्य है। अतः सामाजिक सुरक्षा संधारणीय विकास लक्ष्यों 2030 के अंतर्गत सम्मिलित है। भारत द्वारा संधारणीय विकास लक्ष्यों को वर्ष 2015 में स्वीकृत करते हुए सरकार ने सामाजिक लक्ष्य को भी एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में अपनाया है।

सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा-

सामाजिक सुरक्षा का सर्वप्रथम उल्लेख बेरेज समिति रिपोर्ट (1942) में मिलता है जहाँ इसे ‘आवश्यकताओं की स्वतंत्रता’ के रूप में वर्णित किया गया है और इसके प्रावधान रोज़गार, बच्चों के भत्ते और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित थे (मजूमदार एवं बारबोरा, 2013)। सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा का उल्लेख सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा (संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 21 क, 1948) के अनुच्छेद 22 में किया गया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ‘समाज के सदस्य के रूप में, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा का अधिकार है और वह राष्ट्रीय प्रयासों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रत्येक राज्य की संस्था तथा संसाधन, अर्थव्यवस्था, व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के माध्यम से और अपने व्यक्तित्व के मुक्तक विकास के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार रखता है। इस घोषणा के अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि ‘काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, यदि संभव हो तो सामाजिक सुरक्षा के किसी अन्य माध्यम द्वारा।’ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा के अनुच्छेद 22 को सामाजिक सुरक्षा का मूलभूत अधिकार माना जा सकता है (लहरिया, 2017)।

इसके बाद वर्ष 1952 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ने सामाजिक सुरक्षा को समझाते हुए इसे सामाजिक एवं आर्थिक संकट के विरुद्ध एक सुरक्षा कदम के रूप में प्रस्तावित किया परंतु इस परिभाषा की आलोचना ‘आय की स्थिरता’ तक सीमित होने के कारण की गई। जीन ड्रेज एवं अमर्त्य सेन (1989) के अनुसार विकासशील देशों में सामाजिक सुरक्षा को व्यापक रूप से देखने की अनिवार्यता है। इसकी संकल्पना सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम के रूप में की जानी चाहिए। इसकी

¹ सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा-442001.

अवधारणा तीन प्रकार से की जानी चाहिए: 1) विकासात्मक- आय में वृद्धि के उद्देश्य से, जैसे- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि; 2) निवारक- आर्थिक संकट को रोकने के उद्देश्य से, जैसे- भविष्य निधि आदि के माध्यम से; तथा 3) सुरक्षात्मक- बाहरी संकट से राहत को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जैसे- परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति की स्थिति में बीमा योजनाओं के माध्यम से (सरकार, 2004)।

भारत में सामाजिक सुरक्षा

हालाँकि भारत में सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा संविधान में पहले से ही अंतर्निहित है। संविधान में आधारभूत सिद्धांतों जैसे- समानता, समता, सामाजिक न्याय आदि के माध्यम से इसे सुनिश्चित किया गया है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज की संरचना एवं परंपरागत संस्थाएँ जैसे- परिवार, ग्राम, समुदाय आदि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करती रही हैं। उदाहरण के लिए- यदि कोई व्यक्ति किसी विपत्ति या संकट का सामना करता है तो उसका पूरा परिवार, ग्राम या समुदाय उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। यहां तक कि संवेदनशील समूह या व्यक्तियों जैसे- बच्चे, बीमार, वृद्ध, दिव्यांगजन आदि की देखभाल का दायित्व परिवार हमेशा से निभाता रहा है। परंतु शहरीकरण एवं उपभोक्तावाद ने भारत में संयुक्त परिवार की संरचना को विघटित किया है जिसके फलस्वरूप परिवार नाभिकीय होते जा रहे हैं और व्यक्ति ग्राम एवं समुदाय से दूर होता जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में सामाजिक सुरक्षा का दायित्व सरकार का बन जाता है और सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में उभरती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में इसके प्रति दो दृष्टिकोण हो सकते हैं- एक समाज को हो सकने वाली क्षति से सुरक्षा और दूसरे समाज में पैदा हो सकने वाले आक्रोश से सुरक्षा। दोनों का निहित द्वैत एक ही प्रकार का है- एक ओर समाज और दूसरी ओर सत्ता (बरतरिया, 2017)।

भारत में सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा आर्थिक विकास से संबंधित है क्योंकि भारत की जनसंख्या को संज्ञान में लेने पर यह स्वतः स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर व्यय का बोझ बहुत अधिक आएगा। किसी राष्ट्र में सामाजिक सुरक्षा को प्रदान करने की व्यवस्था या तंत्र भिन्न-भिन्न हो सकता है, अर्थात् यह सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाएगी, किस तरीके से प्रदान की जाएगी तथा इसके परिणाम क्या होंगे- यह भिन्न हो सकता है। वैश्वीकरण से उत्पन्न संरचनागत एवं तकनीकी परिवर्तनों के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा जहाँ एक ओर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिरता एवं आय से संबद्ध है, वहाँ दूसरी ओर यह विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग भी बन गई है। अतः यदि इस पूरे परिदृश्य का सिंहावलोकन किया जाए तो यह एक नीतिगत मुद्दा है।

असंगठित श्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा-

जॉन.एफ. कैनेडी ने अपने उद्घाटन भाषण (जनवरी 20, 1961) में कहा था- ‘यदि कोई स्वतंत्र समाज बहुत सारे गरीबों की मदद नहीं कर सकता तो वह गिने-चुने अमीरों को भी नहीं बचा पाएगा।’

लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार संवेदनशील वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए वचनबद्ध होती है। भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए तो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन थी, परंतु निजी क्षेत्र के पास इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को नौकरी के दौरान की गई बचत पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, स्वावलंबन जैसी योजनाएँ आरंभ कीं ताकि सेवानिवृत्ति के बाद लगातार आय सुनिश्चित हो सके। बावजूद इसके भारत में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं जिनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों का है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य न सिर्फ वंचित वर्ग की सहायता करना है, अपितु उन्हें सशक्त बनाना भी है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 (तालिका 1) के अनुसार भारत के कुल श्रमबल का लगभग 91 प्रतिशत असंगठित श्रमिक हैं (मेहरोत्रा एवं परिदा, 2019)। सकल घरेलू उत्पाद का 50 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र से आता है (क्षेत्रिमयूम्, 2020)।

तालिका 1: भारत में विभिन्न प्रकार के रोजगार एवं क्षेत्रों में कुल श्रमिकों का वितरण 2018-19

रोजगारकी प्रकृति	क्षेत्र			
	असंगठित क्षेत्र	संगठित क्षेत्र	घरेलू क्षेत्र	सभी क्षेत्र
असंगठित रोजगार	79.6%	9.5%	1.2%	90.3%
संगठित रोजगार	0.5%	9.2%	0.0%	9.7%
कुल रोजगार	80.2%	18.6%	1.2%	100%

(स्रोत: सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च: सोशल सिक्योरिटी फॉर इन्फारमल वर्कर्स इन इंडिया (2020), पृ. 3 से उद्धृत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के ‘आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण’ 2018-19 के आधार पर)

असंगठित श्रमिकों के लिए ‘आयुष्मान भारत’ के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं, ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ तथा ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ के अंतर्गत क्रमशः जीवन एवं दिव्यांगता संबंधी सुरक्षा सेवाओं को सम्मिलित करने के साथ-साथ भारत सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन को लागू किया है (राज्य मंत्री, अन्तर्रिम बजट भाषण, 2019)। भारत सरकार ने देश में असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से श्रम एवं कल्याण से संबंधित कई नीतिगत पहल की हैं, फिर भी इनकी पहुँच सीमित है (तालिका 2)।

तालिका 2: सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य लाभ प्राप्त करने वाले नियमित वेतन श्रमजीवी तथा अनौपचारिक श्रमिक

वर्ष	सामाजिक सुरक्षा के लाभ की उपलब्धता	स्वेतन छुट्टी की पात्रता	औपचारिक व्यवसाय अनुबंध

शर्मा, सारिका राय. (2023, अप्रैल-जून). सामाजिक सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर राष्ट्र. *The Equanimist*, वाल्यूम 9, अंक 2. पृ. सं. 26-45.

ग्रामीण भारत			
2011-12	15%	19%	15%
2018-19	17%	20%	15%
नगरीय भारत			
2011-12	33%	39%	27%
2018-19	35%	38%	23%
संपूर्ण भारत			
2011-12	23%	28%	21%
2018-19	26%	29%	19%

(स्रोत: सेटर फॉर पॉलिसी रिसर्च: सोशल सिक्योरिटी फॉर इफ्कारमल वर्कर्स इन इंडिया (2020), पृ. 3 से उद्धृत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' 2018-19 तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के 'रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण' 2011-12 के आधार पर)

इस शोध के माध्यम से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता की शर्तों, इसकी विशेषताओं एवं घटकों का अध्ययन किया गया है। तत्पश्चात् द्वितीयक आँकड़ों के विश्लेषण के आधारपर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की वर्तमान स्थिति एवं उत्तम अभ्यास (bestpractices) का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन के दौरान असंगठित श्रमिकों की व्यापक सामाजिक सुरक्षा में उत्पन्न चुनौतियों एवं गैप को भी पहचानने का प्रयास किया गया है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना -

भारत सरकार ने वर्ष 2019 में देश के असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे लगभग 42 करोड़ श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत गुजरात के वस्त्र जिले से की है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र की योजना है जिसका संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम और सामुदायिक सेवा केंद्रों के माध्यम से इसे लागू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सहायता केंद्र के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के कार्यालय तथा केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालय असंगठित श्रमिकों को योजना, इसके लाभ तथा प्रक्रिया के बारे में परामर्श प्रदान करते हैं। इस योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) पेंशन निधि प्रबंधक (Pension Fund Manager) है और पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी संस्था भी है। इस योजना के अंतर्गत एकत्रित राशि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निवेश तरीकों के अनुसार किया जाएगा। योजना को लेकर उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद या संदेह की स्थिति में, मामले को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव और श्रम कल्याण महानिदेशक को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर

उनका स्पष्टीकरण अंतिम होगा (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत का राजपत्र, 2019)। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे इन श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान कर सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाए रखना है। इस योजना के माध्यम से भारत में सामाजिक सुरक्षा का चक्र पहली बार असंगठित क्षेत्र तक पहुंच पाया है। इस योजना के क्रियान्वयन से भारत का वह व्यक्ति भी सुरक्षित महसूस कर रहा है जिसे सहारा देने के लिए संभवतः उसका परिवार भी खड़ा होने की स्थिति में समर्थ नहीं होता है।

योजना की पात्रता की शर्तें-

इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के ऐसे असंगठित कर्मकार सम्मिलित होंगे जिनकी मासिक आय पंद्रह हजार रुपये या उससे कम हो। वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.), राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) के अधीन सम्मिलित न हो तथा आयकर दाता न हो। उनके पास आधार कार्ड हो। साथ ही आई.एफ.एस.सी. के साथ बचत बैंक खाता या जनधन खाता हो। इस योजना के अंतर्गत प्रवेश आयु के अनुसार लाभार्थी को प्रति माह ₹55 से लेकर ₹200 तक की राशि का भुगतान करना होगा। इस योजना के माध्यम से 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के असंगठित क्षेत्र के ऐसे कर्मकारों जैसे- गृह-आधारित श्रमिक, गली में फेरी लगाने वाले, मध्याह्न भोजन कर्मकार, सिर पर बोझ उठाने वाले, ईंट-भट्टा कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कर्मकार, धोबी, रिक्षा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, ऑन अकाउंट कर्मकार, कृषि कर्मकार, सन्निर्माण कर्मकार, बीड़ी कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, दृश्य-श्रव्य कर्मकार आदि को लाभान्वित किया जाएगा जिनकी मासिक आय पंद्रह हजार रुपये या उससे कम है (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत का राजपत्र, 2019)। भारत सरकार द्वारा ऐसे 127 कार्य क्षेत्रों को चिह्नित कर उनकी सूची श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय की वेबसाइट पर भी दी गई है।

योजना की विशेषताएँ-

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से प्रत्येक पात्र अभिदाता (Subscriber) को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम तीन हजार रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी। पेंशन प्राप्ति के दौरान, यदि किसी पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो अभिदाता को मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत राशि परिवार पेंशन के रूप में अभिदाता के जीवनसाथी को मिलेगी। यह परिवार पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही प्रयोज्य होगी। यदि अभिदाताने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो अभिदाता का जीवनसाथी (पति/पत्नी) तदुपरान्त यथा-प्रयोज्य नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने के प्रावधानों के अनुसार इस योजना से बाहर निकल सकता है।

अभिदाता द्वारा अंशदान हेतु उसके बचत बैंक खाते या जनधन खाते से ऑटो डेबिट की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक

शर्मा, सारिका राय. (2023, अप्रैल-जून). सामाजिक सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर राष्ट्र. *The Equanimist*, वाल्यूम 9, अंक 2. पृ. सं. 26-45.

अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी। योजना में प्रवेश के दौरान आयु के अनुसार विशेष मासिक अंशदान का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 3: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रवेश आयु के अनुसार विशेष मासिक अंशदान

प्रवेश आयु (वर्ष) (1)	सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष) (2)	अभिदाता का मासिक अंशदान (₹) (3)	केंद्र सरकार का मासिक अंशदान (₹) (4)	कुल मासिक अंशदान (₹) (5) = (3)+(4)
18	60	55	55	110
19	60	58	58	116
20	60	61	61	122
21	60	64	64	128
22	60	68	68	136
23	60	72	72	144
24	60	76	76	152
25	60	80	80	160
26	60	85	85	170
27	60	90	90	180
28	60	95	95	190
29	60	100	100	200
30	60	105	105	210
31	60	110	110	220
32	60	120	120	240
33	60	130	130	260
34	60	140	140	280
35	60	150	150	300
36	60	160	160	320
37	60	170	170	340
38	60	180	180	360
39	60	190	190	380
40	60	200	200	400


(स्रोत: <https://labour.gov.in/brief-pm-sym>)

यह योजना 50:50 के अनुपात के आधार पर एक सुरक्षित तथा अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें निर्धारित आयु-विशिष्ट अंशदान (Age-Specific Contribution) अभिदाता द्वारा किया जाएगा और उपर्युक्त तालिका 3 के अनुसार तुलनीय अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। यदि अभिदाता ने नियंत्र अपने अंशदान का भुगतान नहीं किया है, तो उसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यथा-अवधारित ब्याज दर के साथ उसके संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके उसके अंशदान को नियमित करने की अनुमति है।

योजना में नामांकन की प्रक्रिया-

इस योजना हेतु नामांकन का कार्य समान्य सेवा केंद्र (सी.एस.सी.) द्वारा किया जाएगा। अभिदाता के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता तथा आधार संख्या होना अनिवार्य है। असंगठित श्रमिक समीपस्थ समान्य सेवा केंद्रों पर जाकर आधार संख्या तथा बचत बैंक खाता या जनधन खाता संख्या को स्वप्रमाणित करके प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए नामांकन करा सकते हैं। बाद में अभिदाता को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वेब पोर्टल पर जाने तथा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी और अभिदाता आधार संख्या/स्वप्रमाणित आधार पर बचत बैंक खाता अथवा जनधन खाता का उपयोग करते हुए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पहले मर्हीने में अंशदान राशि का भुगतान नकद करना होगा और इसकी रसीद दी जाएगी। इसके अलावा पात्र व्यक्ति www.maandhan.in पोर्टल के माध्यम से भी स्वयं का नामांकन करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक नीचे दिए गए चित्र 1 में एक फ्लोचार्ट की सहायता से समझाया गया है।

चित्र 1: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में नामांकन की प्रक्रिया



(स्रोत: https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/MiscPDFs/Enrolment_PM-SYM.pdf)

योजना से बाहर निकलने के प्रावधान एवं लाभ-

असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों की स्थिति एवं रोजगार की अनिश्चित प्रकृति को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार द्वारा इस योजना से बाहर निकलने के उपबंध को लचीला रखते हुए निम्नलिखित लाभ दिए गए हैं (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत का राजपत्र, 2019):

- यदि पात्र अभिदाता दस वर्ष से कम की अवधि में योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को बचत खाता से मिलने वालीब्याज दर के साथ लौटाया जाएगा।
- यदि कोई पात्र अभिदातादस वर्षों या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व इस योजना से बाहर निकलता है तो उसके द्वारा किए गए अंशदान के हिस्से को निर्दिष्ट पेंशन निधि से अर्जित की जाने वाली वास्तविक ब्याज राशि को जोड़कर अथवा उस राशि पर बचत खाते से मिलने वाले ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ लौटाया जाएगा।
- यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी (पति/ पत्नी) तदुपरांत यथा-प्रयोज्य नियमित अंशदान करके इस योजना को आगे जारी रख सकता है अथवा उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित, जो भी अधिक हो, संचित ब्याज सहित अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इसे छोड़ सकता है।
- यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान किया है और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले किसी कारणवश स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है, और इस योजना के अंतर्गत अंशदान करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसका जीवनसाथी (पति/ पत्नी) तदुपरांत यथा-प्रयोज्य नियमित अंशदान करके इस योजना को आगे जारी रख सकता है अथवा निर्दिष्ट पेंशन निधि द्वारा उस पर वास्तव में अथवा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, ब्याज सहित इस अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान का भाग प्राप्त करके इस योजना को छोड़ सकता है।
- अभिदाता और उसके जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद संपूर्ण राशि कोष में जमा करा दी जाएगी।

वर्तमान स्थिति-

विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत वित्तीयआबंटन, व्यय और अनुमानित बजट 2022-23 निम्नानुसार है:

तालिका 4: बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनाके लिए वित्तीय आबंटन एवं व्यय

क्र.सं.	वर्ष	अनुमानित बजट*	संशोधित अनुमान*	वास्तविक व्यय*	कम/अधिक व्यय*
1.	2019-20	500	408	352.20	-55.80
2.	2020-21	500	330	319.71	-10.29
3.	2021-22	400	350	324.08	-25.92

शर्मा, सारिका राय. (2023, अप्रैल-जून). सामाजिक सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर राष्ट्र. *The Equanimist*, वाल्यूम 9, अंक 2. पृ. सं. 26-45.

				(दिसंबर, 2021 तक)	
4.	2022-23	350	--	--	--

*रुपये (करोड़)

(स्रोत: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की श्रम, वस्त्र और कौशल विकास की स्थायी समिति (2021-22) की अनुदान की माँग (2022-23) की 30वीं रिपोर्ट, 15 मार्च, 2022)

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में अनुमानित बजट चरण से संशोधित अनुमान चरण तक निधि आबंटन में निरंतर कमी आयी है, जिसमें वर्ष 2019-20 में अनुमानित बजट का 70.44 प्रतिशत, वर्ष 2020-21 में 63.73 प्रतिशत तथा वर्ष 2021-22 में 81.02 प्रतिशत वास्तविक व्यय किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान क्रमशः 408 करोड़ रुपये तथा 330 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। हालाँकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान फिर से थोड़ा-सा बढ़कर 350 करोड़ रुपये हो गया। कोविड-19 महामारी एवं संबंधित लॉकडाउन के कारण प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत नामांकन अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप 2021-22 के लिए अनुमानित बजट थोड़ा कम किया गया था (श्रम, वस्त्र और कौशल विकास की स्थायी समिति रिपोर्ट, 2022)।


विगत तीन वित्तीय वर्षों में इस योजना के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तुलनीय अंशदान के रूप में संवितरित धनराशि का वर्ष-वार विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है:

तालिका 5: विगत चार वित्तीय वर्षों में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में तुलनीय अंशदान हेतु केंद्र सरकार द्वारा व्यय धनराशि

वर्ष	केंद्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तुलनीय अंशदान हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए व्यय की गई धनराशि (रुपये करोड़)
2018-19	31.68
2019-20	281.17
2020-21	327.59
2021-22	220.62 (31.01.2022 तक)

(स्रोत: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की श्रम, वस्त्र और कौशल विकास की स्थायी समिति (2021-22) की अनुदान की माँग (2022-23) की 30वीं रिपोर्ट, 15 मार्च, 2022)

चित्र 2 : प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में तुलनीय अंशदान हेतु केंद्र सरकार द्वारा व्यय धनराशि



संशोधित अनुमान में अधोमुखी परिवर्तन और आबंटित निधि के कम उपयोग के कारणों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट को थोड़ा कम किया गया था और संबंधित लॉकडाउन के फलस्वरूप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत नामांकन अभियान पर प्रतिकूल पड़ा। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि चूँकि यह एक अंशदायी पेंशन योजना है और योजना में प्रवेश आयु के आधार पर लाभार्थियों को भी प्रतिमाह ₹55 से ₹200 तक योगदान करने की आवश्यकता है, अतः कोविड-19 महामारी ने संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ असंगठित श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को भी बाधित किया है, जिसके परिणामस्वरूप अंशदान में बाधा उत्पन्न होने के अलावा नामांकन में भी गिरावट आयी है।

हालाँकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की श्रम, वस्त्र और कौशल विकास की स्थायी समिति (2021-22) की रिपोर्ट (2022-23) के अनुसार पिछले कुछ महीनों में नामांकन में वृद्धि हुई है जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका 6 में प्रस्तुत है:

तालिका 6 : प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत माह-वार नामांकन की स्थिति

माह	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत नामांकन/ पंजीकरण
सितंबर 2021	115
अक्टूबर 2021	8777
नवंबर 2021	7634
दिसंबर 2021	14178

शर्मा, सारिका राय. (2023, अप्रैल-जून). सामाजिक सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर राष्ट्र. *The Equanimist*, वाल्यूम 9, अंक 2. पृ. सं. 26-45.

जनवरी 2022	27406
------------	-------

(स्रोत: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की श्रम, वस्त्र और कौशल विकास की स्थायी समिति (2021-22) की अनुदान की माँग (2022-23) की 30वीं रिपोर्ट, 15 मार्च, 2022)

19 जून 2020 तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पूरे देश में लागू कर दी गई थी और उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार इसके अंतर्गत 352598 समान्य सेवा केंद्रों द्वारा 4877770 श्रमिकों का नामांकन कर लिया गया है (<https://labour.gov.in/pm-sym>)। ऐसा अनुमान है कि यदि सरकार 8 या 9 प्रतिशत की दर से भुगतान की गई राशि का निवेश करती है तो यह धनराशि 15 से 24 वर्षों तक काम में आ सकती है अर्थात् व्यक्ति को 75 से 84 वर्ष तक प्रतिमाह तीन हजार रुपये पेंशन उपलब्ध हो सकेगा (क्षेत्रिमयूम, 2020)।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनाके अंतर्गत विगत तीन वित्तीय वर्षों में हुए नामांकन की स्थिति का माह-वार विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका 7 में प्रस्तुत है:

तालिका 7: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में नामांकन की स्थिति


क्र०सं०	अवधि	नामांकन की संचयी संख्या		
		2019-20	2020-21	2021-22
1	अप्रैल	29,67,714	43,81,034	44,97,149
2	मई	30,28,853	44,00,246	45,02,179
3	जून	30,83,718	44,14,149	45,06,971
4	जुलाई	31,54,409	44,26,690	45,10,147
5	अगस्त	32,26,571	44,38,415	45,11,395
6	सितंबर	32,60,963	44,53,446	45,11,485
7	अक्टूबर	32,81,743	39,58,024	45,11,531
8	नवंबर	38,31,445	44,70,651	45,11,590
9	दिसंबर	39,82,760	44,76,952	45,94,095
10	जनवरी	40,61,516	44,84,401	46,22,285
11	फरवरी	42,52,088	44,90,383	46,34,070
12	मार्च	43,64,744	44,94,864	46,56,296

(स्रोत: <https://labour.dashboard.nic.in/DashboardF.aspx>)

तालिका 7 एवं चित्र 3 में दिए गए ग्राफ से यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में माह-वार नामांकन की संचयी संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है परंतु वर्ष 2020-21 के अक्टूबर माह में इसमें कमी आयी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के आँकड़ेभी नामांकन के संदर्भ में

सकारात्मक स्थिति की ओर संकेत करते हैं और माह-वार नामांकन की संचयी संख्या में निरंतर वृद्धि को दर्शाते हैं। उपर्युक्त आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान नामांकन में क्रमशः 47.07 प्रतिशत, 2.60 प्रतिशत तथा 3.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी एवं संपूर्ण देश में लॉकडाउन के कारण इस वित्तीय वर्ष में न सिर्फ बजट पर अपितु योजना के अंतर्गत नामांकन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

चित्र 3: विगत तीन वित्तीय वर्षों में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में नामांकन की स्थिति




चित्र 4 एवं 5 में दिए गए ग्राफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत क्रमशः आयु-वार तथा जेंडर- एवं व्यवसाय-वार नामांकन की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इस योजना के अंतर्गत 26 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के असंगठित श्रमिकों का नामांकन अपेक्षाकृत अधिक है जिसके संभावित कारण इस आयु वर्ग के श्रमिकों की अधिक संख्या तथा उनमें इस योजना के प्रति अधिक जागरूकता अथवा सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकते हैं। हालाँकि भविष्य में इस प्रकार का एक शोध किया जा सकता है जो इन कारणों के अध्ययन पर केन्द्रित हो। साथ ही योजना के अंतर्गत महिलाओं का नामांकन पुरुषों की अपेक्षा अधिक होने का मुख्य कारण असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या अधिक होने से संबद्ध है। चूँकि भारत में आज भी असंगठित कार्यक्षेत्रों एवं श्रमिकों का उचित प्रतिचित्रण शेष है, अतः भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 127 कार्यक्षेत्रों को चिह्नित किया है जिसे चित्र 5 में अन्य के रूप में दर्शाया गया है जहाँ सबसे अधिक नामांकन हुए हैं।

चित्र 4: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आयु-वार नामांकन की स्थिति



(स्रोत: <https://labour.gov.in/vision100/pmsym-kpi>)

चित्र 5: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जेंडर एवं व्यवसाय-वार नामांकन की स्थिति



(स्रोत: <https://labour.gov.in/vision100/pmsym-kpi>)

वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में हुए नामांकन की स्थिति निम्नलिखित तालिका 7 में प्रस्तुत है:

तालिका 7: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनाके अंतर्गत नामांकन के संदर्भराज्यों की स्थिति


राज्य	18.08.22	31.12.21	31.12.20	31.12.19	08.03.19
हरियाणा	824692	820009	802390	618439	355975
उत्तर प्रदेश	663661	638679	613013	560389	325135
महाराष्ट्र	602161	591473	587287	576407	378986
ગुजરात	385515	369936	368401	364074	264426
छत्तीसगढ़	227077	210003	208000	165805	50018
बिहार	214261	201072	191874	171463	48937

शर्मा, सारिका राय. (2023, अप्रैल-जून). सामाजिक सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर राष्ट्र. *The Equanimist*, वाल्यूम 9, अंक 2. पृ. सं. 26-45.

उड़ीसा	181014	169352	162648	151198	38206
झारखण्ड	135053	130082	129047	126391	53214
मध्य प्रदेश	168608	127522	123508	115998	36570
आंध्र प्रदेश	168805	151544	150564	81949	26179
राजस्थान	125123	103742	102021	96693	20301
कर्नाटक	128067	109166	97919	71177	20647
पश्चिम बंगाल	105065	81998	73365	59001	18927
तमिलनाडु	64929	58025	56623	54304	24351
हिमाचल प्रदेश	47305	42069	41489	37222	6895
उत्तराखण्ड	37900	34745	34308	30935	11107
पंजाब	55268	34460	32574	31067	13675
तेलंगाना	39272	41645	31537	29667	8594
त्रिपुरा	31351	29765	28505	18512	8502
असम	36406	23399	21040	15526	6122
केरल	14674	11512	10255	9229	4215
दिल्ली	10092	8932	7960	7190	2375
चंडीगढ़	4339	4258	3900	2737	749
मणिपुर	5339	4088	3856	3449	1560
नगालैंड	4927	4781	4691	2590	570
अरुणाचल प्रदेश	2835	2490	2474	2189	397
मेघालय	4656	3092	2857	2005	539
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	2333	2291	2103	1574	753
पुदूचेरी	2306	1278	1247	1149	530
गोवा	1934	986	970	620	130
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1152	7	759	699	152
मिज़ोरम	995	651	603	552	328
सिक्किम	267	139	122	101	25
लद्दाख	1432	1466			
लक्ष्द्वीप	21	21	21	21	14

(स्रोत: <https://labour.gov.in/state-wise-data>)

चित्र 6: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में राज्यों की स्थिति



(स्रोत: <https://labour.gov.in/state-wise-data>)

यदि इस योजना के अंतर्गत नामांकन की स्थिति का राज्य-वार आकलन किया जाए तो सबसे अधिक नामांकन करने वाले पहले पाँच राज्य क्रमशः हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं छत्तीसगढ़ हैं। तालिका 7 में दिए गए आँकड़ों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि इन पाँच राज्यों द्वारा योजना के आरंभ से ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपेक्षाकृत अधिक नामांकन किए गए हैं। इसके संभावित कारणों की पहचान करने हेतु एक नए शोध अध्ययन की आवश्यकता है जो पूर्णतः इसी उद्देश्य पर केन्द्रित हो। हालाँकि उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन राज्यों द्वारा अपेक्षाकृत उच्च प्रदर्शन का कारण केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच उचित तालमेल, सहयोगपूर्ण कार्यशैली एवं सहयोगी क्रियान्वयन तंत्र हो सकता है। साथ ही राज्यों में असंगठित श्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होना भी एक मुख्य कारण के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। इन संभावित कारणों एवं परिकल्पनाओं की वैज्ञानिक जाँच उपर्युक्त शोध अध्ययन के माध्यम से की जा सकती है।

चुनौतियाँ एवं प्रयास-

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की उद्घोषणा के साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के नामांकन के संदर्भ में तालिका 8 में दिए गए लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। परंतु योजना की वर्तमान स्थिति के आकलन एवं विश्लेषण के दौरान यह स्पष्ट हो चुका है कि कोविड-19 की त्रासदी ने इन लक्ष्यों की उपलब्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अतः सरकार द्वारा इन लक्ष्यों की उपलब्धि अभी शेष है।

शर्मा, सारिका राय. (2023, अप्रैल-जून). सामाजिक सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर राष्ट्र. *The Equanimist*, वाल्यूम 9, अंक 2. पृ. सं. 26-45.

तालिका 8: भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए नामांकन हेतु निर्धारित लक्ष्य

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	15/08/2022	2022-23	2023-24
लक्ष्य (करोड़) (संचयी)	1	2	3	3.25	4	5

(स्रोत: <https://labour.gov.in/vision100/pmsym-kpi>)

उपर्युक्त तालिका 8 में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं योजना के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक सहयोगी क्रियान्वयन तंत्र को अपनाया गया है और राज्य सरकारों से अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से लाभार्थियों को संगठित करने का अनुरोध किया गया है। सचिव एवं संयुक्त सचिव (श्रम कल्याण महानिदेशक) स्तर पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ आवधिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से मुख्यसचिव के अधीन राज्य स्तरीय जाँच समितियों तथा जिलाधिकारी (डी.एम./डी.सी.) के अधीन जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति को गठित करने का अनुरोध भी किया गया है। इसके अलावा राज्यों द्वारा सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें आई.ई.सी. फंड आबंटित किया गया था। पेंशन योजना की संतुष्टि पर वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन फंड और नियामक विकास प्राधिकरण एवं वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के साथ भी बैठक की गई। साथ ही मजदूर संघ, कारोबारी संघ के साथ बैठकों का आयोजन भी किया गया (श्रम, वस्त्र और कौशल विकास की स्थायी समिति रिपोर्ट, 2022)। योजना को लोकप्रिय बनाने और नामांकन बढ़ाने हेतु चार लाख समान्य सेवा केंद्रों पर पेंशन सप्ताह (30 नवंबर, 2019 से 6 दिसंबर, 2019 तक एवं 07 मार्च, 2022 से 13 मार्च, 2022 तक) का आयोजन किया गया।

उत्तम अभ्यास-

तालिका 7 में अंकित पहले पाँच राज्यों के अपेक्षाकृत अधिक नामांकन के संभावित कारण उनके द्वारा किए गए निम्नलिखित प्रयास हो सकते हैं जिन्हें उत्तम अभ्यास के रूप में लेते हुए इनका अनुकरण कर अन्य राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र भी इस योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के नामांकन की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं:

- हरियाणा राज्य द्वारा संचालित मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित पाँच अन्य योजनाओं को भी एकीकृत किया गया है जिसमें से एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए स्वतः ही नामांकित हो जाते हैं। साथ ही वे एक बार नामांकन करने से अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त करने के लिए अर्ह हो जाते हैं। इसके अलावा पंजीकृत लाभार्थी के बचत खाते में छ: हजार रुपये प्रति वर्ष जमा किए जाते हैं जिसकी मासिक राशि पाँच सौ रुपये है। इसमें से बीमा योजना तथा

पेंशन योजना की किशत ऑटो-डेबिट कर ली जाती है और इस तरह मात्र एक योजना में नामांकन करने से लाभार्थी एवं उसके परिवार के अन्य सदयों को भी नियमानुसार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस तरह के अभ्यास से नामांकन एवं प्रक्रिया की पुनरावृत्ति, समय एवं ऊर्जा के क्षय तथा प्रशासनिक बोझसे बचा जा सकता है और लक्ष्यों की उपलब्धि को प्रभावी बनाया जा सकता है।

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत नामांकन बढ़ाने एवं लक्षित समूह में जागरूकता बढ़ाने हेतु गुजरात राज्य द्वारा श्रमयोगी सुविधा सेवा (एस.एस.एस.) की शुरुआत की गई है। इसके अलावा श्रमयोगी कार्ड के माध्यम से उन्हें U-WIN (UnorganizedWorkersIdentificationNumber) निर्गत किया गया है जिसके फलस्वरूप विभिन्न योजनाओं के लिए उनका डेटाबेस तैयार होने से प्रक्रिया के त्वरित एवं सुचारू क्रियान्वयन को संभव किया जा सकता है। गुजरात राज्य सरकार द्वारा बीस स्थानों पर श्रमयोगी कल्याण मेलों एवं नौ असंगठित श्रमिक सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया है। इस तरह के अभ्यास असंगठित श्रमिकों के बीच जागरूकता प्रसार के साथ-साथ उन तक प्रशासन की पहुँच को भी संभव बनाते हैं।

विभिन्न राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र उपर्युक्त अभ्यासों के अलावा निम्नलिखित प्रयासों के माध्यम से भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत नामांकन बढ़ा सकते हैं:

- ई-श्रम लाभार्थियों के बीच जागरूकताविकसित करने हेतु 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में ई-श्रम के अंतर्गत पंजीकृत पात्र ग्राहकों को एस.एम.एस. भेजना।
- समान्य सेवा केंद्रों (सी.एस.सी.) के राज्य प्रमुखों द्वारा पात्र लाभार्थियों को संगठित करने का प्रयास।
- व्यापक सोशल मीडिया अभियान।
- राज्यवार/जिलावार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना।
- राज्य सरकार की मशीनरी (श्रम विभाग) के माध्यम से लाभार्थियों को जुटाना।
- राज्य में मुख्यसचिव के अधीन राज्य स्तरीय जाँच समितियों तथा जिलों में जिलाधिकारी (डी.एम./डी.सी.) के अधीन जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन।
- केंद्र सरकार द्वारा आबंटित आई.ई.सी. निधि का उचित उपयोग करते हुए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों (आई.ई.सी.) का आयोजन। सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) सामग्री जैसे पैम्फलेट, बैकडॉप, स्टैंडी के लिए क्रिएटिव वीडियो, वृत्तचित्र (स्थानीय भाषा में) का उपयोग कर योजना का प्रचार एवं प्रसार।
- वीडियो किलप्स को यू-ट्यूब और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करना।
- सी.एस.सी. द्वारा जिलों के लिए वी.एल.ई.-वार लक्ष्य निर्धारित करना।

- समर्पित कॉल सेटरों और शिकायत प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।
- सी.एस.सी. में श्रमिक नामांकन शिविरों का आयोजन।

निष्कर्ष-

हाल ही के वर्षों में कोविड-19 के कारण प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत नामांकन बाधित हो गया है परंतु केंद्र सरकार द्वारा नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। जैसे- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ बैठकों का आयोजन, राज्य सी.एस.सी. प्रमुखों के साथ बैठकें, सी.एस.सी. द्वारा वी.एल.ई. के लिए निर्धारित लक्ष्य, 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में ई-श्रम के अंतर्गत पंजीकृत पात्र लाभार्थियों को एस.एम.एस. के माध्यम से जागरूकता अभियान आदि। इसमें सही मानदंडों के जरिए लक्षित समूह/व्यक्ति की पहचान कर उस तक पहुँच स्थापित करना, उन्हें योजना के प्रति जागरूक बनाना एवं उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण, कुशल एवं पारदर्शी निधि आबंटन प्रणाली आदि प्रमुख चुनौतियाँ हैं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिकरण एवं निरंतरता की दिशा में प्रगति करने के लिए भारत द्वारा वैश्विक अनुभवों से सीख ली जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन एवं अंशदान के लिए असंगठित श्रमिकों में सकारात्मक दृष्टिकोण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा नेतृत्व के माध्यम से संभव है। इसके माध्यम से इस योजना के विस्तार एवं प्रभाव की सीमाओं को समाप्त किया जा सकता है।

संदर्भ-

- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (1952). सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) अभिसमय. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन.
- क्षेत्रिमयूम, ओ. (2020). पेंशन फॉर अनोर्गनाइज्ड वर्कर्स: ए केस स्टडी ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पी.एम.-एस.वाई.एम.). वी.वी. गिरी केस स्टडीज सीरीज, प्रथम संस्करण, 39-48. नोएडा: वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान.
- बरतरिया, जी.एन. (2017). व्यापक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सुरक्षा. योजना, अप्रैल, 55-58. प्रकाशन विभाग: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार.
- बोरदोलोई, एम., फ़ारुकी, एम.एच. एवं पांडे, एस. (2020). सोशल सिक्योरिटी फॉर इन्फारमल वर्कर्स इन इंडिया. एकौटेबिलिटी इनशिएटिव: सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च.
- मजूमदार, ए. एवं बारबोरा, एस. (2013). सोशल सिक्योरिटी सिस्टम एंड द इन्फोर्मल सेक्टर इन इंडिया: ए रिव्यू. इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 69-72.

- मेहरोत्रा, एस. एवं परिदा, जे. (2019). इंडियाज इम्प्लोयमेंट क्राइसिस: राइजिंग एडकेशन लेवल एंड फालिंग नॉन-एग्रीकल्चरल जॉब ग्रोथ. सी.एस.ई. वर्किंग पेपर 2019-04, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बैंगलोर, cse.azimpremjiuniversity.edu.in/wp-content/uploads/2019/10/Mehrotra_Parida_India_Employment_Crisis
- लहरिया, सी. (2017). सामाजिक सुरक्षा: वैश्विक परिदृश्य. योजना, जुलाई, 31-35. प्रकाशन विभाग: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार.
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय. (2017). रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन ‘लेबर लाज एंड अदर रेगुलेशन्स’ फॉर द ट्रिवेल्थ फाइब ईयर प्लान (2012-17). श्रम एवं रोजगार मंत्रालय: भारत सरकार.
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय. (2019). भारत का राजपत्र: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय: भारत सरकार.
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय. (2019). स्थायी समिति की श्रम रिपोर्ट. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय: भारत सरकार.
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय. (2022). श्रम, वस्त्र और कौशल विकास की स्थायी समिति (2021-22) की अनुदान की माँग (2022-23) की 30वीं रिपोर्ट. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय: भारत सरकार.
- सरकार, एस. (2004). एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी कवरेज टू द इन्फोर्मल सेक्टर इन इंडिया. सोशल चेंज, 122-130.
- सेन, ए. एवं ड्रेज, जे. (1989). हंगर एंड पब्लिक एक्शन. क्लैरेनडॉन प्रेस.
- cse.azimpremjiuniversity.edu.in
- <https://cm-psy.haryana.gov.in/#/>
- <https://labour.dashboard.nic.in/DashboardF.aspx>
- <https://labour.gov.in/brief-pm-sym>
- <https://labour.gov.in/dashboard>
- <https://labour.gov.in/enrolment-process>
- <https://labour.gov.in/list-professions-occupations-covered>
- https://labour.gov.in/sites/default/files/197105_0.pdf
- <https://labour.gov.in/sites/default/files/197918.pdf>
- <https://labour.gov.in/sites/default/files/bs2.pdf>

- https://labour.gov.in/sites/default/files/Budget_Speech.pdf
- <https://labour.gov.in/state-wise-data>
- <https://labour.gov.in/vision100/pmsym-kpi>
- <https://maandhan.in/scheme/pmsym>
- <https://maandhan.in/shramyogi>
- <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1602068>
- <https://rajbhavanmp.in/mukhyamantri-parivar-samridhi-yojana/>
- https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/MiscPDFs/Enrolment_PM-SYM.pdf
- <https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/inaugural-address-19610120>
- <https://www.publicationsdivision.nic.in/journals/index.php?route=page/yojana>
- www.accountabilityindia.com
- www.maandhan.in

Manuscript Timeline**Submitted : April 24, 2023****Accepted : May 12, 2023****Published : June 25, 2023****जाति : वर्चस्व का यंत्र****एकता¹****सारांश**

प्राचीन काल में जाति व्यवस्था शोषण का यंत्र बनी रही। जाति व्यवस्था के परिणामस्वरूप उच्च जातियाँ सत्ता का उपभोग करती रही और निम्न जातियाँ शोषण का शिकार रही। लेकिन जाति एक स्थिर संस्था नहीं है, ब्रिटिश शासन में हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने जाति संस्था को प्रभावित किया है। पहले जहाँ प्राचीन समय में यह शोषण का यंत्र रही, वहाँ अब समकालीन भारत में यह वर्चस्व के यंत्र के रूप में उभरी है। जाति निम्न जातियों की लामबंदी को बढ़ावा दिया है, जिससे सत्ता के गलियारों में उच्च जातियों की भूमिका में कमी आई है और जाति के राजनीतिकरण के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण निम्न जातियों में हुआ है। परिणामस्वरूप पिछड़े वर्गों से बड़ी संख्या में नेता संसद में पहुँचे हैं।

मुख्य शब्द : जाति, लामबंदी, आरक्षण, सत्ता, राजनीतिकरण, जाति चेतना

जाति का विचार देखने में बहुत ही स्पष्ट प्रतीत होता है। जो बहुत से प्रश्न स्थापित करता है जिनके जवाब इतने आसान और सरल नहीं है। सार्वभौमिक रूप से जाति को हिंदुओं की पारंपरिक संस्था के रूप में देखा जाता है। आधुनिक भारत में लोकतंत्र के विस्तार, आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन एवं नई शिक्षा व्यवस्था के तहत ऐसा जान पड़ता है कि जाति ने अपना प्राचीन स्वरूप और मूल्य खो दिया है परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके विपरीत जाति सार्वजनिक क्षेत्र में आज इतनी गहराई से जमी है जितनी की यह तब भी नहीं थी, जब सामाजिक व्यवस्था के पारंपरिक मूल्य बहुत ही कठोर थे।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय राजनीति का आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ, अब जाति न केवल समाज की बिल्कुल राजनीति की भी महत्वपूर्ण विशेषता बन गई। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए यह जानने का प्रयास किया गया है कि-

- जाति की वर्तमान अवधारणा क्या है?
- किस प्रकार सत्ता, जो प्राचीन समय से उच्च वर्ग के हाथों में थी, का हस्तांतरण निम्न जातियों में हुआ है?

जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। समाज का कोई भी पहलू इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। भारत जैसे देश की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक-सांस्कृतिक

¹ पी-एच.डी. शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय.

प्रणाली का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि जाति जैसी सामाजिक संगठन की ईकाई को अच्छी तरह न समझा जाये। यदि कोई अध्येता भारतीय समाज एवं राजनीति पर जाति के बहुआयामी प्रभाव के अध्ययन की उपेक्षा करता है तो वह भारतीय समाज की जटिलता और विविधताओं की वास्तविकता को नहीं समझ सकेगा।

भारत का अध्ययन करने के लिए यहाँ की जाति व्यवस्था को समझना अत्यंत आवश्यक है। भारत में जाति चिरकालीन सामाजिक संस्था है। जाति व्यवस्था इतनी परिवर्तनशील है कि इसका स्वरूप वर्णन अधिक दिनों तक सही नहीं रहता। जाति के विषय में क्रिस्टोफे जाफरलोट का मत है कि जाति कभी भी एक स्थिर संस्था नहीं रही। ब्रिटिश शासन में हुए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने जाति को पहले के किसी भी परिवर्तनों की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है।

आर्थिक आधुनिकीकरण ने तीव्र औद्योगिकीकरण और मजबूत लामबंदी को बढ़ावा दिया। इस परिवर्तनशील वातावरण में केवल कमज़ोर और वंचित ही नहीं थे जिन्होंने अपने को जाति और वर्ण की पहचान के साथ दृढ़ता से कायम रखा। पहले जातियां केवल एक सीमित क्षेत्र में घिरी हुई थीं और शादी विवाह के बंधनों तक सीमित थीं। आधुनिक संचार के साधनों के विकास से जाति की सीमाओं का विस्तार व क्षैतिज लामबंदी का उदय हुआ है।¹

निकोलस डर्क जाति के विषय में कहते हैं कि शायद यह असंभव है कि भारत के बारे में विचार करते हुए जाति के बारे में न सोचा जाए।² इनका मानना है कि अगर हमें भारत को संपूर्ण रूप में समझना है तो हमें अवश्य ही जाति व्यवस्था को समझना होगा फिर चाहे हम इसकी प्रशंसा करें या आलोचना।³ डर्क तर्क देते हैं कि जाति, जैसा कि आज हम इसे जानते हैं, वास्तव में प्राचीन भारत की कोई अपरिवर्तनशील प्रथा नहीं है, न ही यह कोई व्यवस्था है जो सभ्यता के महत्वपूर्ण मूल्य को प्रतिबिंबित करती है और न ही यह भारतीय परंपरा की मूल अभिव्यक्ति है। बल्कि यह (जाति) एक आधुनिक परिघटना है जो भारत और पश्चिमी औपनिवेशिक शासन के बीच ऐतिहासिक विरोध का उत्पाद है।⁴

आगे डर्क बताते हैं कि इससे उनका तात्पर्य यह नहीं है कि जाति की उत्पत्ति ब्रिटिशों ने की है बल्कि उनके कहने का अर्थ यह है कि जाति का स्वरूप जैसा प्राचीन भारत में था, अब वर्तमान में वह ऐसा नहीं रहा, यह कोई पारंपरिक व्यवस्था नहीं है जैसी वेदों में थी बल्कि यह भारत में विभिन्न समूहों की सामाजिक पहचान बन गई। ब्रिटिश शासन के समय ही जाति अभिव्यक्ति और संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बनकर उभरी। अब जाति में जो वर्ग बन गए हैं उन्हें ब्रिटिशों ने बनाया। अतः संक्षिप्त रूप में कहा जा सकता है कि जाति जो आज है, उसे उपनिवेशवाद ने बनाया है।

रजनी कोठारी⁵ जाति को तोड़ने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाला तत्व मानते हैं। उनका मत है कि निम्न जाति के लोग अवर्ण होते हुए भी हिंदू समाज के ही अंग हैं। कोठारी का मानना है कि जाति-व्यवस्था हिंदुओं में ही नहीं आदिवासी कबीलों, विशेष अल्पसंख्यकों यहाँ तक कि ईसाईयों और मुसलमानों में भी

पाई जाती है। सब मिलाकर जाति व्यवस्था ने भिन्न-भिन्न वृत्तियों के और विभिन्न नस्ल के लोगों का जैसे आदिवासी, बाहर से आकर बसने वाले या आक्रमण करने वाले या विभिन्न मजहबों के लोगों को, एक साथ एक धर्मनिपेक्ष या बहुधर्मी समाज और संस्कृति के ढांचे में लाने का कार्य किया है।

कोठारी भारत में उच्च वर्ग की भूमिका का वर्णन करते हुए स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और संस्कृति के प्रसार में ब्राह्मणों की भूमिका अत्यंत महत्व की रही। समाज में उनका स्थान सब से ऊँचा था। इस उच्च वर्ग की आंतरिक एकता किसी भी शास्त्रीय सिद्धांत के बल पर नहीं, उसके विशिष्ट जन्म, शिक्षा-दीक्षा, समाज के नेतृत्व और इन कारणों से समाज में उसके उच्च स्थान और प्रतिष्ठा के बल पर कायम थी। उसकी प्रतिभा ज्यादातर शास्त्र और दर्शन की व्याख्या में प्रकट होती थी। उसकी व्यवस्था या निर्णय का बहुत सम्मान किया जाता था। ऐसे बौद्धिक और शिक्षक वर्ग के नेतृत्व के कारण सैकड़ों वर्षों तक हिंदु समाज आपस में बंधा रहा और सातसौ वर्षों के विदेशी शासन के धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व के धक्कों को झेल सका।⁶

सिद्धांत रूप में जाति-व्यवस्था चार वर्ण, गुण-कार्य के अनुसार है। ब्राह्मण का कार्य ज्ञान- दान, क्षत्रिय का रक्षा, वैश्य का उद्योग और शूद्र का श्रम है। किंतु यथार्थ में ऐसा नहीं है। वास्तविक स्थिति बहुत जटिल है। जाति जन्म-जात होती है और विवाह संबंध जाति के अंदर ही होता है। इसे ही भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का मूख्य लक्षण भी माना है। भारत में ज्यादातर जातियां स्थानीय या एक क्षेत्र में सीमित हैं। यद्यपि अनेक जातियाँ दूर-दूर तक भी फैली मिलती हैं। इस प्रकार जातियों की संख्या चार नहीं हजारों में है। हर जाति की अपनी पंचायत होती है, जो जाति के नियम और आचार- विचार का नियमन करती है। ऊंची जातियों से भिन्न, निम्न स्तर का कार्य करने वाले अछूत समझे जाने वाले अंत्यज और हरिजन अनुसूचित जातियों के लोग हैं। ये भी अनेक एक दूसरे से नीची-ऊंची जातियों में बटे हुए हैं।

भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक पहलुओं के साथ एक अनूठी संस्था के रूप में उभरी है। जाति-व्यवस्था का प्रारंभ से ही सत्ता और वर्चस्व की राजनीति से घनिष्ठ संबंध रहा है। इससे आधुनिक युग में भी जाति व्यवस्था के महत्व का पता चलता है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय समाज का विभाजन विभिन्न सामाजिक स्तरों में किया गया है, जिसका अध्ययन दो मुख्य स्तंभों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। एक तरफ ऊँचा वर्ग आता है जिसमें ब्राह्मण व क्षत्रिय हैं तो दूसरी तरफ निम्न व दलित वर्ग हैं जो जाति व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर हैं। जाति-प्रथा का प्रभाव भारतीय समाज में काफी व्यापक रूप में रहा है। इस व्यवस्था में ऊँचा वर्ग की स्थिति काफी सुदृढ़ है, वहीं निम्न वर्ग की स्थिति काफी दयनीय है किंतु औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जाति ने स्वयं में नया आकार ग्रहण किया।

डर्क कहते हैं कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक राजनीतिक लामबंदी में जाति की प्रभावपूर्ण (शक्तिशाली) भूमिका को प्रदर्शित करता है। यह ब्राह्मणवादी विचारधारा तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध उभरते विरोध, दोनों के प्रभाव को दिखाते हैं।⁷ डर्क के अनुसार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के उद्धव से पहले दक्षिण भारत में (और अधिक रूप में पूरे भारत में) ताज इतना खोखला नहीं था, राजा ब्राह्मणों के अधीनस्थ

नहीं थे, राजनीतिक क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र से घिरा हुआ नहीं था, राज्यों ने पश्चिम के राज्यों का स्वरूप ग्रहण नहीं किया था, परंतु वे भारतीय सभ्यता के मजबूत वाहक थे। भारतीय समाज वस्तुतः जाति ने स्वयं में अपना आकार राजनीतिक संघर्ष और प्रक्रिया द्वारा ग्रहण किया है⁸

औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जाति बहुत व्यापक, पूर्ण और अधिक समरूप बनी, जैसी ये पहले कभी नहीं थी। इस समय इसे मूल रूप से धार्मिक-सामाजिक व्यवस्था के रूप में व्याख्यायित किया गया जबकि जाति हमेशा से राजनीतिक रही है। इस प्रकार डर्क सेंसस (जनगणना)⁹ को प्रमुखता प्रदान करते हुए बताते हैं कि ब्रिटिशों की सेंसस की नीति ने ही जाति के प्रति चेतना और अपना स्तर ऊंचा किये जाने को बढ़ावा दिया। इन सबका भारतीय समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जो उत्तर स्वतंत्र भारत में भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रक्रिया से जाति आधारित राजनीति की शुरुआत हुई। उत्तर औपनिवेशिक काल में जाति धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक समस्याओं का स्रोत बनी। 1980 में जाति भारतीय राजनीति का प्रमुख विषय बन गई। मंडल कमीशन ने जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया, जिससे जाति आधारित हिंसा में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार डर्क जनगणना और मंडल रिपोर्ट को चिन्हित करते हुए बताते हैं कि जाति पूरी तरह से राजनीतिक रही है।

प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक 'कास्ट इन इंडिया' में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनका मत है कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या जाति-प्रथा खत्म हो रही है? इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्थाएं हैं। ज्यादा सही सवाल यह होगा कि जाति-प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जाति-पांति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है। जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं वे न तो राजनीति के प्राकृत स्वरूप को ठीक समझ पाये हैं न जाति के स्वरूप को भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है। अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही पड़ेगा। अतः राजनीति में जातिवाद का अर्थ जाति का राजनैतिकीकरण मात्र है।¹⁰

रजनी कोठारी के अनुसार जाति के राजनीतिकरण द्वारा सत्ता का हस्तांतरण निम्न जातियों में हुआ है। पुरानी उंची जातियों का प्रयत्न यही था कि राजनीति उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में रहे। किंतु बहुसंख्यक छोटी जातियों के लिए राजनैतिक कार्य ऊपर चढ़ने का साधन था।¹¹ स्वतंत्रता के बाद व्यस्क मताधिकार दिए जाने के फलस्वरूप उच्च जातियों के हाथ से निकलकर शक्ति जातीय संघों, पंचायतों और सहकारी संगठनों के हाथ में आई है। उच्च जातियों के हाथों से निम्न जातियों के हाथों में सत्ता के इसी हस्तांतरण को क्रिस्टोफे जाफेलोट ने 'इंडियाज साइलेंट रेवोल्यूशन' कहकर संबोधित किया है।

रजनी कोठारी¹² ने इस प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया है कि अक्सर राष्ट्रीय भावना से और जाति या संप्रदाय की भावना के द्वंद या टकराव की बात की जाती है। किंतु कोठारी कहते हैं कि जहाँ जाति या कबीले की भावना को दबाने के बजाय उनको राजनैतिक दिशा देने की कोशिश की जाती है, वहाँ राजनैतिक एकीकरण की संभावना बढ़ती है और जहाँ जाति या संप्रदाय के संगठन की अनुमति नहीं दी जाती वहाँ ये

गलत रास्ते पर जाती है। कोठारी समाज और राजनीति में संबंध जोड़ने की प्रक्रिया को ‘लौकिकीकरण’ का नाम देते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा निम्न जातियों ने जो पहले राजनीतिक क्षेत्र से दूर रही, में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है।

जाफेलोट 1950 और 1960 के दशक में भारतीय राजनीति की मुख्य विशेषता बताते हैं कि एक तो गांधीवादी विचारधारा पर जोर दिया गया जो सामाजिक एकता की बात करती थी दूसरा उस समय कांग्रेस पर उच्च वर्ग का आधिपत्य था, जिसने निम्न वर्ग के संगठनात्मक आधार को कमज़ोर किया विशेषरूप से दलितों के, इसे उदाहरण स्वरूप वह भूतकाल में अंबेडकर पर (अलग निर्वाचन के संबंध) में गांधी की विजय का वर्णन करते हैं।

यद्यपि यह व्यवस्था लोकतांत्रिक थी प्रतियोगी चुनाव व्यवस्था, प्रेस की स्वतंत्रता आदि किंतु इसका अधिकतम लाभ उच्च जातियों को ही मिला। यहां तक कि जब विभिन्न राज्यों में कांग्रेस हारी उसके स्थान पर जो दल चुनाव जीत कर आए इनमें भी उच्च जातियों का ही दबदबा रहा। जिसका परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर कोई सुधार लागू नहीं किये जा सके जैसे भूमि सुधारा इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी को सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनाना चाहती थी किंतु पार्टी में शामिल कुलीन लोगों की सहमति के बिना वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह ऐसा करने में असफल रही। अवश्य ही उन्होंने आपातकाल के समय कुछ सुधारों को लागू किया किंतु बाद में कांग्रेस को कड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा कि उन्होंने लोकतंत्र की अवहेलना की। बहरहाल भारत इस हॉब्सवादी व्यवस्था से बाहर आया और इसका श्रेय उस सामाजिक परिवर्तन को जाता है, जिसकी शुरुआत नीचे से जाति के नाम पर हुई।

दक्षिणी और पश्चिमी भारत में निम्न जातियों ने पहले से ही अपने को भारतीय समाज की पदानुक्रम व्यवस्था से स्वतंत्र कराने की शुरुआत कर दी थी। दक्षिण भारत में निम्न जातियों ने अपनी विशेष द्रविड़ पहचान को विकसित किया। इसी विशेष पहचान ने इन्हें आर्यन ब्राह्मणों के विरुद्ध एकजुट होने में सहायता प्रदान की। यद्यपि इस एकजुटता में द्रविड़ पहचान ने ही नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन की प्रशासन में सकारात्मक कार्यवाही की नीति ने भी सहयोग प्रदान किया।

जाफेलोट कहते हैं कि दक्षिण में गैर ब्राह्मणों ने जाति के एथनीसाइजेशन पर जोर दिया और सत्ता की खोज में द्रविड़ पहचान को अपनाया जबकि उत्तर भारत में जाति के एथनीसाइजेशन में संस्कृतिकरण को अपनाने के कारण बाधा उत्पन्न होती रही। उत्तर भारत में जातियों ने संस्कृतिकरण पर जोर दिया जबकि दक्षिण में जाति संघों ने जाति-समूहों की एकता पर ज्यादा बल दिया बजाए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के। दक्षिणी राज्यों में लगभग 1960 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। बहरहाल यह स्थिति और नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। किंतु कुछ दशकों बाद सकारात्मक कार्यवाही की नीति ने उत्तर भारत पर भी वही प्रभाव डाला जैसा कि इसने दक्षिण और पश्चिम भारत पर डाला था।

जाफेलोट ने निम्न जातियों के उभार को दो बिन्दुओं के तहत स्पष्ट किया है- दक्षिण की तर्ज पर उत्तर भारत में भी आरक्षण की मांग उठाई जाने लगी। विशेष रूप से समाजवादियों ने आरक्षण के मुद्दे पर निम्न जातियों को लामबंद करना आरंभ किया। इसमें राम मनोहर लोहिया का नाम प्रमुख है, जिन्होंने उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दृढ़ता से आवाज उठाई हालाकि निम्न जातियों की लामबंदी में कोटा राजनीति ही प्रमुख नहीं थी। 1960-1970 के दशक में चरण सिंह ने किसानों के हितों को उठाते हुए किसानों को लाभचंद किया जो कि बड़ी संख्या में उनकी स्वयं की जाति के जाट थे। परंतु साथ ही उनमें निम्न जातियों के किसान भी थे। चरण सिंह और समाजवादियों ने 1970 में हाथ मिलाया और उनके गठबंधन ने 1977-79 में जनता पार्टी का रूप लिया। जाफेलोट ने इसे उत्तर भारत में निम्न जातियों के उदय की पहली ऐतिहासिक घटना के रूप में चित्रित किया है। किंतु यह स्थिति अल्पकालिक ही रही और निम्न जातियों को बहुत थोड़ा ही लाभ पहुंचा पाई क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन में आरक्षण के समर्थक बहुत कम थे।

जाफेलोट के अनुसार निम्न जाति के उभार में दूसरी ऐतिहासिक घटना 1980 के अंत और 1990 की शुरुआत में जनता पार्टी की विजय और मंडल रिपोर्ट का लागू किया जाना है। मंडल आयोग की नियुक्ति ने उत्तर भारत में कोटा राजनीति के उज्ज्वल भविष्य की आशा व्यक्त की। इस कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि कोटा राजनीति ने किसान राजनीति का स्थान ले लिया। जाटों ने गठबंधन तोड़ दिया तो वहाँ निम्न जातियों ने सत्ता पाने के लिए लामबंद होना शुरू कर दिया। उन्होंने उच्च जातियों (जो आरक्षण के खिलाफ थी) के विरुद्ध अपने को एकजुट किया। अतः इस प्रकार सकारात्मक कार्यवाही की नीति ने निम्न जातियों को एक साथ संगठित होकर एक समूह अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में संघर्ष करने के लिए तैयार किया। परिणामस्वरूप अन्य पिछड़े वर्ग के नेता संसद में बड़ी संख्या में पहुंचे और उत्तर प्रदेश व बिहार में सत्ता प्राप्त की। दलितों नेबहुजन समाज पार्टी (जिसने उत्तर भारत में उच्च जाति के प्रभुत्व को कड़ी चुनौती दी) के समर्थन में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। के.आर. नारायण, केरल के एक दलित देश के राष्ट्रपति बने। इसे ही जाफेलोट ने 'India's Silent Revolution' की संज्ञा दी। इस प्रक्रिया में सत्ता ऊंची जाति के कुलीन वर्गों से विभिन्न अधीनस्थ समूहों में स्थानांतरित हुई।

संदर्भ-

¹ जेफ़ेलोट, इंडियाज साइलेन्ट रेवोल्यूशन: द राइज ऑफ लॉ कास्ट्स इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, दिल्ली: परमानेंट ब्लैक, 2003, पृ. 147

² एन. डर्क्स, 'कास्ट्स ऑफ माइन्ड: कॉलोनीयलिज्म एण्ड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया', दिल्ली: परमानेंट ब्लैक, 2001, पृ. 5

³ वही,

⁴ वही,

⁵ रजनी, कोठारी, भारत में राजनीति, (अनु.) अशोक जी, दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2013, पृ. 19

⁶ वही, पृ. 23

⁷ एन. डकर्स, 'कास्ट्स ऑफ माइन्ड: कॉलोनीयलिज्म एण्ड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया', दिल्ली: परमानेट ब्लैक, 2001, पृ. 243

⁸ वही, पृ. 11

⁹ वही, पृ. 14

¹⁰ रजनी, कोठारी, भारत में राजनीति, (अनु.) अशोक जी, दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2013, पृ. 163

¹¹ वही, पृ. 199

¹² वही, पृ. 176

संदर्भ-ग्रंथ-सूची

- डकर्स, एन. (2001). कास्ट ऑफ माइन्ड : सोलोनीयलिस्म एण्ड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया. दिल्ली : परमानेट ब्लैक.
- जेफरलोट, सी. (2003). इंडियाज साइलन्ट रेवोल्यूशन : द राइज़ ऑफ द लॉ कास्ट्स इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स. दिल्ली : परमानेट ब्लैक.
- कोठारी, रजनी. (2003). भारत में राजनीति (अशोक जी, अनु.). दिल्ली : ओरियंट ब्लैकस्वॉन.
- जोधका, एस.एस. (2015). कास्ट इन कंटेम्पोररी इंडिया. दिल्ली : रूटलेज.

Submitted : April 28, 2023

Manuscript Timeline

Accepted : May 12, 2023

Published : June 25, 2023

चीनी साहित्य में चीन का अल्पसंख्यक समुदाय : एक परिचय

डॉ. निशांत कुमार¹

शोध सार

चीन में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या चीन की पूरी आबादी के दसवें हिस्से से भी कम है, परंतु उसमें संघटक हैं तक्रीबन पचास से भी ज्यादा जातीय अल्पसंख्यक समुदाय। इन समुदायों का रहन-सहन, पहनावा, बोली और संस्कृति भी एक-दूसरे से काफ़ी भिन्न है। ये समुदाय ऐसे तो चीन के विभिन्न हिस्सों में फैले हैं पर इनके विशेषाधिकार वाले पाँच स्वायत्त क्षेत्र भी स्थापित किए गए हैं। चीन का साहित्य इन जातीय अल्पसंख्यक समुदायों के इन्हीं विशिष्टताओं को समय समय पर सामने लाता रहा है। चाहे वो प्राचीन चीनी कवितायें हों या आधुनिक एवं समकालीन चीनी साहित्य, सभी में इन समुदायों की एक झलक वर्णित होती रही है। प्रस्तुत शोध पत्र इन्हीं उद्घरणों की पड़ताल करके इन समुदायों की विशेषताओं को दर्शने का एक प्रयास है।

बीज शब्द : चीनी साहित्य, अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक साहित्य।

भौमिका-

चीन, हमारा पड़ोसी देश, जो दुनिया के विकासशील देशों की सूचि में अग्रणी है, इसकी सभ्यता भी भारत की तरह ही तक्रीबन पाँच हजार वर्ष प्राचीन है। जनसंख्या की दृष्टि में चीन का विश्व में प्रथम तथा क्षेत्रफल में तृतीय स्थान है (Lu & Sheel, 1994)। यह विशालकाय राष्ट्र विश्व के मानचित्र में भारत से उत्तर-पूर्व की तरफ स्थित है। चीन में कई समुदाय हैं, जिनमें से कई हजारों वर्षों से इस क्षेत्र में बसे हुए हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों की अवधारणा चीन में इतनी स्पष्ट नहीं है। इसके बजाय, चीन सरकार अपने अल्पसंख्यक समुदायों को “शाओशु मीनत्सु” यानि “जातीय अल्पसंख्यक” के रूप में संदर्भित करती है (Du & Lin, 2006)। चीन में कई जातीय अल्पसंख्यक समूहों का अपना अनूठा इतिहास और उत्पत्ति है, जिनमें से कुछ एक का तो हजारों साल पहले से अनुरेखण किया जा सकता है।

चीन के “शाओशु मीनत्सु”-

चीन जातीय अल्पसंख्यक समुदायों की एक विविध श्रेणी का घर है, जिनमें से कई की अपनी अनूठी संस्कृतियां, परंपराएं और भाषाएं हैं। चीनी सरकार के अनुसार, चीन में 56 मान्यता प्राप्त जातीय समूह-

¹सहायक प्रोफेसर, चाइनीज अध्ययन केंद्र; भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन विद्यालय, गांधीनगर – 382030। ईमेल - nishant.kumar@cug.ac.in

हैं, जिनमें से सिर्फ एक, हान चीनी बहुसंख्यक समूह हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 91.5% हैं। शेष लगभग 8.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व 55 अल्पसंख्यक समुदाय करते हैं। इन समुदायों की अपनी विशिष्ट संस्कृतियां, भाषाएं और परंपराएं हैं। चुआंग, हुई, मानछु इत्यादि चीन के कुछ सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूहों में शामिल हैं (Du & Lin, 2006)।

चुआंग : एक करोड़ साठ लाख से अधिक की आबादी के साथ, चुआंग चीन में सबसे बड़ा जातीय अल्पसंख्यक समूह है। वे मुख्य रूप से कुआंगशी चुआंग स्वायत्त क्षेत्र, साथ ही युन्नान, कुआंगतुंग और हुनान में पाए जाते हैं।

हुई : हुई लोग मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह हैं और पूरे चीन में पाए जाते हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम में निशिया, कानसु और शिन चियांग जैसे क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इनकी आबादी करीब एक करोड़ पाँच लाख है। वे चीनी बोलते हैं और इस्लाम का अभ्यास करते हैं, और आमतौर पर बहुसंख्यक हान चीनी आबादी द्वारा स्वीकार किए जाते हैं।

मानछु : मांचू जातीय समूह है जिसने 1644 से 1912 तक चीन पर शासन किया। आज, वे मुख्य रूप से लियाओनिंग, चिलिन और हेइलूंगचियांग के पूर्वोत्तर प्रांतों में पाए जाते हैं, जिनकी आबादी लगभग एक करोड़ तीन लाख है।

उझुर : उझुर एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह हैं जो मुख्य रूप से शिन चियांग उझुर स्वायत्त क्षेत्र (उत्तर पश्चिमी चीन) में रहते हैं, जहां वे लगभग 46% आबादी बनाते हैं। वे हाल के वर्षों में बढ़ी हुई सरकारी जांच और प्रतिबंधों के अधीन रहे हैं। जिनकी आबादी लगभग एक करोड़ है।

तिब्बती : तिब्बती लोग मुख्य रूप से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ-साथ छिंगहाए, सिलुआन, युन्नान और कानसु में रहते हैं। उनकी लगभग साठ लाख की आबादी है और मुख्य रूप से बौद्ध हैं। उनकी एक अलग संस्कृति और भाषा है, और उन्होंने सांस्कृतिक दमन और राजनीतिक उत्पीड़न का अनुभव किया है।

मंगोल : मंगोल एक खानाबदोश लोग हैं जो मुख्य रूप से उत्तरी चीन के एक स्वायत्त क्षेत्र इनर मंगोलिया में रहते हैं। उनकी अपनी भाषा और संस्कृति है और उन्होंने सांस्कृतिक दमन का अनुभव किया है। इनकी आबादी लगभग पचास लाख नब्बे हजार है।

चीन में अन्य जातीय अल्पसंख्यक समूहों में मियाओ, यी, पाए, थूचिया और कोरियाई शामिल हैं। चीन का थाथाअर समुदाय सबसे कम आबादी वाला अल्पसंख्यक समुदाय है, जिनकी जनसंख्या महज तीन से चार हजार के बीच है। चीन का युन्नान प्रदेश एक ऐसा प्रांत है जो अकेले ही 25 से ज्यादा जातीय अल्पसंख्यक समूहों का घर है। जबकि चीन आधिकारिक तौर पर अल्पसंख्यक समूहों की अपनी विविध

श्रेणी को मान्यता देता है और उनका जश्न मनाता है, इनमें से कुछ समुदायों के खिलाफ सांस्कृतिक दमन, भेदभाव और मानवाधिकारों के हनन के बारे में चिंता जताई गई है।

सरकारी नीतियाँ एवं “शाओशु मीनत्सु”-

चीनी सरकार ने चीन में अल्पसंख्यक समुदायों के विकास और सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न नीतियों को लागू किया है। क्षेत्रीय स्वायत्ता की नीति के अंतर्गत चीन ने अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के लिए पाँच स्वायत्त क्षेत्रों की स्थापना की है, जिनमें तिब्बत, शिन चियांग, इनर मंगोलिया, कुआंग्शी और निशिया शामिल हैं। इन क्षेत्रों को अपने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में कुछ हद तक स्वायत्ता प्राप्त है। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों को लागू किया है, जो विश्वविद्यालय प्रवेश और सरकारी रोजगार जैसे क्षेत्रों में अधिमान्य अवसर प्रदान करती हैं। चीन में सकारात्मक कार्रवाई नाम से प्रचलित ये नीतियाँ विश्वविद्यालय प्रवेश में अल्पसंख्यक छात्रों को वरीयता प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, अल्पसंख्यक छात्रों को कुछ विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए हान छात्रों की तुलना में कम स्कोर की आवश्यकता हो सकती है।

चीनी सरकार ने अल्पसंख्यक संस्कृतियों और भाषाओं के संरक्षण और विकास का समर्थन करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत भी की है। हालांकि मंदारिन चीनी चीन की आधिकारिक भाषा है, इसके अतिरिक्त सरकार ने कई अल्पसंख्यक भाषाओं को भी कुछ क्षेत्रों में आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। उदाहरण के लिए, अल्पसंख्यक क्षेत्रों के स्कूल मंदारिन के अलावा स्थानीय भाषा में भी विषय पढ़ा सकते हैं, और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं को अक्सर त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

चीनी सरकार ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को लागू किया है, जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना और पर्यटन को बढ़ावा देना। हालांकि, ऐसी चिंताएं रही हैं कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आर्थिक विकास से भूमि जब्ती और पारंपरिक समुदायों का विस्थापन हो सकता है।

चीन में कुछ ऐसी नीतियाँ भी रही हैं जो हान लोगों और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ अलग व्यवहार करती हैं। चीन की एक-बाल नीति, जो 1979 में लागू की गई थी और आधिकारिक रूप से 2015 में समाप्त हो गई, सभी हान चीनी जोड़ों पर लागू होती थी, लेकिन जातीय अल्पसंख्यक समूहों पर नहीं। क्षेत्र के आधार पर अल्पसंख्यक जोड़ों को दो या तीन बच्चे पैदा करने की अनुमति थी।

हालांकि, इन नीतियों के बावजूद, चीन में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ व्यवहार को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं। आलोचकों का तर्क है कि अल्पसंख्यक संस्कृतियों और भाषाओं को दबाने के लिए कुछ नीतियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और अल्पसंख्यक समूहों, विशेष रूप से शिन चियांग में उझर

लोगों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरें आई हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ अल्पसंख्यक समुदायों ने भूमि अधिकारों और उनके जीवन के पारंपरिक तरीकों पर आर्थिक विकास के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त, ऐसी चिंताएँ हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों का समर्थन करने के उद्देश्य से कुछ नीतियों का उपयोग उनकी संस्कृतियों को दबाने और हान चीनी संस्कृति में आत्मसात करने को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

अल्पसंख्यक साहित्य तथा साहित्य में अल्पसंख्यक -

चीन में अल्पसंख्यक साहित्य देश के अल्पसंख्यक जातीय समूहों से संबंधित लेखकों द्वारा निर्मित साहित्यिक कार्यों को संदर्भित करता है। ये रचनाएँ अक्सर अल्पसंख्यक भाषाओं में लिखी जाती हैं और इन समुदायों के अनुभवों, संस्कृतियों और परंपराओं को उद्घृत करती हैं। चीन में अल्पसंख्यक साहित्य के विकास को अल्पसंख्यक संस्कृतियों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों का समर्थन मिला है। उदाहरण के लिए, सरकार ने अल्पसंख्यक लेखकों और कलाकारों के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों की स्थापना की है, और अल्पसंख्यक साहित्यिक कार्यों के प्रकाशन और प्रसार के लिए धन उपलब्ध कराया है।

चीन में अल्पसंख्यक साहित्य के शुरुआती उदाहरणों में थांग वंश की कविताएँ रही हैं। हालाँकि, अल्पसंख्यक साहित्य का आधुनिक विकास 20 वीं शताब्दी की आरंभ में शुरू हुआ, जब ल्यु युंगहुआंग (हुई), मा रनचुंग (मंगोलियाई), और खोसो (तिब्बती) जैसे लेखकों का उदय हुआ।

1950 और 1960 के दशक में, चीनी सरकार ने अल्पसंख्यक संस्कृतियों का समर्थन करने के अपने बड़े प्रयासों के तहत अल्पसंख्यक साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया। इस समय के दौरान अल्पसंख्यक भाषाओं में कई साहित्यिक कृतियों की रचना की गयी, जिनमें उपन्यास, लघु कथाएँ और कविताएँ शामिल हैं।

हालाँकि, 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सांस्कृतिक क्रांति के दौरान, अल्पसंख्यक साहित्य को साहित्य और कला के अन्य सभी रूपों के साथ नुकसान उठाना पड़ा। कई लेखकों और कलाकारों को सताया गया, और असंख्य साहित्यिक कार्यों को सेंसर या नष्ट कर दिया गया।

1980 के दशक के बाद से, चीन में अल्पसंख्यक साहित्य में नए सिरे से रुचि पैदा हुई है, अल्पसंख्यक भाषाओं के साथ-साथ मानक चीनी भाषा में भी कई नए काम प्रकाशित हुए हैं। कुछ उल्लेखनीय समकालीन लेखकों में अलत असेम (उझुर), आ लाए (तिब्बती) और यिलिन (मानछु) शामिल हैं। ये लेखक सांस्कृतिक पहचान, ऐतिहासिक स्मृति और अपने समुदायों को प्रभावित करने वाले सामाजिक मुद्दों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर रचनाएँ लिखते हैं।

चीनी साहित्य का चीन में अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन और अनुभवों को प्रतिबिंबित करने का एक लंबा इतिहास रहा है। आधुनिक रचनाओं में मो यान रचित “हूँग काओलियांग” उपन्यास शान तुंग प्रांत के एक छोटे से गाँव में एक परिवार की कहानी और उनके जीवन पर जापानी आक्रमण के प्रभाव को बताता है। परिवार हुई अल्पसंख्यक समूह का हिस्सा है, और उपन्यास उनके अनुभवों और परंपराओं की पड़ताल करता है।

चियांग रुंग की रचना “लांग थुथंग” सांस्कृतिक क्रांति के दौरान इनर मंगोलिया में एक हान चीनी छात्र के अनुभवों का अनुसरण करता है जो खानाबदोश चरवाहों के बीच रहने के लिए जाता है। उपन्यास चरवाहों और भेड़ियों के बीच संबंधों की पड़ताल करता है और पारंपरिक मंगोलियाई संस्कृति और आधुनिकता की मांगों के बीच के तनाव को उद्घृत करता है।

वांग आन यी द्वारा रचित “छांग हन क”, यह उपन्यास वांग छिआओ नाम की एक शंघाई महिला के जीवन का अनुसरण करता है, और उसके जीवन के दौरान चीनी समाज में बदलाव की पड़ताल करता है। उपन्यास में मियाओ अल्पसंख्यक समूह की एक युवती के बारे में एक सबप्लॉट शामिल है जो एक नर्तकी के रूप में काम करने के लिए शांगहाई आती है।

चू शियाओलिन की लघु कथाएँ कुइचोउ प्रांत में मियाओ लोगों के जीवन की पड़ताल करती हैं। उनकी कहानियाँ रोजमर्रा के जीवन के संघर्षों और खुशियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, और मियाओ संस्कृति और परंपराओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

छिर्त त्सीचिएन की रचना “अअरकुना ह द योउ आन”, यह उपन्यास पूर्वोत्तर चीन के एक अल्पसंख्यक समूह इवांकी (Ewenke zu) लोगों के बीच स्थापित है। उपन्यास तुनहुआंग नाम की एक महिला के जीवन का अनुसरण करता है, जो अपनी मूल भाषा की अंतिम वक्ता है। उपन्यास आधुनिक जीवन के तरीके पर आधुनिकीकरण के प्रभाव की पड़ताल करता है, और तेजी से बदलाव की इस स्थिति में अपनी परंपराओं को बनाए रखने के संघर्ष को बखूबी दर्शाता है।

चीनी कविता में अल्पसंखकों का उल्लेख-

चीनी कविता में चीन में अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृतियों और अनुभवों को प्रतिबिंबित करने की एक समृद्ध परंपरा है। चीनी साहित्य में काव्य की प्रतिष्ठा थांग राजवंश के समय स्थापित हो जाती है, जो उस समय के महान् कवियों की उपलब्धि के फलस्वरूप संभव हो पता है।

थांग कविता -

थांग राजवंश (618-907 CE) चीन में महान सांस्कृतिक उत्कर्ष का समय था, और उस युग के कई कवियों ने देश के अल्पसंख्यकों सहित कई जातीय समूहों के जीवन और अनुभवों के बारे में लिखा था।

चीन में अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृतियों और परंपराओं का पता लगाने वाली थांग कविता के कुछ सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में शामिल हैं :

“मुलान का गाथागीत” : यह एक प्रसिद्ध लोक कविता है जो हुआ मुलान नामक मंगोल जनजाति की एक युवा महिला की कहानी बताती है जो एक पुरुष का छद्म वेश धारण कर अपने बृद्ध पिता के स्थान पर सेना में शामिल होती है। कविता में हुआ मुलान, मंगोल लोगों की बहादुरी को चरितार्थ करती है।

एक और उदाहरण थांग राजवंश के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक ली पाय का काम है। ली पाय ने अक्सर पश्चिमी चीन के परिदृश्य और संस्कृतियों के बारे में लिखा, जहां कई अल्पसंख्यक समूह रहते हैं। उनकी कविताएँ अक्सर इन समूहों के रीति-रिवाजों और परंपराओं का संदर्भ देती हैं, और उन्हें अपने लेखन में उन संस्कृतियों के सार को पकड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता था। ली पाय की कविता जिसका शीर्षक “पश्चिमी प्रदेश में यात्रा कर रहे यात्री के रात के विचार” है, में ली पाय ने पश्चिमी क्षेत्र के परिदृश्य का वर्णन करते हुए सोग्डियन लोगों के रीति-रिवाज को भी दर्शाया है, जो उस क्षेत्र के एक प्रमुख अल्पसंख्यक समूह थे। ली पाय अपनी एक कविता में अपने गृह प्रदेश से दूर अपने गाँव, नगर वहाँ के लोग और अपनी संस्कृति को याद करते हुए भाव विभोर होकर ये कहते हैं :

床前明月光	छुआंगछिएन मिंग युए कुआंग
疑是地上霜	यीशिर्तीशांगशुआंग
举头望明月	च्युथोउवांगमिंग युए
低头思故乡	तीथोउ शिआंग कु शीयांग

-李白(ली पाय)

(Deepak, 2017)

हिंदी रूपांतरण :

बिस्तर के आगे चाँदनी फैली है
शायद जमीन पर बिछी बर्फ की चादर है
सर उठाकर चाँद को निहारता हूँ
सर झुकाकर अपने गृहनगर के बारे में सोचता हूँ

पाए च्युयी की लंबी कथात्मक कविता “सॉना ऑफ एवरलास्टिंग रिग्रेट” (長恨歌), थांग राजवंश के सप्राट च्युएनचूंग और उनकी प्रिय उपपत्नी यांग कुईफैई की कहानी कहती है। कविता में चीन के विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों जैसे तिब्बतियों और उझगरों के रीति-रिवाजों और परंपराओं के संदर्भ शामिल हैं।

वांग वेई की कविता “यंगकुआन से प्रस्थान” (從軍行), चीन की पश्चिमी सीमा के लिए एक सैनिक की यात्रा का वर्णन करती है। कविता में विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के रीति-रिवाजों और परंपराओं के संदर्भ शामिल हैं, जैसे कि सोणियन और क्रियांग लोग।

ली ह की कविताओं का संग्रह “दक्षिण का एक गीत” (南歌子), दक्षिणी चीन की संस्कृतियों और परंपराओं की पड़ताल करता है, जिसमें चुआंग जैसे विभिन्न अल्पसंख्यक समूह शामिल हैं।

पूर्वी चिन राजवंश में लिखी गई वांग चित्स की प्रस्तावना, “आर्किड पवेलियन की कविताओं के संग्रह की प्रस्तावना” (蘭亭集序), जो कि थांग राजवंश से भी जुड़ी हुई है, चीनी संस्कृति की विविधता का जश्न मनाती है और इसमें रीति-रिवाजों के संदर्भ शामिल हैं और तिब्बतियों और मंगोलों सहित विभिन्न जातीय समूहों की परंपराएँ।

अन्य कविताएँ -

थांग राजवंश के अतिरिक्त चीनी इतिहास के अन्य कवियों ने भी अपने काम में अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन और अनुभवों का उल्लेख किया है। सुंग राजवंश के कवि सु शि ने चुआंग लोगों के रीति-रिवाजों के बारे में लिखा, जबकि छिंग राजवंश के कवि ली यू ने मानचु लोगों की संस्कृतियों की चर्चा की।

ली शुथोंग द्वारा रचित “यी लोगों का गीत” कविता दक्षिण-पश्चिमी चीन के अल्पसंख्यक समूह यी लोगों की संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाती है। कविता यी लोगों के कपड़ों, नृत्य और संगीत की सुंदरता का वर्णन करती है, और इन परंपराओं के यी जीवन के महत्व को दर्शाती है (Huang & Song, 2003)।

माओ त्स तुंग रचित “चियांग नदी” कविता हुनान प्रांत के परिदृश्य और संस्कृतियों का वर्णन करती है, जहां माओ बड़े हुए थे। कविता में थू चिया लोगों के रीति-रिवाजों और परंपराओं के संदर्भ शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में रहने वाला एक अल्पसंख्यक समुदाय है।

लिउ चुंगयुएन द्वारा “छांगचियांग नदी पर सफेद बर्फ” नामक कविता हुनान प्रांत के परिदृश्य और संस्कृतियों का वर्णन करती है, और इसमें मियाओ लोगों के रीति-रिवाजों के संदर्भ शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में जीवनयापन करने वाला अल्पसंख्यक समूह है। कविता मियाओ लोगों और उनकी संस्कृति की सुंदरता और लचीलेपन को दर्शाती है (Huang & Song, 2003)।

चीनी कविता चीन के कई जातीय एवं जनजातीय समूहों की विविध संस्कृतियों और अनुभवों की एक अद्वितीय और मूल्यवान झलक प्रदान करती है, और पूरे चीनी इतिहास में इन संस्कृतियों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

चीनी कविता की चीन में अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृतियों और अनुभवों को प्रतिबिंबित करने की एक लंबी और समृद्ध परंपरा है। चीन के कई जातीय एवं जनजातीय समूहों की विविधता का जश्न मनाने, उनके संघर्षों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने और उनकी संस्कृतियों की बारीकियों का पता लगाने के लिए विभिन्न कालों में काव्य विधा का समुचित उपयोग किया गया है।

20वीं शताब्दी के आधुनिक चीनी साहित्य में अल्पसंख्यक समुदाय -

20वीं शताब्दी में, चीनी कविता, विशेष रूप से देश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में, चीन में अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन और अनुभवों को प्रतिबिंबित करती रही। 20वीं सदी की चीनी कविताओं के कुछ उदाहरण जो अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी हुई हैं:

पाए हुआ रचित “घास का मैदान” (草原) : 1960 के दशक में लिखी गई यह कविता, चीन में मंगोलियाई अल्पसंख्यक समुदाय के घर, इनर मंगोलिया के घास के मैदानों पर जीवन की सुंदरता और कठोरता को दर्शाती है (Liu, 2003)।

अथुकान रचित “कजाख समुदाय का एक गीत” (哈萨克之歌) : 1950 के दशक में लिखी गई यह कविता, पश्चिमी चीन में शिन चियांग में कजाख अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाती है (Liu, 2003)।

कुओ फ़ंगरचित ‘‘यी समुदाय का दुखद गीत’’ (彝族悲歌) : 1970 के दशक में लिखी गई यह कविता, दक्षिण-पश्चिमी चीन में यी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा सामना किए गए संघर्षों और कठिनाइयों को दर्शाती है, विशेष रूप से सांस्कृतिक क्रांति (1966-76) के संदर्भ में (Liu, 2003)।

ल्यु द आन रचित “माँ के नाम एक पत्र” (致母亲的信) : 1980 के दशक में लिखी गई यह कविता, यी अल्पसंख्यक समुदाय की एक युवा महिला के अनुभवों की झलक पेश करती है, जिसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर भेजा जाता है। कविता की पंक्तियाँ पारंपरिक यी संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बीच तनाव को दर्शाती हैं।

ताशी ता वा रचित “खूबसूरत इस्लाम” (美丽的伊斯拉) : 1990 के दशक में लिखी गई यह कविता, पश्चिमी चीन में शिन चियांग में उईघुर अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाती है और साथ ही राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के सामने इन परंपराओं को बनाए रखने की चुनौतियों को दर्शाती है।

ये कविताएं, 20वीं शताब्दी में चीन के कई जातीय अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन और अनुभवों में एक खिड़की पेश करती हैं, और इन समुदायों की समृद्धि और विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती हैं।

समकालीन चीनी कविता में अल्पसंख्यक समुदाय -

समकालीन चीनी कविता चीन में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ जुड़ना जारी रखती है, उनके अनुभवों की खोज करती है और उनकी संस्कृतियों का जश्न मनाती है। यहाँ समकालीन चीनी कवियों के कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया है :

ये फू (叶赋) : ये फू दक्षिण-पश्चिमी चीन में युन्नान प्रांत के एक कवि हैं, जो यी, पाए और हानी लोगों सहित क्षेत्र के कई अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृतियों और परंपराओं की खोज के लिए जाने जाते हैं। उनकी कविता अक्सर इन समुदायों में परंपरा और आधुनिकता के बीच तनाव को दर्शाती है (Liu, 2003)।

वांग शियाओनी (王小妮) : वांग शियाओनी पूर्वी चीन के शान तुंग प्रांत के एक कवि हैं, जिन्होंने कुईचोउ प्रांत में मियाओ अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति और परंपराओं पर विस्तार से लिखा है। उनकी कविता अक्सर आधुनिकीकरण के सामने अपनी परंपराओं और पहचान को संरक्षित करने में मियाओ लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है (Liu, 2013)।

मांग ख (芒克) : मांग खउत्तर-पश्चिमी चीन के छिंगहाए प्रांत में “हुई” अल्पसंख्यक समुदाय के एक कवि हैं। उनकी कविता अक्सर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले हुई लोगों की अनुभवों की पड़ताल करती है, और हुई समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को दर्शाती है (Liu, 2003)।

शी छुआन (西川) : शी छुआन दक्षिण-पश्चिमी चीन के सिछुआन प्रांत के एक कवि हैं, जिन्होंने पश्चिमी चीन में तिब्बतियों, उझुरों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृतियों और परंपराओं पर विस्तार से लिखा है। उनकी कविताएँ अक्सर इन समुदायों और चीनी राज्य के बीच तनाव को दर्शाती हैं (Liu, 2003)।

ओउयांग जियांग ह (欧阳江河) : ओउयांग जियांग हमध्य चीन के हुनान प्रांत के एक कवि हैं, जिन्होंने चीन के कई अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृतियों और परंपराओं पर बड़े पैमाने पर लिखा है, जिसमें मियाओ, चुआंग और यी लोग शामिल हैं। उनकी कविताएँ इन समुदायों पर चीन में हुए आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव की चर्चा करती हैं (Liu, 2003)।

ये कवि, समकालीन चीन में अल्पसंख्यक समुदायों के अनुभवों और संस्कृतियों पर विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, इन समुदायों की समृद्धि और जटिलता और चीनी समाज और संस्कृति में उनके योगदान को उजागर करते हैं।

उपसंहार -

चीन में कई अल्पसंख्यक समुदायों की उत्पत्ति एक जटिल और बहुआयामी इतिहास है जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय विविधता को दर्शाता है।

प्राचीन एवं आधुनिक चीनी साहित्य की विभिन्न विधाएँ जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन को चित्रित करती रही हैं। प्राचीन थांग काव्य की तरह समकालीन चीनी कविता भी चीन में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ जुड़ना जारी रखती है, उनके अनुभवों की खोज करती है और उनकी संस्कृतियों का जश्न मनाती है। ये फू, वांग शियाओनी, मांग ख, ओउयांग जियांग ह आदि जैसे ये समकालीन कवि, समकालीन चीन में अल्पसंख्यक समुदायों के अनुभवों और संस्कृतियों पर विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, इन समुदायों की समृद्धि, जटिलता और चीनी समाज और संस्कृति में उनके योगदान को उजागर करते हैं।

दोनों देशों के अलग-अलग ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भों के कारण चीन और भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति अलग है।

भारत में, “अल्पसंख्यक” शब्द का उपयोग मूलतः धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को संदर्भित करने के लिए किया जाता रहा है। भारत में हिंदू जो कि बहुसंख्यक हैं उनके अतिरिक्त मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इत्यादि कई धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय प्रवास करते हैं, जिन्हें भारत के संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है। इन्हें संविधान के द्वारा समान अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। इनके अतिरिक्त देश के स्वदेशी समुदायों से आनेवाले आदिवासी भी अल्पसंख्यक हैं, भारत में इन समुदायों के सामाजिक और आर्थिक हाशियाकरण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो अक्सर देश के सबसे गरीब और सबसे कमजोर समूहों में से हैं। भारत सरकार ने इन समुदायों की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम स्थापित किए हैं, जिनमें सकारात्मक कार्यावाई नीतियां और जनजातीय क्षेत्रों की स्थापना शामिल है, जो इन समुदायों के विशेष उपयोग के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र हैं। विभिन्न भाषाओं में रचित भारतीय साहित्य भी अक्सर इन अल्पसंखक समुदायों का पक्षकार रहा है, जिनका योगदान इन समुदायों के विकास और इनकी संस्कृतियों के संरक्षण में अग्रणी रहा है।

चीन में, कई जातीय अल्पसंख्यक समूह, जिन्हें अक्सर “अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता” कहा जाता है, ये चीनी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और कुछ क्षेत्रों में कुछ हद तक स्वायत्ता रखते हैं। उदाहरण के लिए, चीन में तिब्बत और शिन चियांग सहित पांच स्वायत्त क्षेत्र हैं, जहां स्थानीय जातीय अल्पसंख्यक समूहों का अपने मामलों पर कुछ नियंत्रण है। हालांकि, अल्पसंख्यक समूहों, विशेष रूप से शिन चियांग में उईघुर लोगों के दमन के लिए चीनी सरकार की अक्सर आलोचना की जाती है, जिन्होंने हाल के वर्षों में बढ़ती निगरानी और प्रतिबंधों का सामना किया है।

कुल मिलाकर, यद्यपि चीन और भारत दोनों ने अपने-अपने अल्पसंख्यक समुदायों को मान्यता दी है, इन समुदायों की स्थिति और उपचार दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों के कारण काफी भिन्न हैं।

संदर्भ -

- Deepak, B. R. (2017). *History of Ancient Chinese Literature* 《中国古代文学史》, Pigeon Books, New Delhi.
- Du, R. A., & Lin, H. T. (2006, March 1). *Speaking Chinese about China-I*, Sinolingua Press.
- Huang, Y. & Song, Z. H. (2003). 黄悦, 宋长宏编著: 《20世纪中国文学史纲》, 北京语言大学出版社.
- Liu, Y. (2003). 刘勇 《中国现当代文学》, 中国广播电视台出版社, 北京.
- Lu, Y. & Sheel, K. (1994). *The Yellow River and the Ganges: Introductory Readings on Chinese and Indian Culture and Interaction* 《黄河与恒河》, Abhash Prakashan, Varanasi.
- Mair, V. H. (2010, March 10). *The Columbia History of Chinese Literature*. Columbia University Press.
- 中国政府网_中央人民政府门户网站. (n.d.). <https://www.gov.cn/>

Manuscript Timeline

Submitted : April 24, 2023

Accepted : May 12, 2023

Published : June 25, 2023

राजभाषा हिंदी : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**डॉ. रूपेश कुमार¹**

आधुनिक हिंदी के प्रयोग का लिखित प्रमाण आज से लगभग एक हजार साल पूर्व से मिलने लगता है। हिंदी की अलग-अलग बोलियों ने समय-समय पर उसका प्रतिनिधित्व किया जैसा कि आज खड़ी बोली कर रही है। यह दिल्ली और उसके आस-पास की बोली है। डॉ. रामविलास शर्मा लिखते हैं कि “भारत के हिंदी भाषी प्रदेश में अन्य देशों की तरह व्यापार का विकास हुआ। इस प्रदेश का इतिहास सम्मत नाम हिंदुस्तान है; उसकी भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी है। हिंदी का आधार दिल्ली और उसके निकटवर्ती प्रदेशों की बोली – खड़ी बोली- बनी, क्योंकि दिल्ली राजनीतिक और आर्थिक जीवन का एक प्रमुख केंद्र थी।”¹ दिल्ली के बढ़ते प्रभाव के साथ खड़ी बोली हिंदी का विस्तार हुआ और आगे चलकर यह नव जागरण और स्वाधीनता संग्राम की भाषा बनी, जिसके कारण न केवल हिंदी भाषी क्षेत्र के समाज सेवियों, चिंतकों और साहित्यकारों ने न केवल इसका प्रयोग किया बल्कि इसके प्रचार-प्रसार में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उदहारण के लिए आधुनिक भारत के प्रसिद्ध चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती गैर हिंदी भाषी (गुजराती) होते हुए भी अपने भाषणों, ग्रन्थों और शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हिंदी को आगे बढ़ाने का काम किया। हिंदी भाषी क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रचार-प्रसार में जिन लोगों का योदान रहा है उनमें नवजागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सर्वोपरि है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवनी लेखक श्री ब्रजरत्न दास लिखते हैं कि “निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल” मंत्र को मानने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी स्कूल खोलने के बाद से ही मातृ-भाषा की सेवा की ओर झुक पड़े। हिंदी समाचार पत्रों की कमी देखकर कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा हरिश्चंद्र चन्द्रिका, बालाबोधिनी आदि पत्रिका-पत्र स्वयं अपने व्यय से निकाले और दूसरों को सहायता देकर पत्र प्रकाशित कराए। इन पत्रों से इन्हें बराबर धन की हानि ही पहुँचती रही। हिंदी में पुस्तकों का अभाव देखकर समयानुकूल पुस्तकों की रचना आरंभ की और हिंदुओं में हिंदी प्रेम कम देखकर उन्हें प्रकाशित कर बिना मूल्य वितरण करना आरंभ कर दिया। अन्य लोगों को हिंदी ग्रन्थ-रचना का उत्साह दिला कर बहुत-सी पुस्तकें प्रकाशित कराईं।² स्पष्ट है कि खड़ी बोली हिंदी के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का निजी योगदान बहुत अधिक है। वे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रयास किया। ब्रजरत्नदास लिखते हैं कि “सन् 1868 ई. में सर विलियम म्योर इस पश्चिमोत्तर प्रांत के छोटे लाट नियुक्त होकर आए और सन् 1874 ई. तक इस पद पर रहे... भारतेंदु जी ने हिंदी को राज भाषा बनाने के लिए इनके समय में बहुत कुछ आंदोलन किया था पर यह असफल रहे।”³ लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखाया वह हिंदी को राजभाषा बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। आगे चलकर अनेक संस्थाओं और बुद्धजीवियों ने इस विश्वा में महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे आजादी के बाद

¹ असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी साहित्य विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र (वर्धा).मो.- 9404549085, ई-मेल: dr.roopeshsingh@gmail.com

हिंदी राज भाषा का दर्जा प्राप्त कर सकी। संस्थाओं में 1893 ई. में नागरी प्रचारणी सभा, काशी का गठन हुआ। सभा को श्री गोपाल प्रसाद खत्री, श्री राम नरायण मिश्र और बाबू श्यामसुंदर दास जैसे विद्वानों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस संस्था के प्रमुख लक्ष्यों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करना था। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के 16 वर्षों बाद 1910 ई. में प्रयाग में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में आयोजित एक अधिवेशन में ‘हिंदी साहित्य सम्मलेन’ की स्थापना की गई, जिसमें पुरसोत्तम दास टंडन को प्रमुख बनाया गया। सम्मलेन का पहला उद्देश्य हिंदी एवं देवनागरी लिपि का प्रचार था। दोनों संस्थाओं नागरी प्रचारणी सभा और साहित्य सम्मलेन ने पुस्तकालय की स्थापना के साथ प्रकाशन कार्य किया और बहुत कम दाम पर पाठकों को हिंदी की अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराईं साथ ही संगोष्ठियों और सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी को सशक्त बनाया।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सन् 1915 में महत्मा गांधी का प्रवेश होता है और वे भारत को समझने के लिए विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हैं, जिससे उनको यह अनुभव प्राप्त होता है कि देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक राष्ट्र भाषा का होना आवश्यक है। भ्रमण से मिले अनुभव से उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि यह कार्य केवल हिंदी ही कर सकती है। इसके पीछे दो कारण हैं एक तो उस समय भी हिंदी सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा थी। दूसरा हिंदी क्षेत्र के साथ गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी के विकास को लेकर कार्य हो रहा था। इस संबंध में राम किशोर शर्मा लिखते हैं कि “दक्षिण अफ्रीका में वर्ण भेद के विरुद्ध संघर्ष से अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत करने वाले गांधी जी जब भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, उसके काफी पहले से नवजागरण की चेतना संपूर्ण भारत में पैदा हो चुकी थी। अंग्रेजी के विकल्प में भारतीय भाषाओं की उपादेयता तथा महत्ता को समझने की चिंता प्रबुद्ध राष्ट्रीय नेताओं को उद्द्वेलित कर रही थी। सत्ता पक्ष ने भी भारतीय भाषाओं के महत्व को राजनीतिक दृष्टि से देखना आरंभ कर दिया था। 1800 ई. में कंपनी के अधिकारियों को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। हिंदी प्रदेश से बहार बंगाल के नेताओं तथा बुद्धजीवियों ने हिंदी के पक्ष में जोरदार समर्थन किया। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी जन जागरण की भाषा बन चुकी थी।”⁴ स्पष्ट है कि गांधी जी को नवजागरण के कारण देश को एकता के सूत्र में बांधने की एक समृद्ध विरासत मिली थी, जिसमें भाषाई स्तर पर हिंदी अग्रणी भूमिका निभा रही थी, जिसकी ऊपर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। ऐसे में महात्मा गांधी ने भी हिंदी के महत्व को समझा और उसके प्रचार-प्रसार के लिए किये जा रहे प्रयासों से खुद को जोड़ा, जिससे हिंदी के विकास को बल मिला।

महत्मा गांधी 1917 ई. में चंपारण के किसान आंदोलन से स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होते हैं और उसके एक वर्ष बाद हिंदी साहित्य सम्मलेन के मंच से कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए यह घोषित करते हैं कि ‘हिंदी ही देश की राष्ट्र भाषा होनी चाहिए।’ इस बात को उन्होंने न केवल कई मंचों से दोहराया बल्कि हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए गठित होने वाली संस्थाओं/समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। 1918 ई. के इंदौर अधिवेशन में भी उन्होंने न केवल उपरोक्त बाते कहीं बल्कि उनकी अध्यक्षता में हिंदी के प्रचार-

प्रसार के लिए एक योजना भी प्रस्तुत की गई, जिससे आगे चलकर 1927 ई. में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। इस संस्था की चार शाखाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में आज भी काम कर रही हैं। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार-प्रसार में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। 1936 ई. में गांधी जी के प्रयास से एक अन्य संस्था की स्थापना वर्धा में की गई, जिसका नाम 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' है। महत्मा गांधी के अलावा इस संस्था के संस्थापक सदस्यों में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, राजविंशी पुरसोत्तमदास टंडन, पंडित जवाहर लाल नेहरू, नेता जी सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य काका कालेकर, सेठ जमनालाल बजाज और मैथिली शरण गुप्त आदि रहे हैं। इस संस्था का हिंदी के प्रचार-प्रसार में बड़ा योगदान रहा है। 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' का उद्देश्य भारत के साथ विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार रहा है। आज भी भारत के विभिन्न प्रदेशों में 25 से अधिक इसकी राज्य इकाइयां हैं, जिसमें उत्तरपूर्व और दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्य शामिल हैं। भारत से बाहर भी लगभग बीस देशों में इसकी शाखाएं हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के अंतरराष्ट्रीय प्रचार-प्रसार में अन्य संस्थाओं की अपेक्षा इस संस्था की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही है।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें हिंदी को आगे ले जाने की दिशा में मील का पत्थर कहा जा सकता है। पहला सराहनीय कार्य 14 सितंबर को भारत सरकार द्वारा हिंदी दिवस घोषित कराने का रहा है। दूसरा इस संस्था ने पहली बार 1975 ई. को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मलेन का आयोजन किया, जिसकी निरंतरता आज भी बनी हुई है, लेकिन अब यह जिम्मेदारी भारत सरकार निभा रही है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मलेन में पारित प्रस्ताव और समिति के लगातार प्रयासों से वर्धा में 1997 ई. में महत्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा में उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रचार-प्रसार है।

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रयास किया और महत्मा गांधी एवं अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा राष्ट्रभाषा हिंदी की बात की गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जहाँ राजभाषा की बात करते हैं वहाँ उनका जोर हिंदी को कचेहरी की भाषा बनाने पर था। महत्मा गांधी की दृष्टि भारतेंदु की अपेक्षा अधिक व्यापक थी, उनकी राष्ट्रभाषा संबंधी अवधारणा में राजभाषा संबंधी सभी बाते शामिल हैं। यह महत्मा गांधी द्वारा राष्ट्रभाषा के संबंध में बताये गये लक्षणों में देख सकते हैं, उनका मत है -

1. वह भाषा सरकारी नौकरों के लिए आसान होनी चाहिए।
2. उस भाषा के भारत का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कामकाज हो सकना चाहिए।
3. उस भाषा को भारत के ज्यादातर लोग बोलते हों।
4. वह भाषा राष्ट्र के लिए आसान हो।
5. उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक या कुछ समय तक रहने वाली स्थिति पर जोर न दिया जाय।

उपरोक्त सभी लक्षण महत्मा गांधी हिंदी भाषा में देखते हैं और कहते हैं कि ‘तो कुन-सी भाषा इन पाँच लक्षणों वाली है? यह माने बिना काम नहीं चल सकता कि हिंदी भाषा में ए सारे लक्षण मौजूद हैं।’⁶ स्पष्ट है कि महात्मा गांधी हिंदी को केवल सरकारी काम-काज की ही भाषा नहीं बनाना चाहते थे बल्कि उसे पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाली भाषा के रूप में देखना कहते थे। शायद यही कारण है कि वे राजभाषा के बजाय राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, किंतु भारत के संविधान में बड़ी मुश्किल से हिंदी कुछ शर्तों के साथ राजभाषा ही बन पायी। संविधान में राष्ट्रभाषा की कहीं चर्चा नहीं है।

आजादी के पूर्व हिंदी के लिए काम करने लोगों और संस्थाओं के कार्यों से हिंदी को औपचारिक राज भाषा का दर्जा तो मिल गया लेकिन वास्तविक सम्मान मिलना अभी भी बाकी है। संविधान में यह प्रावधान किया गया कि “संघ की राजा भाषा हिंदी होगी [अनुच्छेद 343] किंतु संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए उसका ऐसे आरंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।”⁷ स्पष्ट है कि संसद में अगले 15 वर्षों के पश्चात सभी राजकीय कार्य हिंदी में होने थे, किंतु आज भी उसमें अंग्रेजी का वर्चश्व बना हुआ है, जिसके बारे में कभी महत्मा गांधी ने कहा था कि “हमारे पढ़े-लिखे लोगों की दशा देखते हुए ऐसा लगता है कि अंग्रेजी के बिना हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। ऐसा होने पर भी जरा गहरे जाकर देखेंगे तो पाता चलेगा कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा न तो हो सकती है, न होनी चाहिए।”⁸ फिर ऐसा क्या कारण है कि पचास से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक हिंदी राष्ट्रभाषा तो दूर राजभाषा भी ठीक ढंग से नहीं बन पायी है? इसके कारणों की तलाश करने पर पता चलता है कि इसके पीछे मुख्य रूप से तमिलनाडु का हिंदी भाषा विरोधी आंदोलन रहा है। यह आंदोलन 1937 ई. में मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूलों में अनिवार्य हिंदी शिक्षा के विरुद्ध आरंभ हुआ जो तीन वर्षों तक चला। आंदोलन में दो लोगों की मौत हुई और हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई। आंदोलन के कारण अनिवार्य हिंदी शिक्षा के निर्णय को वापस ले लिया गया। संविधान निर्माण के समय भी हिंदी को राजभाषा बनाये जाने के मुद्दे पर बहुत जोरदार बहस हुई। कई गैर हिंदी भाषी राज्यों को उस समय 15 वर्ष बाद भी हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया जाना स्वीकार नहीं था। वे निरंतर अंग्रेजी का उपयोग चाहते थे, जिसके कारण 1963 में सरकार ने ‘राजभाषा अधिनियम’⁹ के द्वारा अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग को सुनिश्चित कर दिया लेकिन उसके बावजूद हिंदी के आधिकारिक भाषा बनाने के लिए सुनिश्चित किये गये दिन 26 जनवरी 1965 को पुनः दंगा फैला जिसमें पुलिस कर्मियों सहित कई व्यक्तियों की मौत हुई। स्थिति को शांत करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पुनः आश्वस्त किया कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य चाहते हैं तब तक अंग्रेजी का अधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग जारी रहेगा। पहले और दूसरे दोनों हिंदी भाषा विरोधी आंदोलन में कांग्रेस की विरोधी न्याय मूर्ति पार्टी जो बाद में द्रविड़ कङ्गारू बनी, उसकी सक्रिय भूमिका रही। हिंदी भाषा विरोधी आंदोलन के कारण 1967 ई. में तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ और यह राजनीतिक लाभ का मुद्दा बन गया लेकिन अब दक्षिण भारत में वैसी स्थितियां नहीं हैं, जैसा आजादी से कुछ समय पहले और बाद में थीं।

भारत की आजादी के बाद दक्षिण भारत सहित पूरी दुनिया में हिंदी को स्वीकारोक्ति दिलाने में सिनेमा, भूमंडलीकरण, बाजारवाद और तकनीकी विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी सिनेमा के निर्माण का केंद्र एक गैर हिंदी भाषी प्रांत महाराष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक राजधानी मुंबई बना, जिसमें काम करने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से हिंदी भाषियों के साथ गैर हिंदी भाषी कलाकार भी पहुँचे। ये ऐसे लोग थे जो सिर्फ कला को लेकर बढ़े। इससे धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा का बंधन कमजोर पड़ा। मुंबई में बनी हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन पूरे भारत ही नहीं पड़ोसी देशों के साथ दुनियां के कई हिस्सों में होने लगा। आज समाज और सत्ता में ऐसी पीढ़ी आ चुकी है जो मुंबई में बने हिंदी सिनेमा को देखते हुए बड़ी हुई है। हिंदी पट्टी में भी अब दक्षिण भारत की भाषाओं में बनी फ़िल्में सुपर हिट हो रही हैं। यह दौर भूमंडलीकरण और बाजारवाद का है इस समय की पीढ़ी तकनीकी संपन्न है। हिंदी का बाजार बड़ा होने के कारण देश और दुनिया में उसको मिलने वाले महत्व को वह जानती और समझती है। यही कारण है कि तमिलनाडु सहित दक्षिण में अब वैसा हिंदी विरोध नहीं है जैसा पहले था। समय के साथ हिंदी देश के भीतर और बहार सशक्त हुई है। भारत द्वारा हिंदी को संयुक्तराष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाये जाने की माँग भी लगातार की जा रही है। ऐसे समय में सरकारी काम-काज के लिए अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित कर उसे राजभाषा का वास्तविक सम्मान देने से न केवल संयुक्तराष्ट्र संघ में हिंदी की दावेदारी मजबूत बनेगी बल्कि उसका वैश्विक महत्व बढ़ेगा।

संदर्भ सूची-

1. शर्मा, रामविलास. (2008). भाषा और समाज. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ-282
2. श्री ब्रजरत्नदास. (1962). भातेन्दु हरिश्चंद्र. इलाहाबाद : हिंदुस्तानी एकेडमी, पृष्ठ-99
3. वही, पृष्ठ- 103
4. गवेषणा (महत्मा गांधी विशेषांक), अंक 15, जनवरी-मार्च 2019, पृष्ठ-83
5. गांधी, महत्मा. (2010). मेरे सपनो का भारत. नई दिल्ली : डायमंड बुक्स, पृष्ठ-156
6. वही, पृष्ठ-157
7. बसु, दुर्गा दास. (1998). भारत का संविधान : एक परिचय. नई दिल्ली : प्रेक्टिस-हाल आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ-387
8. गांधी, महत्मा. (2010). मेरे सपनो का भारत. नई दिल्ली : डायमंड बुक्स, पृष्ठ-156
9. बसु, दुर्गा दास. (1998). भारत का संविधान : एक परिचय. नई दिल्ली : प्रेक्टिस-हाल आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ-391

Manuscript Timeline**Submitted : April 25, 2023****Accepted : May 12, 2023****Published : June 25, 2023****हिंदी सामासिक शब्द पहचानक : एक स्वचालित प्रणाली****गुंजन जैन¹****डॉ. हर्षलता पेटकर²****सारांश**

समास या सामासिक भारतीय भाषाओं की एक नियमित विशेषता है। ये अन्य भाषाओं जैसे जर्मन, इतालवी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश आदि में भी पाए जाते हैं। सामासिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है। इस शब्द का अर्थ सामासिक के प्रत्येक अलग-अलग शब्द से लिया गया है। समास को उत्पन्न करने, पहचानने और उनकी व्याख्या करने के लिए एक प्रणालीको विकसित किया गया है। प्राकृतिक भाषा संसाधन में महत्वपूर्ण कार्य है। सामासिक शब्दों के निर्माण के लिए एक डेटा एवं नियम आधारित उपकरण का निर्माण किया गया है। सामासिक शब्दों के उपयोग में समृद्ध होने के कारण हिंदी भाषा पर ध्यान केंद्रित किया गया है; हालाँकि, यह दृष्टिकोण किसी भी भारतीय भाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओं पर भी लागू किया जा सकता है। वर्डनेट को समृद्ध करने के लिए सामासिक शब्दों को बनाने के पीछे की प्रेरणा शब्दावली में सुधार करना, अर्थ अस्पष्टता को कम करना आदि है। समास-कर्ता का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, जैसे, सामासिक वर्गीकरण, संधि निर्माण, रूपात्मक विश्लेषण, व्याख्या, वाक्य निर्माण, आदि।

यह पेपर 'हिंदी सामासिक (सामासिक) शब्दों के विभाजन एवं पहचान की समस्या पर आधारित है।' हिंदी के लिए सामासिक शब्दों के पहचान एवं विभाजन के लिए एक अच्छी गुणवत्ता वाले टूल विकसित करने के लिए यह प्रासंगिक है। हिंदी सामासिक शब्दों को घटक, स्थान या हाइफन द्वारा अलग नहीं किया जाता है। इसलिए अधिकांश मौजूदा सामासिक शब्द पाठ (*text*) से विभाजन एल्गोरिदम को हिंदी में लागू नहीं किया जा सकता है। हिंदी कार्पस सेसामासिक शब्दों के स्वतः पहचान के लिए इस टूल्स का विकास किया गया है। नियम एवं डाटा एल्गोरिथम पर किए गए प्रारंभिक परीक्षणों ने इनपुट पाठ से सामासिक शब्दों के 85 से 90% की पहचान दर प्राप्त हुई है। इस पहचान में से लगभग 75 से 85% सही विभाजन है।

मुख्य शब्द - समास, कम्प्यूटेशनल, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वन्द्व, कर्मधराय, तत्पुरुष, पहचान

¹ शोधार्थी, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा (महाराष्ट्र)-442001.

ईमेल- jaingunjan75@yahoo.co.in, मो.- 9595212690

² असिस्टेंट प्रोफेसर, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा (महाराष्ट्र)-442001.

परिचय-

हाल ही में हिंदी कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान ने कुछ दशकों से गति प्राप्त की है। इस दशक में हिंदी भाषा के कई स्तरों तक पहुंचने के लिए कम्प्यूटेशनल उपकरण विकसित करने के कई प्रयास किए गए हैं। विभिन्न रूप विश्लेषक, शब्द पहचानक, शब्द जाल के प्रदर्शन की तुलना करने और अंतर-संचालनीयता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकांश हिंदी कम्प्यूटेशनल उपकरण रूपात्मक विश्लेषण और संधि विभाजन को आधार मान कर कार्य हुए हैं। उनमें से कुछ वाक्यात्मक विश्लेषण भी करते हैं। हालाँकि, हिंदी सामासिक को समझने एवं उनके लिए कोई उपकरण लगभग नगण्य रूप से प्रयास हुए हैं। हिंदी भारतीय भाषाओं की अपेक्षा सामासिक निर्माण में बहुत समृद्ध है। सामासिक शब्द उत्पादक होने के कारण यह शब्दों का गुच्छ तैयार हो जाता जिससे इस तरह सभी यौगिकों को एक शब्दकोश में सूचीबद्ध करना भी संभव नहीं है। सामासिक निर्माण में एक अनिवार्य संधि और उपसर्ग एवं प्रत्यय शामिल हैं। लेकिन केवल संधि विभाजन पाठक या मशीन को सामासिक के अर्थ की पहचान करने में मदद नहीं करता है क्योंकि आमतौर पर सामासिक अपने घटकों के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से अंतर नहीं करता है। किसी सामासिक का अर्थ समझने के लिए उसके घटकों की पहचान करना और उनके बीच के संबंध की खोज करना आवश्यक है। एक सामासिक का अर्थ प्रदान करने वाली अभिव्यक्ति को व्याख्या (या विग्रह वाक्य) कहा जाता है।

इस पत्र में हम हिंदी सामासिक शब्दों के लिए एक स्वचालित प्रणाली का निर्माण के कार्य को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं।

दो या दो से अधिक शब्दों को एक ही शब्द में मिलाने पर सामासिक शब्द बनते हैं। सामासिक हिंदी में अत्यधिक उत्पादक शब्द निर्माण तकनीक है। ‘समास’ शब्द को व्याकरणाचार्यों ने परिभाषित किया है- कामता प्रसाद गुरु (2009) ने समास को परिभाषित करते हुए कहते हैं “जब दो या दो से अधिक शब्द अपने संबंधी शब्दों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं, तब उनके मेल को समास और उनके मिले हुए शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं।” डॉ. विजयपाल सिंह (2008) ने भी समास को कुछ इस प्रकार कहा है “समास शब्द का अर्थ है- ‘संक्षेप’ समास की सहायता से थोड़े शब्दों में अधिक बात कही जा सकती है- ‘दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना ‘समास’ कहलाता है।” उदाहरण के रूप में सामासिक शब्दों को निम्न तालिका में देखा जा सकता है-

सामासिक शब्द	घटक
यथाशक्ति	यथा और शक्ति
प्रतिमास	प्रति और मास
गगनचुंबी	गगन और चुंबी
अग्निभक्षी	अग्नि और भक्षी

स्नानघर	स्नान और घर
सभापति	सभा और पति

समास के प्रकार –

समास विभाजन या वर्गीकरण को लेकर विद्वानों में भी मतभेद देखने को मिलता है- कमाता प्रसाद गुरु को आधार मानते हुए हिंदी में प्रचलित प्रमुख भेद-उपभेदों को प्रस्तुत किया जा रहा है-

- **अव्ययीभाव समास-** इस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्तपद वाक्य में क्रियाविशेषण (Adverb) का काम करता है। इसी कारण से अव्ययीभाव का समस्तपद सदा लिंग, वचन और विभक्तिहीन रहता है। इसके दोनों पदों का स्वतंत्र रूप से पृथक् प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं- आजन्म = जन्म से लेकर, आकंठ = कंठ तक
- **बहुत्रीहि समास-** जब दो या दो से अधिक पद किसी अन्य शब्द का विशेषण होकर आते हैं तो बहुत्रीहि समास होता है। जैसे- अनंत, चंद्रमौली, कृतकार्य लंबोदर- (गणेश), दशानन- (रावण), चतुरानन- (ब्रह्मा)।
- **द्विगु समास-** जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक हो और पूरा पद समाहार (समूह) या समुदायका बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे- पंचवटी- पाँच वटों का समूह, चतुर्वेदी- चार वेदों का ज्ञाता, द्विगु- दो गायों का समाहार।
- **द्वन्द्व समास-** जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ द्वन्द्व समास होता है। जैसे- लव और कुश = लवकुश, गाय और बैल, दूध और रोटी इत्यादि।
- **कर्मधाराय समास-** जिस समास में उत्तरपद प्रधान हो तथा पहला पद विशेषण अथवा उपमान (जिसके द्वारा उपमा दी जाए) हो और दूसरा पद विशेष अथवा उपमेय (जिसके द्वारा तुलना की जाए) हो, उसे कर्मधाराय समास कहते हैं। जैसे- महापुरुष- महान है जो पुरुष, महाकवि- महान है जो कवि, परमात्मा-परम है जो आत्मा।
- **तत्पुरुष समास-** वह समास, जिसका उत्तरपद या अंतिम पद प्रधान हो। अर्थात् प्रथम पद गौण हो और उत्तरपद की प्रधानता हो। जैसे- राजकुमार (राजा का कुमार), पॉकेटमार = पॉकेट को मारनेवाला, तुलसीकृत= तुलसी द्वारा कृत आदि।

पूर्व में हुए कार्य-

Kunchukuttan, A. & Damani, O.P. (2008) किसी दिए गए कॉर्पस से हिंदी सामासिक संज्ञा बहुशब्द अभिव्यक्ति (MWE) निकालने के लिए एक प्रणाली का वर्णन करते हैं। भाषाई और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सामासिक संज्ञा बहुशब्द अभिव्यक्तियों की प्रमुख श्रेणियों की पहचान करते हैं।

Goyal, V. & Lehal, G.S. (2008, July) रूप विज्ञान भाषाविज्ञान का क्षेत्र है जो शब्दों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है। किसी भी एनएलपी एप्लिकेशन में रूपात्मक विश्लेषण और पीढ़ी आवश्यक कदम हैं। रूपात्मक विश्लेषण का अर्थ है किसी शब्द को इनपुट के रूप में लेना और उनके तर्तों और प्रत्ययों की पहचान करना। रूपात्मक विश्लेषण एक वर्डप्सिलस शब्दार्थ और वाक्य में उसके द्वारा निभाई जाने वाली वाक्यात्मक भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

SR, D., Bali, K., Ramakrishnan, A. G., & Talukdar (2004) यह पेपर हिंदी कंपाउंड वर्ड स्प्लिटिंग की समस्या और हिंदी स्पीच सिंथेसिस के लिए एक अच्छी गुणवत्ता वाले फोनेटाइज़ेर विकसित करने के लिए इसकी प्रासंगिकता को संबोधित करता है।

Sinha, R.M. (2011, June). मल्टी-वर्ड एक्सप्रेशन (MWE) उन सभी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनमें प्राकृतिक भाषा संसाधन शामिल है। हिंदी में MWE काफी विविध हैं और इनमें से कई ऐसे प्रकार हैं जिनका अंग्रेजी में प्रयोग नहीं किया जाता है। इस पेपर में, हम हिंदी में विभिन्न प्रकार के MWE का सामना करते हुए समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है।

समास पहचान की प्रक्रिया-

सामासिक शब्दों की भाषा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के रूप में वाक् पहचान, शब्द संसाधन, मशीनी अनुवाद, भाषा शिक्षण आदि। शब्द विभाजन में सही ढंग से निर्दिष्ट करने के लिए यौगिकों की पहचान करना भी आवश्यक है। क्योंकि सामासिक शब्द सामान्य शब्द इकाइयों से बहुत भिन्न होते हैं। सामासिक शब्द के जब तक अर्थ एवं रूप रखना को सही तरीके समझेंगे नहीं तब तक हम मशीन को समझाने असफल रहेंगे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सामासिक शब्द पहचानक नामक प्रणाली का विकास किया गया है। जिससे भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सामासिक शब्दों की पहचान समस्या के निदान करने में सहयोग प्रदान कर सके।


- **अव्ययीभाव पहचान-** **नियम 1.-** इस समस में पहले पद के रूप में- अ, अनु, आ, प्रति, हर, भर, यथा, अध, अन, औ, उन, दु, बिन, नि, बे और आवता उदाहरण- अनुकूल, आजन्म, प्रतिहार, भरपेट, यथासंभव, इत्यादि।
नियम 2.- जब दो शब्द आपस में जुड़े हो और दोनों का रूप समान हो। उदाहरण- हाथोहाथ, कानोकान।
- **तत्पुरुष समास-** जिन सामासिक शब्दों के उत्तरपद (अंत) में चालक, मार, धर, तोड़, फोड़, क्षी, चुम्बी, आगत, हर, प्राप्त, जीवी, सिक्त, र्थ, चोर, आंध, पीड़ित, ग्रस्त, दलित, भीरु, पूर्ण, साध्य, कृत, मुक्त, छ्ठन्न, मांगा, कुल, बद्ध, भक्ति, भक्त, बलि, शोक, लम, पैण, भ्रष्ट, हीन, मुक्त, कांक्षी, कारी, दक्षिणा, च्युत, विमुख, रिक्त, रहित, जात, सागर, जल, पात्र, पासक, युग, रस, मठ, दरबार, ध्यक्ष, सेवा, नायक,

पति, रि, थी, दूत, कुमार, पुत्र, दान, वीर, श्रेष्ठ, प्रवेश, वार, बीती, धम, मग्न, सक्त, वास, निर्भर, प्रवेश, प्रवीण।


- **द्विगु समास-** जिन सामासिक शब्दों के पूर्वपद (पहले) में- एका, द्वि, त्रि, चौ, चार, पंच, षष्ठि, सप्त, अष्ट, नव, दस।
- **द्वंद समास-** जिन शब्दों के बीच में हाइफन (-) हो वहाँ द्विगु समास।


इन्हीं नियमों और डेटा को ध्यान में रखकर इस टूल का निर्माण किया गया जो निम्न है-

डाटा फ्लो डायग्राम (DFD) :




फ्लो-चार्ट (Flowchart) :





चित्र संख्या-01 में 90 सामासिक शब्दों के समूह को तंत्र में निवेश किया गया जिसमें से 83 सामासिक शब्दों को पहचान कर 90 प्रतिशत की शुद्धता को दर्शता है।

चित्र संख्या-1



चित्र संख्या-2

चित्र संख्या तीन में 1000 हजार शब्दों के डेटा को तंत्र में निवेश किया गया जिसमें से 183 सामासिक शब्दों की तंत्र द्वारा पहचान की गई है।



निष्कर्ष

हिंदी में मिश्रित शब्दों को विभाजित करने के लिए एक प्रभावी एल्गोरिथम प्रस्तावित किया गया है। एल्गोरिथम का परीक्षण किया गया है और इनपुट सामासिक शब्दों के 90% से ऊपर विभाजित करने में प्रभावी पाया गया है। इन विभाजनों में से लगभग 85% सही पाए गए हैं। विभाजन की शुद्धता को बढ़ाने के संभावित तरीकों में से एक है प्रत्येक शब्द के कई विभाजन (एक ही शब्द में अलग-अलग बिंदुओं पर) की अनुमति देना, किसी भी संदिधि सामासिक शब्द को हटाकर नहीं। अधिक संभावित सामासिक शब्द प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक शब्द को उलटने के बाद, एक ही एल्गोरिथम को दूसरी बार लागू किया जा सकता है, ताकि प्रत्येक सामासिक शब्द के दूसरे घटक को पहले पहचाना जा सके। उपर्युक्त कारणों के कारण, इन विभाजनों की शुद्धता अपेक्षित रूप से बेहतर है।

संदर्भ सूची-

- Adda-Decker, Martine. (2003). A corpus-based decom-pounding algorithm for German lexical modeling in LVCSR. *In ISCA Eurospeech*. Geneva.

- Brown, Ralf D. (2002). Corpus-Driven Splitting of Com-pound Words. In *Proceedings of the 9th International Conference on Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation*.
- Deepa, S.R., Bali, K., Ramakrishnan, A.G. and Talukdar, Partha Pratim. (2004). Automatic Generation of Compound Word Lexicon for Hindi Speech Synthesis. In *Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'04)*, Lisbon, Portugal : European Language Resources Association (ELRA).
- Goyal, V., &Lehal, G. S. (2008, July). Hindi morphological analyzer and generator. In *2008 First International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology* (pp. 1156-1159). IEEE.
- Kayte, S., Kayte, D.C.N. & Gawali, D. B. (November, 2015). Automatic Generation of Compound Word Lexicon for Marathi Speech Synthesis. *IOSR Journal of VLSI and Signal Processing (IOSR-JVSP) Volume, 5*, 25-30e.
- Kunchukuttan, A., & Damani, O. P. (2008, December). A system for compound noun multiword expression extraction for hindi. In *6th International Conference on Natural Language Processing* (pp. 20-29).
- Sinha, R. M. (2011, June). Stepwise mining of multi-word expressions in Hindi. In *Proceedings of the Workshop on Multiword Expressions: from Parsing and Generation to the Real World* (pp. 110-115).
- गुरु, कामताप्रसाद. (2009). हिंदी व्याकरण. नई दिल्ली : प्रकाशन संस्थान, पृ. 210.
- सिंह, विजयपाल. (2008). प्रामाणिक व्याकरण एवं रचना. वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन, पृ. 7.

Manuscript Timeline

Submitted : April 30, 2023

Accepted : May 12, 2023

Published : June 25, 2023

कोरकू जनजाति में लोक कथाएँ : एक मौखिक इतिहासविवेक कुमार¹महेंद्र कुमार जायसवाल²**शोध सारांश**

किसी भी समाज में लोककथाओं का अपना एक विशेष स्थान होता है। लोककथाएँ

उस समाज की इतिहास का मौखिक वर्णन करती है। इसके अलावा समाज में मौजूद संस्थाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका भी पता लोक कथाओं, लोक गीतों या लोक विद्या के अन्य माध्यमों के द्वारा आसानी से पता चलता है। इस प्रकार लोककथा समाज की संस्कृति का दर्पण होती है। जिसमें उस समाज की सभी छोटी-बड़ी गतिविधियों का वर्णन होता है। इसके अतिरिक्त समाज की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए या फिर यह लोक समुदाय अपने लिए कैसा समाज चाहता है? उन सब का वर्णन लोकविद्याओं के माध्यम से भी की जाती है जिसमें लोककथाएँ एक महत्वपूर्ण तरीका है। कोरकू जनजाति की लोककथाओं से उस समाज की आंतरिक मंशा का पता चलता है। विशेष कर समाज कैसा होना चाहिए, इसके व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन उनकी लोककथाओं में मिलता है। कुल मिलाकर एक आदर्श जीवनशैली के इर्द-गिर्द ही कोरकू की लोककथाएँ होती हैं। इन सब गतिविधियों का वर्णन कोरकू की लोकगीतों एवं लोककथाओं में मिलता है। लोककथाओं के माध्यम से वे अपने पर्व-त्योहारों से जुड़े मौखिक इतिहासों को सहेजने का कार्य करते हैं। भावी पीढ़ी इन लोककथाओं को सुनकर खुद भी उस क्रियाविधि में शामिल होने की प्रतीक्षा करते हैं। इन पर्व-त्योहारों में किसी समय हुए घटनाओं का जिक्र साल दर साल होते ही रहता है। जो धीरे-धीरे अपनी जगह बना लेती है और लोककथा के रूप में परिवर्तित हो जाती है।

बीज शब्द : मेलघाट क्षेत्र, कोरकू जनजाति, लोककथा, मौखिक इतिहास, परंपरा, पर्व-त्योहार

कोरकू जनजाति का विस्तार महाराष्ट्र से होते हुए मध्य-प्रदेश के खंडवा, बैतुल, हौशंगाबाद, निमाड़, छिंदवाड़ा आदि जिलों में भी है। महाराष्ट्र की तुलना में मध्य-प्रदेश के कोरकू बोली में अंतर देखने को मिलती है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कोरकू धारणी तहसील एवं चिकलधरा तहसील में रहते हैं जो

¹ शोधार्थी, मानवविज्ञान एवं जनजाति अध्ययन विभाग, झारखण्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय, राँची।

ई-मेल- vivekanthro18@gmail.com

² शोधार्थी, मानवविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

ई-मेल- mahendrajaiswal712@gmail.com

मेलघाट टाईगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। यह वनांछादित क्षेत्र है। जिस कारण इन इलाकों में कई बार बाघों ने कोरकू समाज के लोगों पर हमला किया है। उनके घरों में बंधे बकरी, गाय-भैंस के बच्चे एवं कुत्ते आदि को वे घात लगाकर उठा ले जाते हैं। जिससे इस इलाके में बाघों के प्रति बहुत ही अधिक दहशत का माहौल बना रहता है। वर्तमान की अपेक्षा पहले की स्थिति तो और भी भयावह थी तब उनका सामना कई बार इन जंगली जानवरों से भी हुआ है। इन जंगली जानवरों के हमलों में कई कोरकू की जान चली गई है। इन सारी प्रकरणों को कोरकू यथावत् अपने समाज के लोगों को बतलाते थे। जिनमें उनकी शौर्यगाथा से लेकर जंगली जानवरों से जुड़े डर व आतंक का भी समावेश रहता था। भक्त भोगियों के द्वारा बताई गई बातें अधिक विश्वसनीय होती थीं जिसपर लोग आसानी से यकीन करते थे। हालांकि उनके दावों में कितनी सच्चाई थीं इसपर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अकसर ऐसी घटनाओं का जिक्र करने वाले लोगों का समाज में एकाएक मांग बढ़ जाती है। जब लोग आपस में मिलते हैं तो उनसे उस घटना को जरूर सुनना पसंद करते हैं जिनमें उनका सामना फलां जानवर से हुआ था। ऐसे ही धीरे-धीरे वह व्यक्ति एक कथाकार बन जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात भी समयानुसार थोड़ी बहुत हेर-फेर या बढ़ा-चढ़ा कर उनकी कहानियों को निरंतर आगे बढ़ाया जाता है। जो वर्तमान में एक लोककथा का स्वरूप ले चुकी होती है। कोरकू में मौजूद लोककथाएँ एक समान नहीं हैं। यह स्थान एवं व्यक्ति विशेष के साथ बदलती है। लोककथाएँ एक समाज का वह ज्ञान स्तंभ है, जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजते हुए आगे बढ़ते हैं एवं अपने भावी पीढ़ी तक मौखिक या लिखित रूप से पहुँचते हैं। चूंकि सरल समाजों में लिखित माध्यमों की तुलना में मौखिक माध्यम ही सर्वप्रचलित होते हैं। कोरकू लोककथाओं को सुनने के बाद मुख्य रूप से दो स्थिति उभर कर सामने आती है जैसे कि सामाजिक स्थिति एवं धार्मिक स्थिति।

सामाजिक स्थिति-

लोककथाओं का समाज में विशेष स्थान होता है। समाज अपने बनाए हुए नियम-कानून, रीति-रिवाज एवं परंपरा को लोककथाओं के माध्यम से भी संचालित करने का काम करती है। लोककथाएँ समाज के तात्कालिक जरूरतों एवं नीतियों तथा उद्देश्यों के अनुसार बदलती रहती हैं या उसमें थोड़ी बहुत संशोधन होते रहते हैं। कोरकू लोककथाओं में सामाजिक व्यवहार से लेकर व्यक्तिगत व्यवहार एवं आचरण पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे चोरी न करना, छल-कपट न करना, पैसे जमा न करना, लालच न करना इत्यादि जैसे अवगुणों का उनकी कहानियों में विशेष स्थान होता है। इन बुरे आचरणों के माध्यम से समाज में यह बताने का प्रयास किया जाता है कि ये सभी तत्त्व व्यक्ति एवं समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। इन्हें त्यागना ही उचित होता है। ऐसी लोककथाओं का मूल उद्देश्य ही सामाजिक सुधार होता है। कोरकू एक कृषक जनजाति है। उनकी लोककथाओं में बैल व अन्य घरेलू पशुओं का जिक्र जरूर होता है। जब भी कोई लोककथा का निर्माण हुआ होगा तो उसे एक खास परिस्थिति के अनुसार निर्मित किया गया होगा जो उस समाज के ढाँचे को भी चरितार्थ करता हो। चूंकि, किसान के जीवन में बैल, गाय, भैंस, बकरी, सूअर एवं कुत्ते का बड़ा ही विशेष स्थान होता है इसलिए इनकी कहानियों व गीतों में भी इन घरेलू जानवरों का उल्लेख मिलता है।

धार्मिक स्थिति-

लोककथाओं के अध्ययन से पता चलता है कि कोरकू की उत्पत्ति, उनका ज्ञान और धार्मिक मान्यताएँ कैसी है? कोरकू अपनी सामाजिक गतिविधियों का संचालन सदियों से प्रकृति के साथ करती चली आ रही है। प्रकृति न सिर्फ उनकी जीविकोपार्जन का मूल साधन रही है बल्कि उनकी सांस्कृतिक विकास भी प्रकृति के सहारे ही हुई है। इसलिए प्रकृति या अन्य तरह के मिथक इनको सकारात्मक रूप से ऊर्जावान बनाते हैं जिससे उनका विश्वास और भी प्रबल हो जाता है। वे आज भी इसी के अनुरूप अपना सामाजिक-सांस्कृतिक एवं धार्मिक व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। भगवान महादेव कोरकू के सबसे बड़े देवता हैं। इसके अतिरिक्त रावण को कोरकू अपना इष्ट देवता मानते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति रावण के द्वारा ही हुई थी। किंतु, विडम्बना यह है कि इस क्षेत्र में रावण की एक भी पूजा स्थल नहीं है। रावण संबंधी धार्मिक भावनाएं केवल आदर-सम्मान तक ही सीमित है। धार्मिक रूप से रावण की पूजा अभी कोरकू के व्यावहारिक जीवन में नहीं है। हालांकि, मुठवा से जुड़े पत्थरों के समूह में रावण का भी एक पत्थर होने की बात कही जाती है। लेकिन, पूर्ण रूप से या स्वतंत्र रूप से रावण की न तो कहीं प्रतिमा है और न ही कहीं कोई पूजा स्थल है। इसके बावजूद भी कोरकू लोग रावण से जुड़े मिथक एवं लोककथाओं का बड़े सम्मानजनक तरीके से अपने समाज में स्थान देते हैं। इसके अतिरिक्त कोरकू की उत्पत्ति जिन-जिन गोत्रों से हुई है वे उनका भी सम्मान करते हैं। महिलाएं प्रायः गोत्र संबंधी चिन्हों को ‘गोदना’ के माध्यम से अपने हाथों या शरीर के अन्य भागों पर लगाती हैं। अपने गोत्र से जुड़े प्राकृतिक तत्वों संबंधी सारे नियमों एवं निषेधों का पालन कोरकू बहुत इमानदारी से करते हैं। लोककथाओं के माध्यम से वे अपने पर्व-त्योहारों से जुड़े मौखिक इतिहासों को सहेजने का कार्य करते हैं। भावी पीढ़ी इन लोककथाओं को सुनकर खुद भी उस क्रियाविधि में शामिल होने की प्रतीक्षा करते हैं। इन पर्व त्योहारों में किसी समय हुए घटनाओं का जिक्र साल दर साल होते ही रहता है। जो धर्मी-धर्मी अपनी जगह बना लेती है और लोककथा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कोरकू जनजाति की लोककथाएँ जो मौखिक रूप में उपलब्ध हैं उसे शोधार्थी ने संग्रहीत करके यहाँ लिखित रूप में लिपिबद्ध किया है। जैसे-

● बैल के दाँत-

इस कोरकू लोककथा में राजा को यह सुझाव दिया जाता है कि उन्हें अपने से छोटे अथवा गरीब के घर में भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें भगवान की कृपा होगी एवं उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी होगी। राजा इस सुझाव को मानते हुए अपने नौकर के घर में भोजन करते हैं। इसमें दो बातें सामने आती हैं जिसे आज भी कोरकू समाज में देखी जा सकती है। पहला, राजा द्वारा अपने नौकर के घर पर भोजन करना कोरकू संस्कृति के ‘भोजन संबंधी सांस्कृतिक’ पक्ष का वर्णन करता है। कोई भी व्यक्ति कोरकू के घर में जाता है तो वे लोग उसे भोजन करने को जरूर पूछते हैं। ऐसा मानना है कि भोजन कराने से देवी-देवताओं की कृपा होगी और हमारी मनोकामनाएँ भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। दूसरा, राजा को अपना उत्तराधिकारी चाहिए था। जिसके लिए उसे ‘पुत्र’ की चाहत थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरकू पितृसत्तात्मक समाज है यहाँ आज भी पुत्र का स्थान बड़ा होता है। पिता की संपत्ति पर ‘पुत्री’ का कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए इस लोककथा में भी भगवान से

पुत्र की ही कामना की गई है। इसके अतिरिक्त इस लोककथा में राजा को भेंट स्वरूप ‘बैल’ देना कृषि प्रधान कोरकू जनजाति के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। आज भी कोरकू समाज में बैल का महत्व बहुत अधिक है। राजा जैसे व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति अपने तरफ से कीमती भेंट ही देने की कोशिश करेगा। इस लोककथा में राजा को बैल भेंट में दी जाती है अर्थात् कोरकू समाज में बैल बहुत कीमती हैं। आज भी कृषि संबंधी सारे मुख्य कार्य बैलों के माध्यम से ही की जाती है। पहाड़ी स्थल होने के कारण ट्रैक्टर प्रत्येक स्थान तक नहीं पहुँच पाते हैं किंतु बैलों को कहीं भी ले जाया जा सकता है। आज भी प्रत्येक कोरकू के घरों में कम से कम एक जोड़ी बैल मिल ही जाएँगे। जिसे वे अपने घर के सामने में ही खूँटे से बांधते हैं। वे लोग बैलों को मारते भी नहीं हैं। जैसा इस लोककथा में प्रस्तुत किया गया है कि बैल को मारने पर उसका ऊपर का दाँत टूट जाता है जिसकी वजह से आज तक बैल के ऊपर के दाँत नहीं आए हैं। इसलिए वे क्रोध में बैल पर हाथ नहीं उठाते हैं।

● पैसों का झाड़-

यह कोरकू लोककथा व्यक्ति के अंदर सामूहिकता की भावना पर बल देती है। लगभग एक स्थान विशेष में सारे लोग कृषि कार्य एक साथ शुरू करते हैं। कृषि की शुरुआत से लेकर अंत तक सभी लोग एक साथ खेतों की जुटाई, रोपाई एवं कटाई करते हैं। इसमें पाँच-दस दिन आगे पीछे होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता की पूरा समाज कुछ भी न रोप रहा हो और कोई व्यक्ति अकेला ही अनाज की रोपाई कर रहा हो। प्रायः न के बराबर ही ऐसा देखने को मिलेगा। इस लोककथा में राजा स्वयं के खेतों में पैसों को रोप देता है। जिसका परिणाम यह होता है कि अंत तक आते-आते उसका पहले का सारा पैसा खत्म होने लगता है और वह एक दम कंगाल हो जाता है। लोककथाओं में ऐसी घटनाएँ समाज पर बेहद गहरा प्रभाव डालती हैं। इससे लोग एक साथ सामुदायिक स्तर पर कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं। न सिर्फ़ कृषि कार्य के लिए यहाँ तक की हर कार्य में कोरकू अपने समाज के अन्य लोगों के साथ मिलकर ही कार्य करते हैं। अकेले कार्य करना लालच का परिचायक है जैसा राजा करता है। राजा अकेले ही पैसे की खेती करता है ताकि उसका लाभ भी अकेले उठा सके। कोरकू में लालच का कोई स्थान नहीं है। लालच का परिणाम हमेशा नुकसान देहक ही होता है जैसा कि राजा के साथ हुआ। दूसरी अन्य बात यह है कि ग्राम जीवन में सामूहिकता पर विशेष बल दिया जाता है। अगर कोई लाभ हो तो सामूहिक हो और हानि हो तो भी सामूहिक हो ताकि जो भी क्षति हुई है उसका भार किसी एक व्यक्ति पर न पड़े और सभी मिलकर उससे उबर सके। इस लोककथा से कोरकू समाज की एक बेहद महत्वपूर्ण संस्कृति का पता चलता है। कोरकू ‘स्वप्नदर्शी’ जनजाति है। उनका ग्राम निर्माण भी स्वप्न के आधार पर होता है। इस लोककथा में भी राजा को स्वप्न आता और वह उसी के अनुरूप आगे की प्रक्रिया को करता है। आज भी कोरकू रोजाना सुबह उठकर रात में देखे हुए सपने के बारे में बातचीत करते हैं। जैसे- अगर किसी के सपने में देवता या देवी क्रोधित हैं तो ये लोग सुबह उस पर चर्चा करेंगे और इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि शायद देवी-देवता क्रोधित होंगे। इसलिए इसके समाधान के लिए वे भुमका से भी पूछ सकते हैं या फिर स्वयं एक पूजा या धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कर सकते हैं। स्वप्न कोरकू के जीवन का एक अभिन्न अंग है। वे अपने पूर्वजों को भी अपने सपने में देखते हैं। अगर पूर्वज

उनके सपनों में अच्छी बातों को बताते हैं तो वे उसे शुभ संकेत मानते हैं, अगर बुरी बातों को बताते हैं तो वे इस पर गहन विचार भी करते हैं एवं उसके समाधान के लिए जो बन पड़ता है वो करते हैं।

● मेहनत की कमाई-

कोरकू लोककथाओं में राजा-रानी से जुड़ी लोककथाएँ बेहद आम है। सुसर्दा नामक स्थान पर आज भी उस क्षेत्र के राजा का एक किला है। इनकी संस्कृति में राजा एवं उनके राज-पाट व कार्यशैली से जुड़ी बातों का स्थान उनकी लोककथाओं में बड़ी आसानी से मिल जाता है। इस लोककथा में एक जगह राजा अपने पूर्वजों की दी हुई सोने-चाँदी के जवाहरात व सिक्के दान में देने के लिए लेकर आते हैं। वर्तमान में कोरकू के पास पहले जैसा आभूषण नहीं है। उनके पूर्वजों के पास चाँदी के बहुत सारे आभूषण हुआ करते थे जिसकी संख्या आज बेहद कम हो चुकी है। इस लोककथा में यह भी संदेश देने का प्रयास किया गया है कि कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता है। हमें अपने मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। यही सोच आज भी कोरकू में देखी जा सकती है। जनजातीय समाज मेहनती होते हैं उनकी जीवन यापन ही प्रकृति के साथ आंभ होती है एवं प्रकृति के बीच खत्म होती है। इसके अतिरिक्त इस लोककथा में भगवान महादेव का योगी के वेश में आना व उन्हें जीवन का अनमोल शिक्षा देना कोरकू समाज में ‘अतिथि देवो भवः’ वाक्य को चरितार्थ करता है। कोरकू लोककथाओं में अतिथि सत्कार का वर्णन किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। अतिथि उनकी लोककथाओं के अंदर एक विशेष पात्र के रूप में मौजूद होते हैं जिनका निरादर वे नहीं करते हैं। कोरकू लोगों का मानना है कि घर में अतिथि के रूप में स्वयं भगवान महादेव भी आ सकते हैं। इसलिए वे अतिथियों का बेहद सम्मान करते हैं एवं आसानी से अपने समाज में शामिल भी कर लेते हैं। बाहर से आए हुए व्यक्ति को ऐसा कर्तव्य भी यह एहसास नहीं हो पता है कि वो उस समाज का नहीं है।

● दान का महत्व-

इस लोककथा में भी अतिथि सत्कार से संबंधी संदेश देने की कोशिश की गई है। इस लोककथा में ‘भील’ जनजाति का उल्लेख मिलता है जो वन में रहते हैं। कोरकू भील जनजाति को पसंद नहीं करते हैं। इसके बावजूद भील जनजाति की अतिथि सत्कार का उल्लेख मिलता है कि कैसे सीमित भोजन में भी जनजातीय समाज अन्य समाज के लिए भोजन कराने को तैयार रहते हैं। इसके अलावा कोरकू का भील को नापसंद करने के पीछे की वजह यह भी है कि काफी समय पहले भील जनजाति के लोगों ने कोरकू से लूटपाट की थी एवं उनके चाँदी के आभूषणों को उनसे छीन लिया था। ऐसा वे बार-बार करते थे। इस लोककथा में भी भील को जंगल में दिखाया गया है जो भयंकर जंगली जानवरों के बीच में रहते हैं। ऐसी परिकल्पना कोरकू शायद भील के विशेष संदर्भ में ही किए होंगे जिसमें उनका जीवन डर के साथे में बीते। जहाँ उन्हें पल-पल बाघों का खतरा हो। इस लोककथा में बाघ के द्वारा भिलानी को खाया जाना इस बात को साबित करता है कि कोरकू अपनी कथाओं में भी भील को सुखी नहीं देख सकते। इसके अतिरिक्त ये लोककथा पुनर्जन्म पर भी प्रकाश डालती है। कोरकू पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ उसके पूर्व जन्म में अन्याय होता है तो उसे इस जन्म में न्याय जरूर मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस जन्म में किए गए

पाप की कीमत व्यक्ति को अगले जन्म में चुकाने होंगे। ऐसी विचारधारा कोरकू समाज में आज भी विद्यमान है।

● जादू की कड़ी-

इस लोककथा में भगवान महादेव एवं माता पार्वती के बीच के प्रेम संबंध व निष्ठा को बताया गया है। जिस प्रकार इस लोककथा में माता पार्वती के द्वारा भगवान महादेव को ढूँढ कर लाया जाता है। जिस प्रकार वे अपना गृहस्थ जीवन बर्बाद होने से बचा लेती हैं, ठीक उसी प्रकार कोरकू महिलाएं भी अपने पति के प्रति निष्ठा एवं संपूर्ण समर्पण का भाव रखती है और उनसे ऐसे ही व्यवहारों की उम्मीद भी होती है। पहले कोरकू पुरुष बहुपत्नी विवाह किया करते थे लेकिन आपसी कलह एवं शिक्षा के कारण वे अब एक विवाह पद्धति का ही पालन करते हैं। ऐसी लोककथाएँ कोरकू महिलाओं के बीच में काफी कही व सुनी जाती है। ऐसी लोककथाएँ समाज में स्त्री एक आदर्श पत्नी व बहु साबित हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है। इसमें देवी-देवताओं को जोड़ देने से इसकी गुणवत्ता में और भी मजबूती आ जाती है।

निष्कर्ष -

कोरकू जनजाति की लोककथाएँ उनके व्यावहारिक एवं सामाजिक पक्षों का वर्णन करती है। जिनमें उनकी उत्पत्ति एवं सृजन से संबंधित जो लोककथाएँ हैं वो आज भी समाज में एक जैसी है। इनका स्वरूप आज भी वैसे का वैसा ही है। इनकी लोककथाओं में भगवान शिव, रावण, मेघनाथ आज भी सुनने में मिल जाते हैं। इसके अलावा इनके इष्ट देवता मुठवा से जुड़ी लोककथाओं का भी उल्लेख मिलता है। इनकी लोककथाएँ एक सामाजिक सीख की ओर इशारा करती है जो इनकी लोककथाओं में देखने को मिलता है। लोककथाओं में कोरकू पुरुषों का वर्णन एक मेहनती व हिम्मत न हारने वाला व्यक्ति के रूप में किया जाता है। वहीं महिलाओं का वर्णन कई प्रकार के परीक्षाओं को देने वाली व अपने आप को साबित करने वाली जैसे चरित्र के रूप में वर्णन किया जाता है। ये सभी वर्णन लोककथाओं के माध्यम से आज भी किए जाते हैं जिसमें आज की स्थिति एवं वर्तमान बदलते परिवेश के अनुसार परिवर्तन हो रहे हैं। लोककथाओं की तमाम निरंतरताओं के बाबजूद उनमें कई सारे परिवर्तन होते हैं जो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी विशेष तत्व के प्रभाव के कारण से होती है। वर्तमान में कोरकू कई सारे मानवीय कारकों से उत्पन्न परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं। जिससे धीर-धीरे उनकी लोककथाओं व इसकी निरंतरता में कमी आ रही है। इसके अतिरिक्त लोककथाओं की निरंतरता में समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। मौखिक स्वरूप होने के कारण इसमें बाह्य तत्वों का समावेश बेहद आसानी से हो जाता है। समाज में एक समय लोककथाएँ बेहद प्रभावशाली माध्यम थीं, लेकिन समयानुसार इसमें परिवर्तन होते गए एवं कई सारी चीजों का स्वरूप अब बदल गया है। कोरकू लोककथाओं की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसकी निरंतरताओं एवं परिवर्तनों को जानना बेहद आवश्यक है।

संदर्भ-ग्रंथ सूची

1. उपाध्याय, विजय शंकर एवं पाण्डेय, गया. (2001). मानवशास्त्रीय विचारक एवं उनकी विचारधाराएँ। दिल्ली विश्वविद्यालय : हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय.
2. एल्विन, वेरियर. (1943). दि एबोरिजिनल्स. बंबई : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
3. चौरै, नारायण. (1987). कोरकू का सांस्कृतिक इतिहास. नागपुर : विश्वभारती प्रकाशन.
4. चौरै, नारायण. (1989). भारतीय जनजाति कोरकूओं के लोकगीत. नागपुर : विश्वभारती प्रकाशन.
5. पाटिल, अशोक द. (1993). कोरकू जनजीवन. नागपुर : विश्वभारती प्रकाशन.
6. पारे, धर्मेन्द्र. (2005). कोरकू जनजातीय गाथा ढोला कुँवर. भोपाल : आदिवासी लोक कला अकादमी.
7. पारे, धर्मेन्द्र. (2013). कोरकू जनजाति की कथाएँ। भोपाल : आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी.
8. पाण्डेय, गया. (2006). भारतीय मानवशास्त्र। नई दिल्ली : कान्सैट पब्लिशिंग कंपनी.
9. मुखर्जी, रवीद्र नाथ. (2010). सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा। दिल्ली : विवेक प्रकाशन.
10. हसनैन, नवीम. (2010). भारतीय जनजातीय संस्कृति। नई दिल्ली : कान्सैट पब्लिशिंग कंपनी.
11. Pasayat, Chitrasen. (2003). *Glimpses of Tribal and Folk Culture*. New Delhi : Anmol Publication.
12. Russell, R.V. (1975). *The Tribes and Castes of the Central Provinces of India*. Delhi : Cosmo Publications.
13. Singh, K.S. (1998). *India's Communities*. Mumbai : Oxford University Press.
14. Sharma, Suresh K. (2010). *Folk culture of India*. Delhi : Vista International Publishing House.
15. Vidyarthi, L.P. (1978). Rise of Anthropology in India. *A Social Science Orientation*. Delhi : Concept Publishing Company.

Manuscript Timeline

Submitted : April 28, 2023

Accepted : May 12, 2023

Published : June 25, 2023

पंचतंत्र की कथाओं में लोक व्यवहारडॉ. राम कृपाल¹**सारांश**

पंचतंत्र एक नीतिशास्त्र या नीति ग्रंथ है। चतुरता का अर्थ जीवन में बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना है न कि धूर्तता। नैतिक जीवन वह जीवन है जिसमें मनुष्य की समस्त शक्तियों एवं संभावनाओं का विकास हो अर्थात् एक ऐसे जीवन की प्राप्ति हो जिसमें आत्मरक्षा, सत्कर्म, मित्रता एवं विद्या की प्राप्ति, धनसमृद्धि हो सके। पंचतंत्र में चतुर एवं बुद्धिमान पशु पक्षियों के कार्य व्यापारों से संबंधित कहानियों का निर्माण किया गया है जिससे लोक व्यवहार में कथाओं के माध्यम से सुधार हो सके। विश्व साहित्य में पंचतंत्र को उच्च स्थान प्राप्त है जर्मन साहित्य के अतिरिक्त ग्रीक साहित्य की कहानियों तथा अरब साहित्य की अरेबियन नाइट्रस की कहानियों का मूल पंचतंत्र पर प्रभाव कुछ लोग ही मानते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ को पाँच तंत्रों में विभक्त कर बड़े सरल एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सभी कहानियाँ मनोविज्ञानिकता, व्यवहारिकता, राजकाज के सिद्धांतों को प्रस्तुत कर लोक व्यवहार की अमिट सीख देती है और नेतृत्व क्षमता का विकास भी करती है। प्राचीन भारत में पंचतंत्र की कहानियों की रचना मुख्य रूप से नीति परक शिक्षा के लिए की गयी थी जो काफी लोकप्रिय एवं लोकव्यवहार हेतु उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ऐसा भारतीय विचारकों का मंतव्य है। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी मंतव्य का पंचतंत्र की कथाओं में लोक व्यवहार के संदर्भ में विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक शोध पद्धति का उपयोग कर निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

बीज शब्द – राजकाज, नेतृत्व क्षमता, लोक व्यवहार, चतुरता एवं धूर्तता, सत्कर्म।

संस्कृत की नीति कथाओं में पंचतंत्र का प्रथम स्थान है व्यवहारिकता तथा राजकाज के सिद्धांतों से परिचय कराती कहानियाँ बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत की गयी हैं इतना ही नहीं है भारतीय कथा साहित्य विश्व की अमूल्य धरोहर है जिसकी परंपरा अतीत से प्राचीनकाल तक समृद्ध रही है। हमारे प्राचीन साहित्य में कथाओं का एक सुविशाल भंडार प्राप्त होता है जिसने विश्व साहित्य पर अपना गहन प्रभाव डाला है। वस्तुतः कथा साहित्य का उद्भव वैदिक काल से ही माना जाता है। इन्हीं ऋग्वेद-संहितास्थ कथाओं का विस्तार ब्राह्मणों एवं उपनिषदों में उपलब्ध होता है। ऋग्वेदस्थ-इन्द्रादि सूक्तों में कथातत्व स्पष्टतः परिलक्षित

¹ सहायक प्रोफेसर, भारतीय भाषा विभाग/संस्कृत विभाग, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा (महाराष्ट्र)- 442001.

मो. नं.- 9452466249, ईमेल- dramkripalv@gmail.com

होते हैं। पुरुषा-उर्वशी की प्रणय कथा संवाद-सूक्तों में हैं, जो कालांतर में ब्राह्मण ग्रंथों में परिपुष्ट दिखाई देती है।

उद्यमेन हि सिध्यांति कार्याणि न मनोरथैः।
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥¹

वैदिक वांगमय में इस प्रकार की कथाओं का समृद्ध भंडार प्राप्त होता है। यथा- सरमा-पण्युपाख्यान, शुनःशोपोपाख्यान, लोपामुद्रगस्पाख्यान, नृप-सुद्रसोपाख्यान, यम-नाचिकेतोपाख्यान, सत्यकाम-जाबालोपाख्यान् इत्यादि। कालांतर में नीति मन्त्री में ऐसे अनेक आख्यान संकलित किये गये हैं। इन वैदिक कथाओं का स्वरूप नवीन करने के साथ पुराणों, रामायण, महाभारतादि में भव्यता के साथ दिखाई पड़ता है। उपनिषदों में जीव-जंतुओं की कथाएँ, पशु-पक्षियों की कथाएँ और विकसित रूप में प्रस्तुत की गयी हैं। महाभारत में पशु-पक्षियों की कथाएँ विकसित रूप में प्राप्त होती हैं। वस्तुतः विचार किया जाय तो महाभारतादि उपाख्यानादि कथाओं का एक आकर ग्रंथ है। उसमें सावित्युपाख्यान-नलोपाख्यान-शकुन्तलोपाख्यानादि अनेकानेक उपाख्यान उपलब्ध होते हैं। अतः महाभारत को उपाख्यानादि कथाओं का कोश कहा जाता है इसी प्रकार पुराणों में कथाओं के माध्यम से जीवन की सार रूपी शिक्षा का उपस्थापना की गयी है। पुराणों में ही कथाओं का विशाल संकलन ही नहीं प्राप्त होता है बल्कि इस प्रकार संस्कृत वांगमय में भी पौराणिक कथाओं का विशाल संग्रह है। पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से कभी पुरुष-नारी, पशु-पक्षी, कीट-पतंगों को आधार मानकर लोक व्यवहार की शिक्षा दी गयी है कि व्यक्ति धैर्य द्वारा कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है, अतएव प्रारब्ध के विगड़ जाने पर भी धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। कहा गया है –

त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि काले।
धैर्यात्कदाचित् गतिमाप्युत्थात्सः॥²

पंचतंत्र की कहानियों में हमें लोकाचार की शिक्षा मिलती है भारतीय वांगमय में दो प्रकार की कथाएँ प्राप्त होती हैं – (1)- लोक कथाएँ, (2)- नीति कथाएँ।

भारतीय कथा साहित्य अपनी रोचकता, सरलता, मधुरता, भावाभिव्यक्ति एवं उपदेशात्मकता के कारण विश्व में विशिष्ट विद्वानों द्वारा प्रशंसित हुई है जिसमें भारतीय लोकाचार विचारधारा कार्यकलाप नैतिकता की अनुगूंज कदाचित् सुनाई पड़ती है। अनेकानेक कथाओं में व्यक्ति विशेष का नाम न रखकर पशु-पक्षी या अन्य किसी जीव को उसके प्रतीक में रखा गया है। यही कारण है कि बालकों से लेकर वृद्धों तक सभी उसकी मनोहरता पर मोहित होते हैं। इन कथाओं में मानवों के सुख-दुःख आपसी ताने बाने को माध्यम बनाकर सुंदर ढंग से सामाजिक संदेश करने की पूर्णतयः कोशिश की गयी है।

भूतलेऽस्मिन् विशेषेण मानवो अयं कथाप्रियः।

कथाभि: कल्पनाशक्तिबालिकेषु विवर्धते॥³

इस कथा साहित्य में बौद्ध कथाएँ निश्चित ही विश्व साहित्य की धरोहर है। पालि एवं संस्कृत भाषा के माध्यम से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने सम्पूर्ण विश्व को सम्यक जीवन की नवीन दृष्टि प्रदान की है। बौद्ध कथा साहित्य का उद्देश्य केवल धार्मिक तथ्यों का विवरण देना ही नहीं होकर व्यवहारिक उपदेश भी देना रहा है। जातक कथाएँ और बौद्धावदान संस्कृत-कथा परंपरा में विशिष्ट स्थान रखते हैं बुद्धवाणी, त्रिपिटक के आधार पर रची गयी कालजयी रचना है तो वही संस्कृत में दिव्यावदान एवं अवदान शतक अवदान परंपरा के विश्व प्रसिद्ध दर्शन है। भगवान बुद्ध के पूर्वजन्मों एवं महान विभूतियों के नैतिक शिक्षापरक कथाओं से सम्पूर्ण विश्व ने मार्ग निर्देशन प्राप्त किया। इन बौद्ध जातक कथाओं के आधार पर जैन जातक ग्रंथ भी रचे-गये हैं जिनमें जैन तीर्थकरों के पूर्वजन्मों का वर्णन है। जैन आचार्यों के कथा साहित्य अतीव समृद्ध रहे हैं। वृहत्कथा कोष में एक-एक जैन सिद्धान्त के लिए अनेकानेक कथाएँ मिलती हैं जिसमें बौद्धों की कथाएँ अतीत से सम्बद्ध होकर साक्षात् उपदेश करती हैं वहीं प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में जैन कथा साहित्य के अन्तर्गत अनेक सुरम्य कथाएँ भी प्राप्त होती हैं। पैशाची प्राकृत में गुणाढ्य प्रतीत वृहत्कथा का जैन कथा साहित्य में मूर्धन्य स्थान रहा है। वृहत्कथा तो मूलरूप में उपलब्ध नहीं होती है किंतु लोक प्रसिद्ध के कारण इसके अनेकानेक संस्कृत रूपान्तरण हुए। वृहत्कथा की शैली पर ही कालांतर में पंचतंत्र सदृश ग्रंथ रचे गये। संस्कृत कथाओं में अनेक कथा संग्रहात्मक ग्रंथ के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। हितोपदेश भारतीय कथा साहित्य का अमूल्य रत्न है। संस्कृत कथा-संग्रह साहित्य की समृद्ध परंपरायें आर्यशूर की जातकमाला का सर्वोच्च स्थान रहा है। पंचतंत्र की कथा के रूप में नीति के रहस्यों को सुबोध बनाकर समझाया गया है। जिसमें उत्कृष्ट एवं निकृष्ट दोनों प्रकार के वर्णन प्राप्त होते हैं जैसे जीवन की पवित्रता, कर्तव्यपालन, मित्र की रक्षा, बचन पालन, इत्यादि गुणों के वर्णन के साथ छल-प्रपंच, दंभ, कपट, व्यवहार और दुश्चरित्रता के दोषों को भी इसमें शामिल किया गया है इसमें जीवन का लक्ष्य आदर्शवादी न बताकर लोक व्यवहारिकता और नीतिनिपुणता को पूर्ण रूप में निर्धारित किया गया है। पंचतंत्र की कथाओं में प्राप्त पशु-पक्षी मनुष्यों के तुल्य, मित्रता, मेल, विवाद, छल, विश्वासघात इत्यादि सब कुछ करते दिखाया गया है, इतना ही नहीं कहीं मुख्य कथा के अतिरिक्त उपकथाओं को भी जोड़ दिया गया है। साहित्य दर्पण में कथा का साहित्य निष्प्रकार है –

कथायां सरसं वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम्।
क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद्वक्रापवक्रके॥
आदौ पद्यैर्नमस्कारः खलादेवृत्तकीर्तनम्॥⁴

इतना ही नहीं है श्रृंगार प्रकार में कथा साहित्य के बारे में भी बतलाया गया है।

याअनियमितगतिभाषा दिव्यादिव्योभयेतिवृत्तवती।
कादम्बरीत् लीलावतीव वा सा कथा कथिता॥⁵

शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि कथाओं की कुछ अपनी विशेषता भी होती है कथा में विषय वस्तु या इतिवृत्त काल्पनिक होता है ‘प्रबन्धकल्पनाकथा’ कथा मुख्यतः गद्य में ही रची जाती है परंतु इसमें मंगलाचरण, सज्जन-प्रशंसा, दुर्जन निन्दा व कविवंश वर्णन किये जाते हैं। कथा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में हो सकती है अग्नि पुराण एवं हेमचन्द्र के काव्यानुशासन सहित विविध ग्रंथों में इसके अनेकानेक भेद कहे गये हैं।

आख्यायिका कथा खण्डकथा परिकथा तथा।
कथानिकेत मन्यते गद्यकाव्यं च पञ्चद्याम्⁶

काव्यानुशासनों में आख्यान, उपाख्यान, निर्दर्शना, प्रवाहिका, क्षुद्रकथा, मणिकुल्या परिकथा, खण्डकथा, सकलकथा, उपकथा व वृहत्कथादि गद्यभेदों की चर्चा उपलब्ध होती है।

भारतीय कथाओं एवं पंचतंत्र की कहानियों में आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त होते हैं जो समाज सुधार हेतु बहुत उपयोगी व सारगर्भित है। इसका आधुनिक कथाओं एवं अन्य भारतीय भाषाओं पर संस्कृति की छाया देखी जा सकती है। कलानुरूप संस्कृत की कथाओं में परिवर्तन हुआ। आधुनिक काल में भी कथाओं के विस्तारित एवं युगानुरूप स्वरूप में कथाओं का सृजन हुआ। पंचतंत्र का केंद्रीय विषय मानवमात्र का सामंजस्य पूर्ण एकीकृत विकास हैं ; एक ऐसा जीवन जिसमें सुरक्षा, मित्रता और जीवनोपयोगी शिक्षा, समृद्धि एक स्थायी आनंद पैदा करने हेतु संयुक्त रूप से जुड़े रहे हो ऐसी कहानियों का सृजन पंचतंत्र में हुआ है जो प्राणी मात्र को नवीन दिशा प्रदान कर लोक व्यवहार हेतु समृद्ध बनाने का पूर्ण प्रयास करती है।

निष्कर्ष :

वर्तमान समय में पंचतंत्र की कथाएँ लोकोपयोगी के साथ जीवनोपयोगी भी है। पंचतंत्र की कहानियों में मुख्य रूप से बंदर एवं मगरमच्छ, कौआ एवं सर्प, कुछुआ एवं हंस, शेर एवं चूहा, बिगड़ा बैल, चूहों की सभा, भी बहुत ज्ञानोपयोगी है। इसके अतिरिक्त चरितकथा, ललितकथा, हास्यकथा, व्यंग्यकथा, इत्यादि विधाओं के माध्यम से कथा प्रणयन की दिशा में अभिनव अलंकरणों के साथ कथा साहित्य विकसित हो रहा है जीवन की यथार्थता तथा युगबोध आधुनिक कथा साहित्य एवं पंचतंत्र की विशेषता है। इसकी भाषा सरल-सुबोध तथा कथाओं में रोचकता है। इसमें धर्म, दर्शन, उपदेश एवं काव्य सौन्दर्य सभी का भलीभाँति समन्वय स्थापित हुआ है। पंचतंत्र में नीति कथाओं के बारे में कहा गया है –

कथाछलेन बालानाम नीतिस्तदिह कथ्यते।⁷

इन कथाओं के द्वारा बालकों, वृद्धों, युवाओं, गृहणियों इत्यादि को नीतिशास्त्र का उपदेश परमोपयोगी सिद्ध हो सकता है ये पंचतंत्र की कहानियाँ लोक व्यवहार हेतु उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यही जीवन की यथार्थता तथा युगबोध आधुनिक कथा साहित्य की विशिष्टता है।

कृपाल, राम. (2023, अप्रैल-जून). पंचतंत्र की कथाओं में लोक व्यवहार. *The Equanimist*, वाल्यूम 9, अंक 2. पृ. सं. 84-88.

संदर्भ ग्रंथ –

1. नीतिशतक – महात्मा भतुहरि
2. पदमशास्त्री – विश्वकथाशतकम् (प्रथमोभाग)
3. आचार्य बाणभट्ट कृत – कादम्बरी, सम्पादक, आचार्य वल्देव उपाध्याय संस्करण-2007
4. श्रृंगार प्रकाशः ११:३३९
5. श्रृंगार प्रकाशः १४:४४२
6. अग्निपुराण – ३३७:१२
7. वर्मा, डॉ. मनीराम, नीति शतक, संस्करण-2008, प्रकाशन-दिल्ली प्रकाशन, दिल्ली।

Manuscript Timeline**Submitted : May 01, 2023****Accepted : May 12, 2023****Published : June 25, 2023****आजमगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांगता का अध्ययन****दिलीप कुमार¹****सारांश**

विकासशील देशों में दिव्यांगता प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। 80 प्रतिशत दिव्यांग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगता प्रसार अध्ययन बहुत ही कम किए गए हैं। इस प्रकार ग्रामीण समुदाय में दिव्यांगता की व्यापकता का अध्ययन करना दिव्यांगों के लिए उचित स्वास्थ्य योजना बनाने में उपयोगी योगदान होगा।

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य आजमगढ़ के ग्रामीण समुदाय में उम्र, लिंग, शिक्षा, धर्म, सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्रकार के संदर्भ में दिव्यांगता की व्यापकता और वितरण का निर्धारण करना है। इस कार्य के लिए आजमगढ़ जिले के फूलपुर, पवई, मार्टिनगंज, ठेकमा, रानी की सराय ब्लॉक के गांवों में लिए संरचित साक्षात्कार अनुसूची (*Structured Interview Schedule*) के माध्यम से 25 गांवों में घर-घर जाकर सर्वे किया गया है, साथ ही व्यक्तिक अध्ययन एवं संबंधित विद्वानों से साक्षात्कार को भी सम्मिलित किया गया। क्षेत्र में दिव्यांगता की कुल व्यापकता 37.0% (300 में से 111) पाई गई। उत्तरदाताओं में से सबसे अधिक 72.3 प्रतिशत पुरुष पाए गए हैं। जातीय आधार पर देखें तो कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 45.3 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सबसे कम 6.3 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति के पाए गए। सभी उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 67 प्रतिशत दिव्यांगजन उत्तरदाता हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांगजनों के परिवार का स्वरूप 45.3 प्रतिशत संयुक्त परिवार में रहते पाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांगजनों की शिक्षा का स्तर भी चिंतनीय पाया गया। सभी उत्तरदाताओं में से 60 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित पाए गए हैं। इस आधार पर अध्ययन आबादी में दिव्यांगता की व्यापकता अधिक है। ग्रामीण समुदाय में दिव्यांगता के बोझ को कम करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य नीतियां, कार्यक्रम और निवारक उपाय तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द : दिव्यांगता, भारत, व्यापकता, ग्रामीण क्षेत्र।

भूमिका-

¹ पी-एच.डी. शोधार्थी, समाज कार्य अध्ययन केंद्र, महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र-442001; ईमेल- dileepknigam@gmail.com, मो.- 9696506650

दिव्यांगता किसी व्यक्ति की हानि, दिव्यांगता और भलाई से जुड़ी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) दिव्यांगता को “मनुष्य के लिए सामान्य माने जाने वाले तरीके या सीमा के भीतर किसी गतिविधि को करने में कोई प्रतिबंध या क्षमता की कमी” के रूप में देखता है। Plouse T Jaeger Sinthia and Bowman की पुस्तक Understanding disability (2005) इसमें लेखक के अनुसार शारीरिक रूप से दिव्यांग अथवा अक्षम व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों जैसे ढांचागत सुविधा प्राप्त वातावरण में स्वयं को सशक्त एवं सक्षम महसूस करेगा, वहीं प्रतिकूल सामाजिक ढांचे में शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति भी असक्षमता (disability) का अनुभव कर सकता है। अर्थात् तात्पर्य यह है कि दिव्यांगता संदर्भगत परिस्थितियों में पनपती है। मानकों के अनुरूप कार्य करने की शारीरिक तथा मानसिक अक्षमता ही दिव्यांगता है। विकासशील देशों में दिव्यांगता एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। रिपोर्ट की गई दिव्यांगता व्यापकता दरें दिव्यांगता की अलग-अलग परिभाषाओं, डेटा संग्रह की विभिन्न पद्धतियों और अध्ययन डिजाइन की गुणवत्ता में भिन्नता के कारण नाटकीय रूप से भिन्न होती हैं। युद्ध की चोटों, संक्रामक रोगों, कुपोषण, पुरानी बीमारियों, मादक द्रव्यों के सेवन, दुर्घटनाओं, जनसंख्या वृद्धि और चिकित्सा प्रगति के कारण दिव्यांग लोगों की संख्या बढ़ रही है (WHO2005)। ये दिव्यांगताएं विकलांगों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों में आने वाली बाधाओं के कारण गरीबी का कारण बनती हैं। विकासशील देशों में दिव्यांगता की समस्या को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका प्राथमिक रोकथाम है। हालांकि सरकारी कार्यक्रम और नीतियां विकलांगों को आय सहायता और काम से संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए सामने आई हैं, लेकिन विकलांगों के बीच मौजूदा कानूनों और सामाजिक कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता कम है (पाल HR, 2000)। ग्रामीण भारत में विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में दिव्यांगता प्रसार अध्ययन बहुत कम किए गए हैं। ऐसी जानकारी विकलांगों के लिए समुदाय-आधारित पुनर्वास कार्यक्रम विकसित करने के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकती है। इस पृष्ठभूमि के साथयह अध्ययन दिव्यांगता की व्यापकता निर्धारित करने और उम्र, लिंग, शिक्षा, धर्म, सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्रकार के संदर्भ में दिव्यांगता के वितरण का पता लगाने के लिए जिला आजमगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों को चुना गया है।

शोध प्रविधि (Research Methodology)-

सामाजिक अनुसंधान में वर्णनात्मक अध्ययन विधि (Descriptive studies) का एक वृहत् क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत मात्रात्मक (Quantitative) एवं गुणात्मक (Qualitative) दोनों विधियों को समाहित किया गया है।

प्रतिदर्श पद्धति एवं तंत्र (Methods and Tools of Sampling)-

प्रस्तुत शोध पत्र में प्रतिदर्श चयन असंभाव्यता प्रतिदर्श चयन पद्धति द्वारा किया गया है। पत्र में हितधारकों के चयन हेतु सुविधा प्रतिदर्श चयन (Conventional Sampling) पद्धति का उपयोग किया गया है। इस माध्यम से कुल 275 दिव्यांगजनों एवं अभिभावकों को शामिल किया गया है।

प्रस्तुत पत्र में हितरक्षकों के चयन हेतु सुविधा प्रतिदर्श चयन (Conventional Sampling) पद्धति का उपयोग किया गया है। इस माध्यम से आजमगढ़ जिले में कार्यरत सभी जिला प्रशासन, समाज कल्याण प्रशासन, जिला पंचायत सदस्य, मुख्य चिकित्साधिकारी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की प्रतिनिधित्व करने वाले 25 सदस्यों का चयन किया गया है।

प्रतिदर्श आकार (Sample Size)- प्रस्तावित शोध में 300 इकाई प्रतिदर्श लिया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण (Data Processing)- प्रस्तुत शोध में तथ्यों का प्रक्रीयन (SPSS) द्वारा किया है।

साहित्य पुनरावलोकन (Review Literature)-

शोध की समस्या से संबंधित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबंधों, शोध पत्रिका एवं विभिन्न अभिलेखों आदि को लिया गया है। जिसकी सहायता से शोध पत्र तार्किक एवं वैज्ञानिक ढंग से संचालित करने में सहायता ली जा सके।

1. गुणपाल, सं. (2014). भारतीय सिनेमा में विकलांगों का स्टीरियोटाइप चित्रण. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फार्मेटिव & फ्यूचरिस्टिक रिसर्च।

संजय गुणपाल, भारतीय सिनेमा में दिव्यांगजनों का स्टीरियोटाइप चित्रण, यह शोध अध्ययन कार्य जनसंचार एवं मीडिया प्रोद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पी.एच.-डी. शोधार्थी संजय गुणपाल के द्वारा किया गया है। यह अध्ययन हिंदी सिनेमा में दिव्यांगजनों का स्टीरियोटाइप चित्रण जानने के लिए किया गया है। इस शोध अध्ययन में फिल्मों को चुना 50 तक की 2010 से 1961 गया गया है, जिसमें से चरित्रों को चुनकर उद्देश्यों की प्राप्ति की गई है 500। हर वर्ष में से एक सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म ली गई है, जिसमें से मुख्य पात्र चुने गए हैं 10। संबंधित शोध में यह जांचा गया है कि फिल्मों में दिव्यांगजनों को कैसे स्टीरियोटाइप चित्रण में चित्रित किया जाता है।

2. कुमार, मिथिलेश. (n.d.). विशेष योग्यता वाले समूहों के मानवाधिकार का सवाल. hindisamay.com/

डॉ मिथिलेश कुमार द्वारा लिखित लेख 'विशेष योग्यता वाले समूहों के मानवाधिकार का सवाल' इसमें मानव अधिकारों की अवधारणा तथा राज्य एवं समाज द्वारा संरक्षात्मक उपायों की चर्चा की है। इस लेख में संरचनात्मक ढांचा में बदलाव लाने पर विशेष बल दिया गया है।

3. हलधर, र.म. (1943). दी सोसायटी एण्ड दी विजुअली हैंडीकैप्ड.

विषय पर .एच-में अपनी पी (1943)डॉ. शोधप्रबंध प्रस्तुत किए। उन्होंने अध्ययन में विजुअली - ,हैंडीकैप्ड जनों की शारीरिकसामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का उल्लेख किया है तथा यह सुझाव दिया है कि भारत सरकार को ऐसे व्यक्तियों की सहायता एवं सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है तथा स्वैच्छिक व्यक्तिगत संस्थाओं को उनकी मदद के लिए आगे आने की आवश्यकता है।

दिव्यांगजनों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण-

प्रस्तुत पत्र में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांगजनों की वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितियों उनके एवं कारणात्मक संबंधों पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। इसके अंतर्गत उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए गए हैं, तथा उनका विश्लेषण गंभीरता से विभिन्न सारणियों द्वारा किया गया है। इसमें विभिन्न चरणों के आधार पर यथा जाति, धर्म, आयु, वैवाहिक स्थिति इत्यादि के संदर्भ में अध्ययन व विश्लेषण किया गया है।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सबसे अधिक 75 प्रतिशत दिव्यांगजन इस बात से अवगत हैं कि दिव्यांगजनों की सहायता एवं पुनर्वास आदि के लिए अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
2. सभी उत्तरदाताओं में से 60 प्रतिशत उत्तरदाता दिव्यांगजन पुनर्वास जैसी योजनाओं को अच्छा मानते हैं।
3. कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 68 प्रतिशत दिव्यांगजन उत्तरदाता युवा हैं जिनकी आयु 18-35 वर्ष के बीच हैं।
4. शोध के लिए चयनित सभी उत्तरदाताओं में से सबसे अधिक 72.3 प्रतिशत पुरुष पाए गए हैं।
5. जातीय आधार पर देखें तो कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 45.3 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग, 29.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 18.7 सामान्य/सर्वर्ण एवं सबसे कम 6.3 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति के पाए गए।
6. सभी उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 67 प्रतिशत दिव्यांगजन उत्तरदाता हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। 29.3 प्रतिशत उत्तरदाता इस्लाम धर्म से पाये गए हैं।
7. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांगजनों के परिवार का स्वरूप 45.3 प्रतिशत संयुक्त परिवार में रहते पाए गए जबकि 39.7 प्रतिशत एकाकी परिवार भी पाया गया है।
8. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांगजनों की शिक्षा का स्तर सर्वाधिक 28 प्रतिशत हैं जिनकी शिक्षा प्राथमिक स्तर की है। 26 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित पाए गए हैं।
9. सभी उत्तरदाताओं में से 60 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित पाए गए हैं। शोध के लिए चयनित समग्र उत्तरदाताओं में से अधिकांशतः अर्थात् 42.7 प्रतिशत उत्तरदाता आर्थिक रूप से खेती पर निर्भर हैं जबकि 41.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मजदूरी आर्थिक स्रोत का मुख्य साधन पाया गया है।

निर्दर्शन के समग्र उत्तरदाताओं में से 77.6 प्रतिशत वे दिव्यांगजन उत्तरदाता हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं।

निष्कर्ष-

अंततः निष्कर्ष के रूप में प्राप्त तथ्यों एवं तथ्य संकलन के दौरान हुए अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजन अधिकांशतः पिछड़े हुए हैं। उनमें आत्मविश्वास, जागरूकता आदि की कमी है लेकिन कुछ दिव्यांगजन ऐसे भी हैं जो आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं और सफल भी हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें आत्मनिर्भरता का विकास हुआ है ऐसा देखने को मिला है। अधिकांशतः पहले की तरह अब वे किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। ग्रामीण आबादी में दिव्यांगता का शीघ्र पता लगाना और चिकित्सा हस्तक्षेप ध्यान केंद्रित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं। दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा, रोजगार, गैर-भेदभाव, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास को मजबूत किया जाना चाहिए। सामान्य स्वास्थ्य, स्वच्छता और साफ-सफाई पर मीडिया के माध्यम से व्यापक जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बीमारी का बोझ कम करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य नीतियां बनाई जानी चाहिए।

संदर्भ सूची-

1. World Health Organization (2000). International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: WHO, 2000.
2. पाल, एच.आर., सक्सेना, एस. चन्द्रशेखर., के. सुधा, एस.जे., मूर्ति, आर.एस., थारा, आर. (2000). भारत में दिव्यांगता से संबंधित मुद्दे : एक समूह अध्ययन, पृष्ठ- 237-41.
3. गुणपाल, स. (2014). भारतीय सिनेमा में विकलांगों का स्टीरियोटाइप चित्रण. इंटरनेशन जर्नल ऑफ इन्फार्मेटिव & फ्यूचरिस्टिक रिसर्च.
4. कुमार, मिथिलेश. (n.d.). विशेष योग्यता वाले समूहों के मानवाधिकार का सवाल. hindisamay.com/.
5. हलधर, र.म. (1943). दी सोसायटी एण्ड दी विजुअली हैंडीकैप्ड.
6. किरण, च. (2005). शिक्षा समाज और विकास. नई दिल्ली : कनिष्ठ पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूर्ट्स.
7. जोसेफ, ड.ए. (2004). विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास. वाराणसी : समाकलन.
8. पाठक, ड.व. (2020). विकलांग विमर्श: दशा और दिशा. भावना प्रकाशन.
9. भार्गव, म. (2003). विशिष्ट बालक, शिक्षा और पुनर्वास. आगरा : एच पी भार्गव बुक हाउस.
10. रामशक्ल, प. (2003). उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक. आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर.

Manuscript Timeline**Submitted : May 10, 2023****Accepted : May 27, 2023****Published : June 25, 2023****शैलीविज्ञान की अवधारणा और उसकी प्रविधि****अभिजीत कुमार मिश्रा¹****सारांश**

शैलीविज्ञान मूलतः भाषा विज्ञान का एक अंग है। इसलिए शैली वैज्ञानिक समीक्षा के केन्द्र में कृति की भाषा ही रहती है। **शैली वस्तुतः** भाषा का ही एक रूप है। भाषा के बिना साहित्य की परिकल्पना नहीं हो सकती। अज्ञेर के अनुसार - ‘काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है।’ स्पष्टतः कविता जिस अर्थ का बहन करती है उसकी अभिव्यक्ति शब्द के बिना असंभव है। इसलिए कविता या साहित्य की समीक्षा में भाषा पक्ष का विश्लेषण जरूरी है। भाषा का विश्लेषण करते समय यह प्रश्न भी उठता है कि क्या सामान्य लोक व्यवहार की भाषा की ही कसौटी पर साहित्यिक भाषा का भी विवेचन होना चाहिए? विद्वानों के अनुसार बोलचाल की भाषा का कार्य सूचना देना मात्र है। साहित्य का कथ्य अधिक गहरा होता है। उसकी विशिष्ट अनुभूति और विशिष्ट कथ्य विशिष्ट भाषा की अपेक्षा करते हैं। भाषा की मूल शब्दावली तथा संरचना को लेकर वह ध्वनि, शब्द तथा संरचना का विचलन करके - अर्थात् उन्हें सामान्य से भिन्न स्थिति में प्रयुक्त करके, शब्दों में कथ्य के अनुरूप नया अर्थ भर कर प्रस्तुत करता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सामान्य बोलचाल की भाषा में साहित्य रचा ही नहीं जा सकता? सामान्य भाषा में भी जहाँ विशिष्ट कथ्य या अनुभूति की व्यंजन हो जाती है वहाँ इसकी प्रकृति सर्जनात्मक हो जाती है। प्रेमचंद और नागार्जुन में यह विशेषता इष्टिगोचर होती है। तात्पर्य यह कि सामान्य भाषा भी जब साहित्य में प्रयुक्त होती है तो उसमें एक विशेष अर्थवत्ता और त्रयात्मकता आ जाती है जो भाषा की सामान्यता को सर्जनात्मकता से रंग देती है। भाषा में यह सर्जनात्मकता शैली के माध्यम से आती है। यह विशिष्टता कथ्य के अनुरूप ध्वनियों, शब्दावली, वाक्य-रचना, अलंकार, छंद आदि के चुनाव से आती है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखक की निजी दृष्टि और विशेषता भी होती है।

संक्षेपिका : शैली, शैली विज्ञान, चयन, विचलन, संयोजन और समानान्तरता, भाषा-विज्ञान, काव्यशास्त्र।

शैलीविज्ञान (stylistics) शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है- शैली और विज्ञान जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘शैली का विज्ञान’ अर्थात् जिस विज्ञान में शैली का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया

¹ पी.एच.डी. शोध छात्र, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)- 442001; ई-मेल- abhiloveabhi08@gmail.com

जाए वह शैलीविज्ञान है। 'शैली' शब्द अंग्रेजी के स्टाइल (Style) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। उसी प्रकार 'शैलीविज्ञान' अंग्रेजी के स्टाइलिस्टिक्स (Stylistics) है। शैलीविज्ञान भाषाविज्ञान एवं साहित्यशास्त्र दोनों की सहायता लेता हुआ भी दोनों से अलग स्वतंत्र विज्ञान है। शैलीविज्ञान एक ओर भाषाशैली का अध्ययन साहित्यशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर करता है, जिसमें रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति, शब्द-शक्ति, गुण, दोष, बिंब, प्रतीक आदि आते हैं। दूसरी ओर शैलीविज्ञान के अंतर्गत भाषा-शैली का अध्ययन भाषाविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, जिसमें भाषा की प्रकृति और संरचना के अनुशीलन को महत्व दिया जाता है।

शैलीविज्ञान की परिभाषा -

शैलीविज्ञान भाषा-विज्ञान की वह शाखा है, जिसके माध्यम से साहित्य की रचनात्मक कृतियों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार शैली-विज्ञान काव्य की शैली के कोण से अध्ययन है। शैली का अर्थ है - प्रकार या काम करने का ढंग। शैली यों तो प्रत्येक प्रकार के कार्य-व्यापार से संबद्ध होती है, किन्तु साहित्य के क्षेत्र में शैली का अर्थ होता है--अभिव्यक्ति-शैली अथवा शब्द-प्रयोग-शैली। इसे भाषा-प्रयोग की शैली या भाषा-प्रयोग की भंगिमा भी कहा जा सकता है।

शैली की विशेषताएँ -

1. शैली भाषिक अभिव्यक्ति का ढंग है।
2. यह ढंग सामान्य न होकर विशिष्ट होता है अर्थात् सर्वसामान्य भाषिक अभिव्यक्ति के ढंग से अलग।
3. इसका संबंध शैलीकार के व्यक्तित्व से होता है अर्थात् व्यक्तित्व का वैशिष्ट्य शैली में झलकता है।
4. शैली विषयवस्तु से संबन्धित होती है।
5. सामान्य भाषिक अभिव्यक्ति से अलग करने के लिए शैली का प्रयोक्ता चयन, विचलन, संयोजन और समानान्तरता एवं अप्रस्तुत-विधान आदि उपकरणों की सहायता लेता है, जो सामान्य भाषा में सुलभ नहीं होते।
6. शैली भाषिक अभिव्यक्ति का ढंग हैं। अतः चयन, विचलन आदि सभी भाषिक इकाइयों (ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, अर्थ) की दृष्टि से हो सकते हैं।
7. किसी कृति अथवा साहित्यकार की भाषिक अभिव्यक्ति के विशिष्ट अंग का निर्धारण उसमें बहुलता से प्राप्त उपकरणों से होता है, अपवादों से नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति की विशेषताओं के रूप में ही शैली में व्यक्ति के व्यक्तित्व की छाप होती है।

इससे स्पष्ट है कि एक साहित्यकार अपनी काव्य-सृष्टि के समय जो भाषाप्रयोग करता है, वह सामान्य न होकर विशिष्ट होती है। यह वैशिष्ट्य भाषा के प्रत्येक अंग यथा- शब्द, अर्थ, वाक्य, प्रोक्ति, ध्वनि, रूप आदि के स्तर पर होता हैं। कवि की शैली में जो विशेषताएँ होती हैं, वे उसकी सभी कृतियों में कम या अधिक पाई जाती हैं।

शैली का अर्थ -

‘शैली’ का अन्य अर्थ यह भी है--साहित्यिक अभिव्यंजना की प्रविधि। शैली-विज्ञान अंग्रेजी के स्टाइलिस्टिक्स (Stylistics) का अनुवाद है। कुछ लोग इसे ‘रीति-विज्ञान’ की भी संज्ञा देते हैं, किन्तु संस्कृत का ‘रीति’ शब्द एक विशिष्ट काव्यशास्त्रीय अर्थ में प्रयुक्त होता है। ‘शैली’ शब्द की व्यापकता उसमें नहीं है। व्यवहार में भी ‘शैली-विज्ञान’ शब्द प्रचलित हो गया है। इस प्रकार यह शब्द आलोचना का एक वाचक शब्द बन गया है।

भारतीय काव्यशास्त्र मुख्य रूप से भाषा और सौन्दर्य के समूह का ही पालन करता है। आचार्य भामह, दण्डी, वामन, आनन्दवर्धन, कुन्तक, क्षेमेन्द्र आदि की काव्य-परिभाषाएँ शब्दार्थ के वैशिष्ट्य से संबद्ध हैं। शैली-विज्ञान की अधिकांश प्रविधियों का समावेश भारतीय काव्यशास्त्र में दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इसके सूत्र खोजे जा सकते हैं। रिचर्ड्स, रैन्सम, पाउण्ड, ब्रुक्स आदि की आलोचनात्मक शब्दावली में भी बहुत कुछ ऐसा है, जो शैली-विज्ञान में अंतर्भुक्त हो जाता है, किन्तु अपनी भाषा-वैज्ञानिकता के कारण शैली-विज्ञान एक वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। व्याकरणिक भूमिका पर खड़ा शैली-विज्ञान काव्य के रूप और सौन्दर्य-पक्ष को अछूत मानता है। उसकी अपनी ही तकनीक इतनी पेचीदा है कि उसके माध्यम से सौन्दर्यशास्त्रीय आयाम खोज निकालना श्रमसाध्य कार्य है।

शैली की धारणा -

पाश्चात्य जगत् में शैली संबंधी पाँच प्रकार की धारणाएँ प्रचलित हैं-

1. प्रथम धारणा के अनुसार शैली का संबंध पूर्ण अभिव्यक्ति से है।
 - एवर क्रॉम्बी शैली को “किसी रचना की आत्मा एवं रचयिता के व्यक्तित्व का प्रकटन” मानते हैं।
 - जे. मिडिलटन मेरे शैली को “अनुभव के वैयक्तिक प्रकार की सीधी अभिव्यक्ति” मानते हैं।
 - आई. ए. रिचर्ड्स का मत है- “शैली का संबंध मात्र बाह्य अभिव्यक्ति से नहीं है, उसका संबंध सम्पूर्ण रचना-प्रक्रिया से है।”
2. द्वितीय धारणा शैली को सम्पूर्ण अभिव्यक्ति से नहीं, अपितु केवल भाषा से जोड़ती है। इस धारणा के अनुसार भाषा के उपकरणों के प्रयोग की विधि ही शैली का निर्माण करती है। जॉन स्पेन्सर, एरिक इसी वर्ग के हैं। ब्रुक्स के अनुसार भाषा का चयन और उसको व्यवस्थित करना ही शैली है। इस धारणा में शैली का क्षेत्र मात्र भाषिक अभिव्यक्ति तक ही सीमित कर दिया गया है।
3. तृतीय धारणा शैली का क्षेत्र भाषा के विस्तृत क्षेत्र से हटाकर शब्द के संकुचित क्षेत्र तक ले जाती है। शैली की यह धारणा शब्द-चयन तथा शब्द व्यवस्था पर आधारित है।
4. चतुर्थ धारणा शब्द और भाषा के क्षेत्र को पीछे छोड़ शैली को सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में देखती है। इस मत के समर्थक विद्वान बहुसंख्यक हैं।
 - एफ. एल. ल्यूक्स के अनुसार—“शैली वह साधन है, जिससे मनुष्य दूसरे से सम्पर्क करता है।”

- कोक्त्यु के अनुसार "जटिल विषयों को सरल तरीके से कहना ही शैली है।"
- 5. पाँचवों धारणा शैली को व्यक्ति के समकक्ष मानने वालों की है। इस धारणा के प्रवर्तक बुफों के अनुसार- "व्यक्ति ही शैली है।" पाश्चात्य आधुनिक समीक्षा में सभी समीक्षक शैलीगत विशेषताओं का अध्ययन अवश्य करते हैं, यथा-एलन टेट 'तनाव' को और 'तनाव' के अध्ययन को महत्व देते हैं। कलीमेन्थ ब्रूक्स अच्छी कविताओं में व्यंग्य और विरोधाभास को कारणस्वरूप देखते हैं।

आईवर विन्टर्ज अभिधाश्रित व्यंग्य को उत्कृष्ट काव्य का गुण मानते हैं।

शैली विज्ञान और भाषा विज्ञान का समन्वय -

शैली-विज्ञान का संबंध भाषा-विज्ञान और काव्यशास्त्र, दोनों से समान रूप से है। शैली-विज्ञान को समीक्षा की वह दृष्टि माना जाता है, जो भाषा-विज्ञान और काव्यशास्त्र की समन्वित पीठिका पर आधारित है। वस्तुतः शैली-विज्ञान भाषा-विज्ञान और काव्यशास्त्र के अनुबंधन का क्षेत्र है। डॉ. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव के शब्दों में- "भाषा-विज्ञान की अंतर्दृष्टि से संदर्भित और उसकी विश्लेषण प्रणाली से संयुक्त काव्यशास्त्र ही शैली-विज्ञान है।"

शैली विज्ञान के रूप -

भाषा की तरह शैली-विज्ञान के भी दो रूप होते हैं- (1) सैद्धांतिक और (2) प्रायोगिक। प्रथम के अंतर्गत इसके सिद्धांतों की चर्चा होती है तथा द्वितीय में उन सिद्धांतों के आधार पर किसी साहित्य-काल, साहित्यकार, कृति, विधा अथवा कृति के किसी अंश आदि का अध्ययन-विश्लेषण किया जाता है।

शैली विज्ञान की शाखाएँ -

शैली-विज्ञान की अनेक शाखाएँ हैं। इसका संबंध भाषा के प्रयोग से है। अतः भाषा के जितने भी अंग अथवा शाखाएँ होती हैं, उतनी ही शैली-विज्ञान की शाखाएँ हो जाती हैं। कुछ शाखाएँ इस प्रकार हैं-

1. ध्वनीय शैली-विज्ञान
2. शब्दीय शैली-विज्ञान
3. अर्थीय शैली-विज्ञान
4. वाक्यीय शैली-विज्ञान
5. रूपीय शैली-विज्ञान

सामान्य भाषा-प्रयोग में वाक्य ही भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। इसी से व्याकरण एवं भाषा-विज्ञान में वाक्य एवं उसके घटक-तत्त्वों; यथा-शब्द, अर्थ, कारक, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया-विशेषण आदि का अध्ययन किया जाता है, परंतु साहित्यिक कृतियों में भाषा की इकाई वाक्य न होकर सुसंबद्ध वाक्यों का समूह होती है जिसे प्रोक्ति कहा जाता है। पूर्ण कृति को भी प्रोक्ति कहा जाता है और उसके एक सुसंबद्ध बहुवाक्यीय अंश को भी। साहित्यिक कृति में प्रभावग्रहण वाक्य द्वारा न होकर प्रोक्ति द्वारा ही होता है।

शैली के उपकरण

शैली विज्ञान काव्यात्मा का विश्लेषण भाषा के किस रूप में करता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्य भाषिक अभिव्यक्ति से अलग कर काव्य-सर्जक अपनी भाषा में जिन आभिव्यक्तिक उपकरणों की सहायता लेता है, उन्हीं के आत्म-तत्त्व की खोज करता है। वे उपकरण हैं-चयन, विचलन, संयोजन, समानान्तरता, आवृत्ति, प्रश्नात्मकता, विराम चिह्नों का प्रयोग, वैशिष्ट्य एवं लय आदि। प्रत्येक वह उपकरण, वह साधन, जो भाषिक अभिव्यक्ति में वैशिष्ट्य ले आता है, शैली का उपकरण हो जाता है।

शैली विज्ञान का मूल्यांकन

शैली-विज्ञान, वस्तुतः साहित्यालोचन की वस्तुनिष्ठ भूमिका है। यह उन विशेषताओं का अध्ययन करता है, जिसके द्वारा मानक भाषा काव्यभाषा बन जाती है और साहित्यकार का शब्द-प्रयोग अपने में विचित्र प्रभावोत्पादिनी क्षमता भर लेता है। इस प्रकार शैली-विज्ञान साहित्यिक रचना के उन साहित्यिक गुणों का सन्धान करता है, जो परंपरागत साहित्य-समीक्षा नहीं कर पाती। शैली-विज्ञान की उपादेयता साधन-रूप में है, क्योंकि वह साहित्य के मूर्त-रूप वर्ण, शब्द, वाक्य आदि का विश्लेषण कर रचना के भाषिक अध्ययन द्वारा उसके मूल अर्थ-काव्यार्थ-को व्यक्त करने में तथा कलात्मक मूल्य के आकलन में सहायक बनता है।

संदर्भ-ग्रंथ सूची -

1. अहमद, जमील. (2012). "वैज्ञानिक अंग्रेजी की शैलीगत विशेषताएँ: वैज्ञानिक अनुसंधान लेखों का एक अध्यय," अंग्रेजी भाषा और साहित्य अध्ययन, खंड. 2, पृ. 79.
2. कार्टर, रोनाल्ड.(2010). "शैक्षणिक शैली में मुद्दे: एक कोडा," भाषा और साहित्य, खंड.19, अंक.1, पृ. 115-122.
3. गन्याउफू, मुन्याराड़जी.(2013). "शिक्षण के तरीके और छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन," मानविकी और सामाजिक विज्ञान आविष्कार के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम. 2, अंक. 9, पृ. 29-35.
4. खट्टक, एम. इब्राहिम, और अन्य.(2012). "साहित्य की व्याख्या में शैलीविज्ञान की भूमिका," सिटी यूनिवर्सिटी रिसर्च जर्नल, वॉल्यूम. 2, अंक. 1, पृ. 97-102.
5. कृष्णमूर्ति, सरला.(2012). "शैलीविज्ञान का शिक्षण : शैक्षिक संदर्भ में सामुदायिक गठन की व्यावहारिकता की जांच," चीन-अमेरिका अंग्रेजी शिक्षण, खंड. 9, अंक. 8, पृ. 153-165.
6. वर्मा, मीनाक्षी एच.(2015). "कॉलेज स्तर पर साहित्य पढ़ाने के लिए एक शैलीगत दृष्टिकोण," लैंग्वेज इन इंडिया, खंड. 15, अंक. 8, पृ. 333-342.
7. ज़िन्जियर, सोनिया. (2001). "स्टाइलिस्टिक्स के लिए एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण की ओर," सेंट्रो वर्चुअल सर्वेट्स, अंक. 24, पृ. 365-380.

Manuscript Timeline*Submitted : May 12, 2023**Accepted : May 27, 2023**Published : June 25, 2023***समकालीन हिंदी उपन्यासों में नारीवादी दृष्टि****डॉ. सुनील कुमार सुधांशु¹**

वैदिक काल में नारी की स्थिति अत्यन्त उच्च थी। उस काल में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की कहावत चरितार्थ होती थी। भारतीयों के सभी आदर्श रूप नारी में पाए जाते थे, जैसे सरस्वती (विद्या का आदर्श), लक्ष्मी (धन का आदर्श), दुर्गा (शक्ति का आदर्श), रति (सौन्दर्य का आदर्श) एवं गंगा (पवित्रता का आदर्श) आदि। उस समय नारी को चौंसठ कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। पत्नी के रूप में वे पतिपरायणा थी। युद्धक्षेत्र में पति संग शास्त्र-संचालन भी करती थी। रथ की सारथी बनकर मार्गदर्शन भी करती थी। सार्वजनिक क्षेत्रों में स्त्रियां शास्त्रार्थ भी करती थीं। उस काल में पुरुषों का वर्चस्व था, लेकिन नारी को भी सम्मान दिया जाता था।

उत्तर वैदिक काल में कन्या का जन्म चिंता का विषय था और पुत्र प्राप्ति गर्व का। पुत्र रत्न न दे पाने के कारण उसका त्याग कर दिया जाता था। पति पुनर्विवाह कर सकता था। इस काल में विधवा स्त्रियों का जीवन अत्यन्त कठिन था। उनके लिए अत्यन्त कठिन नियम थे, जैसे एक समय भोजन करना, श्वेत वस्त्र धारण करना, सिर मुँडवाना आदि। इस काल में नारियों की दशा दयनीय थी। समाज में अनेक कुप्रथाएं फैल गयी थीं, जैसे सतीप्रथा, बालविवाह, परदा प्रथा, अनमेल विवाह आदि। वैदिक काल में नारी के दिव्य गुण धीरे-धीरे इस काल में उसके अवगुण बनने लगे थे। वैदिक युग में स्त्रियां धर्म एवं समाज का प्राण थीं। इस काल में वे हर क्षेत्र में वे अयोग्य घोषित की गईं। उनको विवाह संस्कार के अतिरिक्त सभी संस्कारों से वंचित कर दिया गया था।

मध्यकाल में नारियों की स्थिति उत्तरोत्तर गिरती गई। अरबों तथा मुसलमानों के आक्रमणों के कारण उनकों सदैव सुरक्षित रखा गया। वे मात्र गृहिणी थीं और गृहकार्य में लिप्त थीं। इसकाल के अन्त में नारियों की दयनीय स्थिति में बहुत परिवर्तन आया और उन्नीसवीं सदी के आसपास अनेक समाज सुधारक जैसे राजा राममोहन राय ने नारी पर होने वाले कई अत्याचारों को समाप्त कर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। सती प्रथा का विरोध किया। बंगाल के ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने विधवा के पुनर्विवाह के मार्ग खोल दिए। स्वतन्त्रता आन्दोलन में गांधी जी ने भी नारियों के अपनी योग्यता सिद्ध करने का निमन्त्रण दिया था। वर्तमान समय में तो कु.कल्पना चावला, श्रीमती सुनीता विलियम्स ने नए आविष्कार करके निज योग्यता सिद्ध की है। किरण बेदी, बरखा दत्त जैसी नारियां भी सफलता के ज्वलंत उदाहरण हैं। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी शक्तिशाली महिला के रूप में स्मरणीय हैं। राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल अपनी दक्षता

¹ सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालयई-मेल- sunilsudhanshu.du@gmail.com, मोबाइल : 8383804523

का परिचय दे रही है। समाज प्रतिपल विकास की ओर निरन्तर गतिमान है। इस परिवर्तनशील समाज में उपन्यासकारों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में चहुं और तनावपूर्ण वातावरण है। दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर सुरसा के मुख सदृश विकराल रूप धारण कर चुका है। समकालीन उपन्यासकारों ने बाधाओं एवं संकटों की परवाह किए बिना अपनी रचनाओं के द्वारा समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने मुक्त-हस्त से निडर होकर अपनी कलम चलाई और नारी-विर्माश को लेकर कुछ-न-कुछ अवश्य लिखा।

मोहन राकेश जी ने अन्तराल उपन्यास में सीमा के चरित्र में नवीन रूप प्रस्तुत किए हैं। वह धर्म का बन्धन नहीं मानती है, नशे का प्रयोग करती है और आत्मनिर्भर होने के कारण अभिमानी है। बड़ों का आदर नहीं करती है। अन्य स्त्री पात्र विधवा है और पुनर्विवाह करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसी उपन्यास में कुमार की पत्नी कान्ट्रिकॉट मैरिज करती है और न निभने पर वापस लौट आती है। उपन्यासकार ने नारी के विविध रूपों को उजागर किया है। अन्य उपन्यास में अन्धेरे बंद कमरे में नारी के अप्रसन्न दाम्पत्य जीवन को उजागर किया है। इसमें नायक हरवंश आधुनिक पति है और वह चाहता है कि उसकी पत्नी नीलिमा मदिरा पिए, धूम्रपान करे तथा पराए पुरुषों से मुक्त व्यवहार रखें। वह बाद में विदेश चला जाता है और नीलिमा के बिना अकेलापन महसूस करता है। क्षमा मांगने पर नीलिमा उसकी ओर ध्यान नहीं देती है। वह भी एक नृत्य समूह के साथ विदेश चली जाती है। वहां एक विधुर पुरुष उबानु संपर्क में आता है और विवाह का प्रस्ताव रखता है तो वह अस्वीकार कर देती है। वह पत्रकार मधुसूदन से परिवर्तित जीवन मूल्यों की चर्चा करती है। वह सोचती है कि जीवन में ऐसा कोई मूल्य नहीं है जिस पर व्यक्ति अडिग रह सकता है।

अज्ञेर जी ने नदी के दीप उपन्यास में रेखा के पात्रा द्वारा नारी के अहं का शालीन रूप प्रस्तुत किया है, जिसने अहं के बल से भावुकता को जीत लिया है, उसके चरित्र में अहं का सदरूप विद्यमान है। अन्य पात्रा गौरा के चरित्रा में अहं का संयत रूप परिलक्षित होता है। उपन्यासकार ने पुरुषप्रधान समाज में नारी के सबल व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर सामाजिक परम्पराओं को खोखला सिद्ध कर दिया है।

श्री राजकमल चौधरी ने अपने उपन्यास मछली मरी हुई में नारियों की रुण आसक्ति को उजागर किया है, जो नारियां पुरुषों सदृश जीवन व्यतीत करती हैं और माता बनने से कतराती हैं। ये नारियां समलैंगिकता की ओर अधिक द्वुकाव रखती हैं। यह उपन्यास समलैंगिक यौनाचार में लिप्त स्त्रियों को आधार बनाकर लिखा गया है। यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। उपन्यासकार की दृष्टि में यौन आवशकता कोई अमंगल बात नहीं है, परन्तु विकृत कामभावना एक मानसिक रोग है। शारीरिक और मानसिक पतन इसका प्रतिफल है। सामाजिक समायोजन के लिए इससे दूर रहना ही उचित है।

सूर्यकुमार जोशी जी ने अपने उपन्यास दिगंबरी में एक ऐसी नारी की कहानी को वर्णित किया है जो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए विनय नामक पुरुष से विवाह कर लेती है और बेटी को जन्म देती है। इसमें अन्य नारी सदाशा अपरिपक्व अवस्था में अपनी सहेली मालिनी से यौन जीवन की समस्त बातें जान

लेती है। उसकी मां वेश्या और पिता वेश्यागामी व शराबी थे। वह विनय के संपर्क में आकर संबंध स्थापित करती है और विनय से संबंध तोड़कर अन्य पुरुषों से संबंध जोड़ती है। उसे मातापिता से ऐसे संस्कार मिले जिससे वह स्वयं पतित हुई और संपर्क में आने वाले सभी पुरुषों को पतित किया।

प्रियवंदा ने अपने उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका में आधुनिक परिवेश से उदिता नारी ही को विषय बनाया। प्रियवंदा जी का कहना है कि एक ऐसी स्त्री का, जो कि अपने में उलझ गई है और अपने को पाने की खोज में उसे अपने ही अंदर बैठकर खोज करनी है। राधिका का निपट अकेलापन और भारत में अपने को उखड़ा-उखड़ा जीना मेरी अपनी अनुभूतियां थीं, जिन्हें कि मैं बेहद लाड़-प्यार के बावजूद नकार नहीं सकी। सो यह नारी के अकेले होने की स्थिति है।

मनू भंडारी ने अपने उपन्यास आपका बंटी में आधुनिक नारी को घर की चार दीवारी से निकालकर कर्मक्षेत्र में ला-खड़ा किया है। शिक्षित युवती के वैवाहिक जीवन की आंतरिक त्रासदी की सूक्ष्म पहचान अंकित की है। तलाक-शुदा मां-बाप की संतान बंटी न माता का है और न पिता का है, आपका बंटी है अर्थात् समाज का। उनकी दृष्टि में समाज की ज्वलंत समस्या है तलाक।

लोकप्रिय लेखिका कृष्ण सोबती ने मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी के अंधेरे के स्त्री-पुरुष संबंधों पर आधारित बलात्कार की विभीषिका दर्शाते उपन्यास हैं। इसमें वर्षों से अंधेरे की परतों के नीचे ढंकी नारी को चित्रित किया गया है।

शशिप्रभा शास्त्री ने नारी मन की जटिल गुणियों को सुलझाने की प्रक्रिया अपने उपन्यासों में की है। उनके उपन्यास नावें में विवाह पूर्व किसी नारी के मां बनने और उससे उत्पन्न विसंगत परिस्थितियों में सही जीवन की तलाश की संघर्ष गाथा है। उनके अनुसार नारी को अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलन्द करते देखती हूँ तो सन्तोष होता है।

ममता कालिया जी ने अपने उपन्यास बेघर और नरक दर नरक में नारी के प्रति समाज का क्या दृष्टिकोण है, इसको अभिव्यक्ति दी है। पुरुष ने नारी को उपभोक्तावादी वस्तु समझ लिया है।

उषा प्रियवंदा का ‘शेष यात्रा’(1984) अनु के जीवन की कहानी है। अनु का पति प्रणव उसे गुड़िया के सामान सजावटी बनाये रखना चाहता है। अपने आत्म का बोध जब अनु को होता है, तब वह मेडिकल की पढ़ाई करके डॉ. अनु बनती है। इस लम्बी जीवनयात्रा की परिस्थितियों को दर्शाता ‘शेष यात्रा’ नारी सम्बोधन के सच्चे रंग दिखाता है। पति की पारम्परिक दृष्टिं छवि दर्शाता ‘छिन्नमस्ता’(1993) नरेंद्र और प्रिया के वैवाहिक संबंधों की कहानी है। इसी क्रम में ‘मुझे चांद चाहिये’(1993), ‘एक पत्नी के नोट्स’(1997) जैसे उपन्यास भी नारी पर लगाए गए आक्षेपों, वर्जनाओं की अभिव्यक्तियाँ हैं। हरिमोहन के उपन्यास ‘अकेले-अकेले साथ’(2000) में नारी की अंतर्ब्यथा और मुक्ति-कामना का अंकन किया गया है। स्त्री-पुरुष संबंधों में विश्वास व मानवीय सरोकारों का होना आवश्यक है जिनमें समान अधिकार भी शामिल हैं।

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है, “पुरुष स्वभावतः निःसंग व तटस्थ होता है, नारी ही उसमें आसक्ति उत्पन्न कर उसे नवनिर्माण के प्रति उन्मुख करती है। पुरुष अपनी पुरुष प्रकृति के कारण द्वन्द्वहित हो सकता है लेकिन नारी अतिशय भावुकता के कारण सदैव द्वन्द्वोन्मुख होती है। इसलिए पुरुष मुक्त है और नारी बद्ध” मेहरुनिसा परवेज का उपन्यास ‘अकेला पलाश’(2002) ऐसे ही पुरुषपाश में बद्ध नारी तहमीना की कहानी है। डॉ. श्रीधर का निष्कर्ष कितना उचित है, “नारी के शोषण में सिर्फ़ पुरुष ही होता है, यह सारा समाज जानता है। इसके उपरांत भी दोषी स्त्री ही होती है। उसके लिए क्षमा का अवसर भी नहीं है।” इस दौर में हमसफ़र (2002), अल्मा कबूतरी (2004), आवाँ (2005) जैसे उपन्यास भी स्त्री व्यथा, स्त्री क्षमता व स्त्री संघर्ष की करुणकथा हैं। स्त्री चिन्तन की बदलती लीक को भी यहाँ ध्वनित किया गया है। लेखिका चंद्रकांता का उपन्यास ‘अपने-अपने कोणार्क’(2006) मुख्य चरित्र कुनी के आजीवन कुँवारी रहने का प्रतिचित्रण करता है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस प्रकार उपन्यास साहित्य में नारी विमर्श की चर्चा यत्र-तत्र की गई है। नारी अबला थी, पर अब नहीं है। अब उसे निज शक्तियों को विकसित करने का सुअवसर प्राप्त है। आज नारी कहीं भी रहती हो, ग्राम में हो या शहर में, वह कर्तव्यनिष्ठ है, संघर्षशील है, संवेदनशील है, उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। वे जीवन की अति व्यस्तता में भी निज कर्तव्य को विस्मरण नहीं करती हैं। अब नारी विमर्श अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, उसकी अपनी एक पहचान है। अब नारी हर क्षेत्र में कर्मरत है, उसने समस्त सीमाओं को लांघकर अपने बलबूते स्वयं की एक विश्वस्तरीय पहचान बना ली है। अब नारी विमर्श अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी न होकर तुम शक्ति संग संसार-रथ की सारथी हो है।

संदर्भ सूची :

1. यादव, उषा. (1999). “हिंदी महिला उपन्यासकारों की मानवीय संवेदना”, राधाकृष्ण प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. जैन, अरविंद. (2013). “औरत, अस्तित्व और अस्मिता”, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. शर्मा, कृष्णदेव. (2004). “स्त्री सशक्तिकरण के विविध आयाम”, गीता प्रकाशन, हैदराबाद।
4. राजकिशोर. (2014). “स्त्री के लिए जगह”, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. शर्मा, ओमप्रकाश. (2009) “समकालीन महिला लेखन”, पूजा प्रकाशन, दिल्ली।
6. ज्योति, अमर. (1999). “महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों में नारीवादी दृष्टि”, अनन्पूर्णा प्रकाशन, कानपुर।

NOTES FOR AUTHORS,
The Equanimist...A peer reviewed Journal

1. Submissions

Authors should send all submissions and resubmissions to theequanimist@gmail.com. Some articles are dealt with by the editor immediately, but most are read by outside referees. For submissions that are sent to referees, we try to complete the evaluation process within three months. As a general rule, **The Equanimist** operates a double-blind peer review process in which the reviewer's name is withheld from the author and the author's name is withheld from the reviewer. Reviewers may at their own discretion opt to reveal their name to the author in their review, but our standard policy is for both identities to remain concealed. Absolute technical requirements in the first round are: ample line spacing throughout (1.5 or double), an abstract, adequate documentation using the author-date citation system and an alphabetical reference list, and a word count on the front page (include all elements in the word count). Regular articles are restricted to an absolute maximum of 10,000 words, including all elements (title page, abstract, notes, references, tables, biographical statement, etc.).

2. Types of articles

In addition to Regular Articles, **The Equanimist** publishes the Viewpoint column with research-based policy articles, Review Essays, Book Review and Special Data Features.

3. The manuscript

The final version of the manuscript should contain, in this order:

- (a) title page with name(s) of the author(s), affiliation
- (b) abstract
- (c) main text
- (d) list of references
- (e) biographical statement(s)
- (f) tables and figures in separate documents
- (g) notes (either footnotes or endnotes are acceptable)

Authors must check the final version of their manuscripts against these notes before sending it to us.

The text should be left justified, with an ample left margin. Avoid hyphenation. Throughout the manuscripts, set line spacing to 1.5 or double.

The final manuscript should be submitted in MS Word for Windows.

4. Language

The Equanimist is a Bilingual Journal,i.e. English and हिन्दी. The main objective of an academic journal is to communicate clearly with an international audience.

Elegance in style is a secondary aim: the basic criterion should be clarity of expression. We allow UK as well as US spelling, as long as there is consistency within the article. You are welcome to indicate on the front page whether you prefer UK or US spelling. For UK spelling we use -ize [standardize, normalize] but -yse [analyse, paralyse]. For US spelling,-ize/-yze are the standard [civilize/analyze]. Note also that with US standard we use the serial comma (red, white, and blue). We encourage gender-neutral language wherever possible. Numbers higher than ten should be expressed as figures (e.g. five, eight, ten, but 21, 99, 100); the % sign is used rather than the word 'percent' (0.3%, 3%, 30%).Underlining (for italics) should be used sparingly. Commonly used non-English expressions, like ad hoc and raison d'être, should not be italicized.

5. The abstract

The abstract should be in the range of 200–300 words. For very short articles, a shorter abstract may suffice. The abstract is an important part of the article. It should summarize the

actual content of the article, rather than merely relate what subject the article deals with. It is more important to state an interesting finding than to detail the kind of data used: instead of ‘the hypothesis was tested’, the outcome of the test should be stated. Abstracts should be

written in the present tense and in the third person (This article deals with...) or passive (... is discussed and rejected). Please consider carefully what terms to include in order to increase the visibility of the abstract in electronic searches.

6. Title and headings

The main title of the article should appear at the top of pg. 1, followed by the author’s name and institutional affiliation. The title should be short, but informative. All sections of the article (including the introduction) should have principal subheads. The sections are not numbered. This makes it all the more important to distinguish between levels of subheads in the manuscripts – preferably by typographical means.

7. Notes

Notes should be used only where substantive information is conveyed to the reader. Mere literature references should normally not necessitate separate notes; see the section on references below. Notes are numbered with Arabic numerals. Authors should insert notes by using the footnote/endnote function in MS Word.

8. Tables

Each Table should be self-explanatory as far as possible. The heading should be fairly brief, but additional explanatory material may be added in notes which will appear immediately below the Table. Such notes should be clearly set off from the rest of the text. The table should be numbered with a Roman numeral, and printed on a separate page.

9. Figures

The same comments apply, except that Figures are numbered with Arabic numerals. Figure headings are also placed below the Figure. Example: Figure 1.

10. References

References should be in a separate alphabetical list; they should not be incorporated in the notes. Use the APA form of reference

11. Biographical statement

The biosketch in **The Equanimist** appears immediately after the references. It should be brief and include year of birth, highest academic degree, year achieved, where obtained, position and current institutional affiliation. In addition authors may indicate their present main research interest or recent (co-)authored or edited books as well as other institutional affiliations which have occupied a major portion of their professional lives. But we are not asking for a complete CV.

12. Proofs and reprints

Author’s proofs will be e-mailed directly from the publishers, in pdf format. If the article is co-authored, the proofs will normally be sent to the author who submitted the manuscripts. (corresponding author). If the e-mail address of the corresponding author is likely to change within the next 6–9 months, it is in the author’s own interest (as well as ours) to inform us: editor’s queries, proofs and pdf reprints will be sent to this e-mail address. All authors (corresponding authors and their co-authors) will receive one PDF copy of their article by email.

13. Copyright

The responsibility for not violating copyright in the quotations of a published article rests with the author(s). It is not necessary to obtain permission for a brief quote from an academic article or book. However, with a long quote or a Figure or a Table, written permission must be obtained. The author must consult the original source to find out whether the copyright is held by the author, the journal or the publisher, and contact the appropriate person or institution. In the event that reprinting requires a fee, we must have written confirmation that the author is prepared to cover the expense. With literary quotations, conditions are much stricter. Even a single verse from a poem may require permission.

THE **Equanimator**

A peer reviewed refereed journal

SUBSCRIPTION ORDER FORM

1. NAME.....
2. ADDRESS.....

.....
.....
.....
TEL.....MOB.....EMAIL.....

3. TYPE OF SUBSCRIPTION: INDIVIDUAL/INSTITUTION

4. PERIOD OF SUBSCRIPTION: ANNUAL/FIVE YEARS

5. DD.....DATE.....

BANK.....

AMOUNT (IN WORD).....AMOUNT (IN NUMBERS).....

DEAR CHIEF EDITOR,

KINDLY ACNOWLEDGE THE RECEIPT OF MY SUBSCRIPTION AND START
SENDING THE ISSUE(S) AT FOLLOWING ADDRESS:

.....
.....
.....
THE SUBSCRIPTION RATES ARE AS FOLLOWS W.E.F. 01.04.2015

INDIA (RS.)

TYPE	INDIVIDUAL	INSTITUTION
ANNUAL	RS. 1000	RS. 1400
FIVE YEARS	RS. 4500	RS. 6500
LIFETIME	Rs. 18,000	Rs. 20,000

YOURS SINCERELY

SIGNATURE

NAME:

PLACE:

DATE:

Please Fill This Form and deposit the money through net banking. Details are BANK- STATE BANK OF INDIA Name SHREE KANT JAISWAL A/C – 32172975280.IFSC –SBIN0003717 Branch: SINDHORA BAZAR VARANASI. After depositing the money please e-mail the form and receipt at theequanimator@gmail.com

Published By

Oriental Human Development Institute

121/3B1 Mahaveerpuri, Shivkuti Road.

Allahabad-211004